खण्ड-272, अंक-5
सोमवार, 5 आषाढ़, शक संवत् 1889
(26 जून, 1967 ई0)

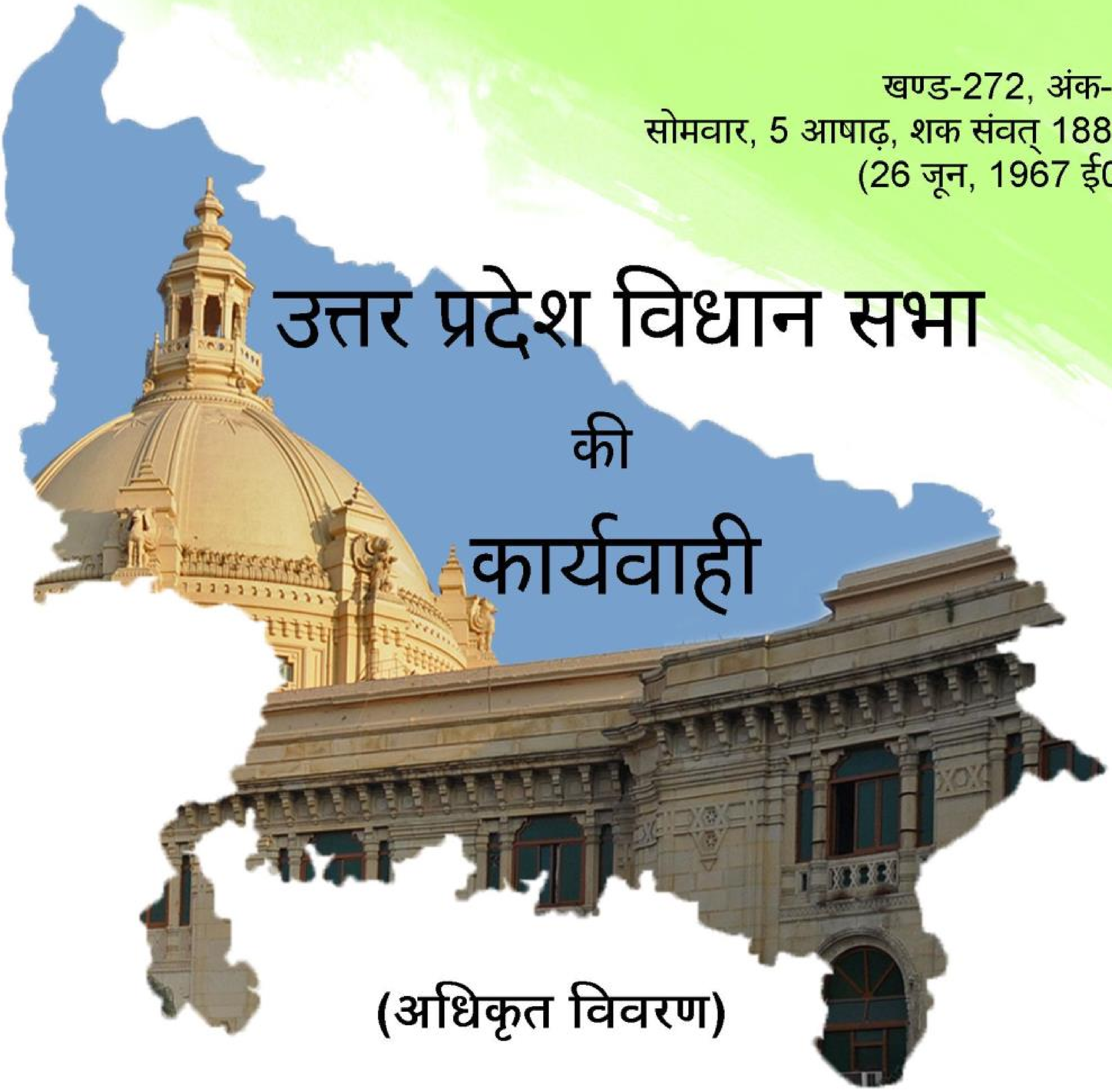

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सर्वश्री लोटनराम, रामेश्वर सहाय, जगदीशसिंह तथा माधोनारायण मुद्गल के निधन पर शोकोद्गार	३५–३७
सदन के अवशिष्ट कार्य-क्रम को कार्य सूची में सम्मिलित न करने तथा सरकार के कथित वैधानिक रूप से गठित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७–४३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिषद् तथा न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिये अवधि) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४३–४४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पांचवां संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४४–४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	४५–४६
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविधाओं और हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	४६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४६
सदन के परिसर में कांग्रेस के अवंटित कमरे को यू० पी० सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल) आफिसर्स एसोसियेशन की बैठक के लिये दिये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४६–४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २६ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३८१

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठईराम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्याप्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अश्वनीकुमार, श्री
अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपालसिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयप्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदितनारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारसरन, श्री
ओम्प्रकाशसिंह, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलाप्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमलाप्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणसिंह, श्री
कामतासिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरीलाल, श्री
केशवदेव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)

गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चैतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकीप्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र,
जियाउर्रमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
बलबहादुर सिंह, श्री
बलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवीसहाय बाजपेयी, श्री
देवीसेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रु कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
निहालसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
पम्बरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

अशोक पटेल सभा

पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृजमोहनदास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मदनमोहनसिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री

राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राजराजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअंजोर, श्री
रामअचलसिंह सेन्गर, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पाण्डेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशुनप्रतापसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथसिंह, श्री
विष्णुस्वरूप, श्री
वीरबहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह, चौधरी
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हुसन, श्री

शमीम आलम, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसादसिंह, श्री
शुभनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीशंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीलकुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहरबख्शसिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—उपमुख्य मंत्री, श्री राम प्रकाश—परिवहन मंत्री, श्री मानसिंह वर्मा तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २६ जून, १९६७

तारांकित प्रश्न

मुरादाबाद में आटे में मिलावट

*१—श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री को यह सूचना है कि मुरादाबाद जिले में आटा में गन्ने की पिसी हुई खोई और मूंगफली का पिसा हुआ छुक्कल मिलाया जा रहा है? क्या इसी प्रकार मिलावट करने वाले एक व्यापारी की दूकान से हाल ही में २० बोरी मशीन से पिसी हुई गन्ने की खोई पकड़ी गई है यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री झारखण्डेराय)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२—श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[३ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया]

*३—श्री इन्द्रपाल (जिला बांदा)—

[२रे शुक्रवार के लिये प्र० सं० २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नगरपालिकाध्यक्ष, औरैया के विरुद्ध आरोप

*४—श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला में नगरपालिका, औरैया के अध्यक्ष को सरकार ने सन् १९६७ में निलम्बित किया है? यदि हां, तो किन अपराधों से?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

नगरपालिका औरैया के अध्यक्ष को शासन ने उनके पद से मार्च, १९६७ में हटा दिया है। आरोप† तालिका संलग्न है।

खाद्यान्न वितरण जांच समिति के प्रतिवेदन में संस्तुतियां

*५—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९६४-६५ में सस्ते गल्ले की दूकानों की गल्ला वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धी अन्य शिकायतों को दूर करने के लिये श्री गेंदा सिंह की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या हैं?

श्री झारखण्डेराय—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५० पर)

*६—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त संस्तुतियों में से किन मुख्य-मुख्य संस्तुतियों को अब तक कार्यान्वित किया गया है?

श्री झारखण्डे राय—

उपर्युक्त संस्तुतियों में से संस्तुति संख्या १, २, ३, ६ व ८ को कार्यान्वित किया गया है।

*७-८—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

[२रे शुक्रवार के लिये प्र० सं० १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नरही, लखनऊ में लोहे का कारखाना

*९—श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधान सभा के प्रथम सत्र १९६६ के दूसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न १२ के सम्बन्ध में लोहे की अलमारी बनाने वाले कारखाने को किसी अन्यत्र हटवाने के लिये जो सरकार ने नगर महापालिका, लखनऊ की ओर से नोटिस देने को कहा था वह नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी अभी तक वह कम्पनी वहां से नहीं हटाई गई है? यदि हां, तो नोटिस किस तारीख को दिया गया और उक्त कारखाने को हटाने के लिये कितना समय दिया गया?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

यद्यपि नगर महापालिका लखनऊ ने पहले सूचित किया था कि प्रश्नगत कारखाने के मालिक के खिलाफ नोटिस जारी की जा रही है परन्तु महापालिका ने बाद में कारखाने के मालिक का

†छापी नहीं गयी।

नगर महापालिका अधिनियम की धारा ४०१ के उल्लंघन के आधार पर चालान कर दिया। इस धारा के अन्तर्गत किए हुए उल्लंघन का चालान करने के लिए नोटिस की आवश्यता नहीं होती है। मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।

श्री हरीसिंह (बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका अधिनियम की धारा ४०१ के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? और उस कारखाने के मालिक को उतना समय क्यों दिया गया ?

श्री वरमेश्वर पांडेय---

उसकी खबर मिलते ही तुरन्त कार्यवाही की गयी । चूंकि नोटिस देने में देर होती, इसलिए तुरन्त मुकदमा चला दिया गया ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तुरन्त का मतलब कितने दिन बाद हुआ ?

श्री वरमेश्वर पांडेय---

तुरन्त का अर्थ यह होता है कि जानकारी होने के साथ ही कार्यवाही की गयी ।

काजी सादुल्लापुरा, वाराणसी की हाउसिंग स्कीम

*१०---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काजी सादुल्ला पुरा, वाराणसी में भूमि खण्ड नं० ५ व ५/१५६ जो ओवर हेड टैंक चौका घाट के सन्निकट है वह लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में ली जा रही है जिसमें कुछ लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री को वहां के नागरिकों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १२ दिसम्बर, १९६६ को दिया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वरमेश्वर पांडेय---

जी हां, भूखण्ड सं० ५ व ५/१५६ लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में ली जा रही है। प्रार्थना-पत्र दिनांक १२ दिसम्बर, १९६६ नहीं अपितु ६ दिसम्बर, १९६६ मुख्य मंत्री को दिया गया था। इस सम्बन्ध में प्रशासक ने सूचित किया है कि इन लोगों का ले-आउट आर०बी० ओ० ऐक्ट के अनुसार नहीं था, अतः उसे कुछ आपत्तियों के साथ प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि इन व्यक्तियों ने मकान बनाने के लिए जमीन को खरीदा था ?

श्री वरमेश्वर पांडेय---

इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी करने की कृपा करेंगे कि इन लोगों ने उस जमीन को काफी दाम लगाकर खरीदा है और निजी रहने के मकान बनाना चाहते हैं। अगर वे ले आउट के मुताबिक नहीं हैं तो क्या वे (नगर महापालिका) इस बात को सूचित करेंगे कि वे ले आउट के मुताबिक नक्शे बनाकर नगर महापालिका को स्वीकृति के लिए दे दें ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

इस बारे में प्रशासक, नगर महापालिका को लिखा जायगा। उन लोगों को काफी सहूलियत है।

आजमगढ़ जिले में रबी खाद्यान्नों की वसूली

*११—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार ने किसानों से गल्ला वसूल करने की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

खाद्य उपमन्त्री (श्री शमीम आलम)—

जी हां। योजना का संक्षिप्त विवरण सदन में मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४५१–४५३ पर)

*१२—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अभावग्रस्त एवं सूखे से पीड़ित जिला आजमगढ़ में भी गल्ला वसूली की योजना लागू की गई है?

श्री शमीम आलम—

जी हां। जिला आजमगढ़ में गल्ला वसूली की योजना लागू की गई है परन्तु आर्डर में यह मौजूद है कि जहां दैवी प्रकोप के कारण गल्ला नहीं हुआ है वहां के किसानों को छूट दे दी जाय।

श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला हमेशा से अभावग्रस्त जिला रहा है। गत वर्ष के भयंकर सूखे से पीड़ित है। सरकार की तरफ से उत्तर मांगने पर जो रिपोर्ट सूखे के बारे में भूतपूर्व सरकार के मन्त्री ने दी थी सरकार ने उसको भी प्रकाशित नहीं किया। तब सरकार इन सारी बातों को देखते हुए आजमढ़ जिले को लैवी से मुक्त करने के बारे में विचार करने की कृपा करेगी?

श्री झारखण्डेराय—

आजमगढ़ जिले में रबी की फसल बहुत से इलाकों में बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन जिस क्षेत्र में ओला वृष्टि हुई वहां उसस काफी नुकसान हुआ है और उन क्षेत्रों में पर्याप्त छूट दे दी गई है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

आमतौर पर कितने क्षेत्र में वसूलयाबी नहीं की गई?

श्री अध्यक्ष—

क्षेत्र से मतलब आपका उस क्षेत्र का, या सारे प्रदेश का?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आजमगढ़ का।

श्री झारखण्डेराय—

आजमगढ़ जिले में ११ लाख ९८ हजार ८७२ खाते हैं जिन में इस समय ५,८३६ खातों पर वसूली हो रही है और इस समय कुल वसूली हमारी जो हो चुकी है वह ८६.७ प्रतिशत है। १,३२५ टन लक्ष्य रहा है कुल छूट के बाद और इस समय १,१४९.८ टन वसूल किया जा चुका है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मन्त्री जी जब इधर से बोलते थे तो कहते थे आधा-आधा सेर के ओले उन क्षेत्रों में गिरे हैं, तो क्या उन आधा सेर के गिरे ओलों के क्षेत्र को सरकार ने इस योजना से पहले ही छोड़ दिया था या जब मन्त्री जी उधर तशरीफ ले गए तब उन्होंने छोड़ने का आदेश दिया ?

श्री झारखण्डेराय—

प्रश्नकर्ता महोदय ने एक बार जब वक्तव्य दिया था वह वक्तव्य सही नहीं है। जो वहां छूट हुई वह नियमानुसार की गई। जिन क्षेत्रों में २५ फीसदी से ५० फीसदी तक फसल को हानि पहुंची थी वहां पर छूट दी गई आधे की और जिनमें ५० फीसदी से ऊपर नुकसान हुआ था वहां पूरी छूट दी गई। यह नियम के अनुसार हुआ था। मेरे जाने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि यह छूट पहले ही हो गयी थी या इस छूट को जब माननीय मन्त्री के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया गया तब इस तथ्य पर विचार कर के नियमों का पालन कराया गया ?

श्री झारखण्डेराय—

मैंने बताया स्पष्ट रूप से। मेरे सामने यह प्रश्न उपस्थित किया गया उस के पहले ही वहां छूट दी जा चुकी थी और वह कार्यवाही हो चुकी थी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मन्त्री जी का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में रबी की फसल अच्छी हुई। मैं जानना चाहता हूं कि घोसी और लालगंज क्षेत्रों में रबी की फसल का क्या हाल था ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी अगर आपके पास ब्योरा हो तो दे दें।

श्री झारखण्डेराय—

लालगंज क्षेत्र मुख्यतः धान पैदा करने वाला इलाका है। वहां रबी की फसल बहुत कम होती है। घोसी के इलाके में रबी की फसल अच्छी थी, खास करके जहां सिंचाई के साधन पहले से रहे हैं, चाहे नहरों के जरिए या ट्यूबवेल के जरिए। वह मेरा स्वयं का क्षेत्र है मैं जानता हूं कि वहां फसल बहुत अच्छी थी लेकिन चोट लगी है ओले से।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

जहां किसानों ने अपना हिस्सा नहीं दिया है उनकी तलाशी लेने के आदेश जारी हुए हैं ?

श्री झारखण्डेराय—

अभी तक ऐसे आदेश जारी नहीं किए गए हैं लेकिन ३० जून के बाद अगर गल्ला नहीं मिलेगा तो उसके बाद कार्यवाही की जायगी ?

श्री फूलसिंह—

बहुत से जिलों में तलाशी ली जा रही है और जो भी अनाज उनके पास से निकलता है उसे सब सरकार ले लेती है और खाने भर को भी उनके पास नहीं रह जाता है ?

श्री झारखण्डेराय—

इसके लिए सूचना की जरूरत होगी। वैसे हम इसकी जांच करायेंगे। ऐसे कोई स्पष्ट आदेश सरकार की ओर से अभी तक नहीं गये हैं।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

इस वसूली के सिलसिले में आजमगढ़ जिले में कितने किसानों का चालान हुआ है और कितने अफिसर मारे गये हैं?

श्री झारखण्डेराय—

सरकार की सूचना के अनुसार अभी तक किसी का चालान नहीं हुआ है और न कोई मारा गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

रबी में जो खरीद योजना है गल्ले की उसको ३० जून से भी आगे बढ़ाने का विचार है या अन्तिम तिथि ३० जून है?

श्री झारखण्डेराय—

अभी तक उसको बढ़ाने का विचार नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय—

जो सम्मिलित खाते हैं उनमें ३.१/८ एकड़ की जोत लेवी से मुक्त है लेकिन लेखपालों की गलती है बहुत से खाते ऐसे हैं कि वास्तव में तो पचासों सालों से अलग हैं, लेकिन वे सम्मिलित खाते में दिखाए गए हैं और उनको लेवी से मुक्त नहीं किया गया है?

श्री झारखण्डेराय—

साझे वाले खाते के बारे में सरकार का आदेश है सभी पर लागू है। लेकिन जिनके खाते एक हैं और मौके पर अलग हैं उन पर भी वे आदेश लागू हैं। एक साझेदार का ५ बीघे तक कब्जा है या उससे कम है तो वह छूटा है और अगर ५ बीघे से ऊपर हिस्सा है तो उस पर लेवी लागू की जायगी।

श्री फूलसिंह—

क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी कि किसानों की तलाशी में जो अनाज उनसे लिया जाय उसमें उनके पास उनके खाने भर को छोड़ दिया जाया करे?

श्री झारखण्डेराय—

मैं अपने पहले के जवाब में एक तरमीम करूंगा कि १५ जून के बाद जिलाधिकारियों को इस प्रकार की पावर दी गयी है कि वे किसानों के गल्ले को सीज कर सकते हैं और जो सवाल माननीय मेम्बर ने उठाया है वह विचारणीय है और जो गल्ला सीज किया जाय उससे उनके खाने पीने का इन्तजाम करने के बाद शेष उनसे वसूल किया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जिन जिलों में लक्ष्य पूर्ति हो गई है लेवी के सिलसिले में वहां भी क्या तलाशी के आदेश दिए गए हैं?

श्री झारखण्डेराय—

आदेश सब जगहों के लिए दिए गए हैं चाहे वहां लक्ष्य की पूर्ति हुई हो या न हुई हो। लेकिन लक्ष्य पूर्ति अभी तक एक ही दो जिलों में हुई है और जिले बाकी हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि इस प्रदेश में कुछ जिले हमेशा से अभावग्रस्त जिले माने जाते रहे हैं और वहां कभी भी लेवी या प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है। एक विशेष परिस्थिति में भले ही आपने वहां वसूली की हो लेकिन क्या सीज्योर वाला प्रोग्राम उन जिलों में भी आप लागू करेंगे?

श्री झारखण्डेराय—

जो अभावग्रस्त जिले माने जाते रहे हैं उनकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन सिंचाई के साधनों के कारण हुआ है। इस अवस्था को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो आदेश दिए गए हैं उनमें एक जनरल छूट जो हर जगह दी गयी है—१२ एकड़ पूर्वी जिलों में है और बुन्देलखंड में भी १२ एकड़ है—उसके बाद जिन पर लेवी लगायी गयी है उन्हीं से वसूली की जा रही है और उन्हीं के लिए सीज्योर के आदेश भी लागू किए गए हैं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब लालगंज तहसील धान का एरिया है और तीन साल से वहां सूखा पड़ रहा है तो क्या वहां भी गेहूं और जौ की वसूली हो रही है?

श्री झारखण्डेराय—

प्रश्न कर्ता महोदय की बात बिल्कुल सही है कि लालगंज क्षेत्र मुख्यतः धान पैदा करने वाला इलाका है। लेकिन उसके कुछ भागों में रबी की फसल भी होती है और जो बड़े-बड़े खेतिहर हैं जिन पर छूट के बाद भी लेवी लगायी गयी है उन्हीं से केवल वसूली की जा रही है।

श्री कालीचरण (जिला एटा)—

क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि जिन किसानों के पास गल्ला नहीं है उनसे ५०–६० रुपए क्विंटल अधिकारियों द्वारा रुपया लिया जा रहा है ताकि उनको गल्ला सप्लाई किया जा सके?

श्री झारखण्डेराय—

ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी विशेष क्षेत्र के बारे में लिख कर देंगे तो अवश्य ही उसकी पूरी तरह से जांच करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—

बदायूं जिले में लक्ष्य की पूर्ति के अलावा २५ फीसदी अधिक आ गया है। तो वहां पर जो सीज्योर के आर्डर्स मौजूद हैं क्या उन्हें वापस किया जायगा?

श्री झारखण्डेराय—

इस पर विचार किया जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता था कि आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी की जो देवारा की जमीन है जिसमें न कोई सिंचाई के साधन हैं और न गल्ले का उत्पादन ही बहुत अच्छा होता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी उस क्षेत्र की ओर उस इलाके की हालत को देखते हुए आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के किनारे की उस जमीन को जिसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है लेवी से मुक्त करने की कृपा करेंगे?

श्री झारखण्डेराय—

जिस क्षेत्र की ओर प्रश्नकर्ता महोदय का इशारा है सम्भवतः उसमें लेवी नहीं लगायी गयी है क्योंकि वह क्षेत्र है दोहरीघाट ब्लाक का, जहां ओला-वृष्टि बहुत भयंकर हुई है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं खाद्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि दोहरीघाट ब्लाक या किसी खास जगह से मेरा मतलब नहीं है। मैं सिद्धांत के रूप में यह सवाल करना चाहता था कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी और घोसी तहसील और घाघरा नदी का जो कछार का हिस्सा है क्या माननीय मन्त्री जी उस कछार के इलाके को लेवी से मुक्त करने की कृपा करेंगे?

श्री झारखंडेराय---

श्रीमन्, इतने विस्तार की सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कछार इलाके में भी रबी की फसल बहुत अच्छी होती है बशर्ते कि बाढ़ आ जाय जिसको हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए इस विशेष अवसर पर इस इलाके में छूट नहीं दी गई है। इसके लिए सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो लैवी नहीं दे सकेंगे उन लोगों को बन्द किया जायगा ?

श्री झारखण्डेराय---

जिन पर लैवी लगी है और नहीं दे रहे हैं उन पर कानूनी कार्यवाही जरूर की जायगी।

श्री मुक्तिनाथराय---

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि देवार की जमीन में पैदावार अच्छी होती है। मुझे दुख है कि मन्त्री जी ऐसा कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि सगड़ी की देवार में एक मन या डेढ़ मन बीघे की पैदावार होती है और सगड़ी में ज्यादा लैवी लगाई गई है। तो क्या सरकार देवार में लैवी लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री झारखण्डेराय---

जो सहूलियत और छूट के आदेश दिए गए हैं उनमें सगड़ी का वह इलाका भी शामिल है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं उसके लिए उनको अधिकार था कि वह अपने विशेष क्षेत्र या होल्डिंग के बारे में आवेदन-पत्र दे सकते थे और जो आपत्तियां आईं उन पर विचार करने के बाद काफी छूट दी गई और हमारी लैवी की मात्रा भी घटते-घटते बहुत कम रह गई है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, जो गल्ला देने लायक हैं और नहीं दे रहे हैं तो क्या उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री झारखण्डेराय---

मान्यवर, मैंने बताया कि सरकारी आदेश के बाद जिन्होंने आपत्तियां दाखिल कीं और उन पर निर्णय हो चुका है। इसके बाद जिन पर लैवी लगाई गई है, उनसे वसूली की जा रही है और की जायगी। अगर वे नहीं देंगे तो उन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का विचार है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में एक हाकिम परगना ने किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के कहने के कारण गल्ले की वसूली का काम नहीं किया इसलिए उसका ट्रांसफर कर दिया गया ?

श्री झारखण्डेराय---

इसके बारे में मुझे शिकायत मिली है और मैं उसकी जांच कर रहा हूं।

श्री रामायण राय---

मैं खाद्य मन्त्री से जानना चाहता हूं कि आज से दो तीन दिन पहले वह आजमगढ़ जिले में तशरीफ ले गए थे और लालगंज का दौरा किया। उस दौरे में जनप्रतिनिधियों के द्वारा गल्ला वसूली की अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, माननीय मन्त्री जी ने उनको ठीक करने के लिए क्या आदेश दिए हैं ?

श्री झारखण्डेराय---

जिस दौरे की चर्चा कर रहे हैं, अभी मैं वहीं से आ रहा हूं। वे तमाम प्रार्थनापत्र लेकर आ रहा हूं। उन सब की जांच की जायगी।

श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार ने गल्ला उगाही योजना किस प्रकार की बनायी थी? क्या उसमें पूर्वी जिले छोड़ गए थे?

श्री झारखण्डेराय---

मुझे जहां तक मालूम है जो पहले योजना बनी थी उसमें आमतौर पर सवा छै एकड़ तक पूरे प्रदेश में छोड़ने की योजना थी। इतना ही मुझे मालूम है।

श्री लक्ष्मीशरण आचार्य---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछली सरकार ने क्या प्रोक्योरमेंट स्कीम कोई फाइनल बना ली थी?

श्री झारखण्डेराय---

शायद फाइनल नहीं हो सकी थी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब तक कोई स्कीम सरकार की फाइनल नहीं होती उस समय तक उसकी बाबत कहना कि सरकार ने ऐसी योजना बनायी थी, यह मैं उन पर छोड़ता हूं, लेकिन....

एक सदस्य---

और भी सवाल हैं। एक ही सवाल पर सारा टाइम जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

अध्यक्ष का काम मुझे करना है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

मैं बलरामपुर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें वहां से आयी हैं उनमें इस बात की भी चर्चा है कि प्रदेशीय सरकार के कोई मन्त्री जो बलरामपुर गए थे और उन्होंने ट्रांसफर से पहले उस अधिकारी की काफी डांट-डपट की कि तुम हमारे कार्यकर्ताओं के कहने के मुताबिक गल्ले की वसूली क्यों नहीं कर रहे हो?

श्री झारखण्डेराय---

यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो तलाशी होगी कृषकों के यहां गल्ले के बारे में, उसमें जो वह अनाज कृषक के खर्च के लिए छोड़ा जायगा क्या उसमें गल्ले के रूप में दी जाने वाली मजदूरी भी छोड़ी जायगी?

श्री झारखण्डेराय---

जिनकी सहूलियत दी जायगी उन की सभी बातों पर विचार किया जा सकता है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में बलरामपुर तहसील अभावग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि वहां पर धान और गन्ना केवल पैदा होता है। इसी कारण वहां ८७

हजार के स्थान पर ५ हजार क्विंटल लेवी रह गयी है और उसमें से भी आधी वसूल नहीं हो पायी और इस समय जिन किसानों पर लेवी है उनको देना मुश्किल हो रहा है, इस लिए पूरा क्षेत्र लेवी से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखण्डेराय---

इसको देखना होगा कि कौन लोग मजबूरी से नहीं दे रहे हैं और कौन लोग जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं। इस पर छानबीन करने के बाद ही विचार किया जायगा।

श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि बलरामपुर क्षेत्र में विरोधी दल के नेताओं की सारी लेवी वहां के स्थानीय अधिकारियों ने प्रभाव में आकर माफ कर दिया था, उस सम्बन्ध में सरकार को जो शिकायत की गयी थी उसकी जांच करने डिप्टी कमिश्नर साहब गए थे, तो क्या यह शिकायत सही पायी गयी ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न तो उठता नहीं, फिर भी यदि खाद्य मन्त्री जी चाहें तो उत्तर दे दें।

श्री झारखण्डेराय---

इस पूरे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

फूड कमिश्नर की रिपोर्ट, अध्यक्ष महोदय, उनके पास है और माननीय प्रताप नारायण जी भी कह रहे हैं, इन्हें भी जानकारी है, फिर भी मन्त्री जी इसे दबा रहे हैं। वहां पर जनसंघ के एक मन्त्री महोदय गए थे और पार्टी के छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं के कहने पर सरकारी अधिकारियों को दबाया जा रहा है और उनसे गलत काम करवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

वह कह रहे हैं, विचार किया जा रहा है, अब इसको छोड़िए।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

माननीय खाद्य मन्त्री जी को क्या मालूम है कि आजमगढ़ जिले में कुछ क्रय केन्द्रों पर जब किसान अपना गेहूं लेकर गये, तो उनका गेहूं लेकर उसके बदले जौ लिखा गया ?

श्री झारखण्डेराय---

जी हां, सिर्फ एक स्थान ऐसा है जिसके बारे में शिकायत मिली है, वह स्थान मऊ है, जहां पर उप गृहमन्त्री गये थे और उन्होंने छापा डलवाया था। वह आदमी जेल भेज दिया गया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

ऊसर भूमि सुधार

*१३---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में कितनी भूमि ऊसर है उसमें से कितनी ऐसी है जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता है तथा गत वर्षों में ऐसी कितनी भूमि को खेती योग्य बनाया गया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि उपमन्त्री (श्री रूपनाथ)---

१९६४-६५ के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में २६,५९,४८० एकड़ भूमि ऊसर बंजर थी। इस में से कितनी भूमि कृषि योग्य है यह जानने के लिए गत वर्ष (१९६६-६७)

से एक सर्वेक्षण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के समाप्त होने पर ही यह सूचना प्राप्त हो सकेगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से सन् १९६४–६५ तक ३,३३,६०६ एकड़ ऊसर बंजर भूमि कृषि योग्य बनाने हेतु तोड़ी गई है।

*१४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि उत्पादन की दृष्टि से मन्त्री जी चतुर्थ योजना में ऐसी भूमि के सुधार एवं विकास की किसी योजना पर विचार करेंगे ?

श्री रूपनाथ—

सन् १९६४–६५ में ऊसर भूमि को सुधारने के लिए एक योजना सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है जिस पर कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चलता रहेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय कृषि मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सर्वेक्षण योजना वर्ष १९६६–६७ में चालू की गयी थी, उसमें अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

प्रगति के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि किस जमीन में कितनी लवणता है, या किस जमीन में कितनी क्षारता है, इन तमाम बातों का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है जो कहा जा सके कि कितना काम हुआ है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक जो जमीन खेती करने के लायक निकाली गयी है, उस पर खेती करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सिद्धांत निर्धारित किए हैं ? अर्थात् किस प्रकार से किन लोगों में उस जमीन को सरकार बांटेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

इस प्रकार से जो जमीन सुधरेगी वह रिज्यूम करके भूमिहीनों और छोटे काश्तकारों को दी जायगी।]

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि प्रदेश में गल्ले की बहुत कमी है, इस योजना का लागू करना अत्यन्त आवश्यक है, तो क्या उस सर्वेक्षण समिति को यानी उससे सम्बन्धित अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि वह तीन महीने के अन्दर उसकी रिपोर्ट आपके सामने रख दें ?

श्री जयराम वर्मा—

तीन महीने के अन्दर तो रिपोर्ट देने को नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह देखा जायगा कि काम में किसी प्रकार की ढिलाई न हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सन् १९६४–६५ में ३ लाख ३३ हजार ६०६ एकड़ जो भूमि तोड़ी गयी है कृषि योग्य बनाने हेतु, वह सरकार ने छोड़ी है या ग्राम समाज के जरिए छोड़ी गयी है, या सरकार ने किसी योजना के अन्तर्गत कृषकों से छुड़वाई है ?

श्री जयराम वर्मा--

इसकी कोई निश्चित सूचना नहीं है कि कितनी काश्तकारों ने तोड़ी है और कितनी सरकार ने तुड़वाई है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि पहले से यह शिकायतें हैं कि काफी जमीन वाले अपने लड़कों और औरतों को भूमिहीन बनाकर बहुत सी ग्राम समाज की जमीन ले लेते हैं? तो जमीन बांटने के विषय में सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करेगी जिससे वास्तव में भूमिहीन जो हैं उनको जमीन दी जा सके?

श्री जयराम वर्मा--

इस तरह की शिकायतें रही हैं। अब आगे वे शिकायतें न हों इसके लिए यह सोचा है कि ग्राम समाज के नियमों में सुधार किया जाय। वह सुधार यह है कि ग्राम समाज की मीटिंगों में जो हुआ करे उसकी कार्यवाही की एक रिपोर्ट पंचायत मन्त्री के पास आ जाय और पंचायत मन्त्री उस रिपोर्ट को ग्राम सभा को पढ़कर सुना दें जिससे अगर किसी बात की गड़बड़ होती है तो उसकी जानकारी फौरन हो जाय और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके जिससे इस तरह की शिकायतें, कि भूमिहीनों को जमीन देकर बड़े लोग ले लेते हैं, रुक सकें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय कृषि मंत्री को इस बात की सूचना है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई थी जिससे ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाया जा सके और यह योजना प्रदेश के कुछ हिस्सों में चली तो उस योजना में कितनी प्रगति हुई और उसका क्या हाल है इस विषय में कुछ विवरण दिया जायगा?

श्री जयराम वर्मा--

प्रश्न १३ के उत्तर में यह लिखा हुआ है कि ६६-६७ में केन्द्रीय सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत सर्वेक्षण किया जा रहा है कि यह जो २६,५९,४८० एकड़ भूमि ऊसर, बंजर है वह किस प्रकार की है और उसमें कितनी जमीन ऐसी निकलती है जिसको खेती योग्य बनाया जा सकता है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह जमीन किस कैटेगिरी की है जिसका वह पता लगाना चाहते हैं. क्या उन जमीनों में वह जमीन भी है जो बड़ी नदियों के तट पर १, डेढ़ मील खादर में प्लाट पड़े हैं? तो क्या उनकी भी जांच कराना चाहते हैं?

श्री जयराम वर्मा--

इस स्कीम के अन्तर्गत यह जमीन, जो ऊसर या बंजर है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

श्री सोहनलाल धुरिया--

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिस तरह से गांव सभा के जरिये से जमीन के बंटवारे में कटु अनुभव हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुये यह जमीन का बटवारा किसी दूसरी एजेन्सी के द्वारा कराया जाय?

श्री जयराम वर्मा--

अभी ऐसा विचार नहीं है। जो अभी तक गलती हुई है उसको सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री ऊदल--

मैं यह जानना चाहूंगा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऊसर, बंजर सुधार योजना चलाई गई थी और मंत्री जी के रास्ते में बाराबंकी जिले में बहुत बड़ी ऊसर एक हजार एकड़ जमीन के लगभग थी जिस पर सरकार ने लाखों रुपया खर्च करके खेती का काम शुरू किया था, क्या वह समाप्त हो गई ?

श्री जयराम वर्मा--

किस योजना के अन्तर्गत तोड़ा गया है इसके बारे में सूचना की आवश्यकता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६४--६५ में ऊसर भूमि के सुधारने की सरकार ने योजना बनाई थी तो तीन वर्षों में उसने कितनी भूमि सुधारी है और उस योजनाकी क्या रूप-रेखा है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--

१०,००० एकड़ भूमि जो इस योजना के अन्तर्गत ली गई थी उसमें से ७,०६१ एकड़ में बंधी के निर्माण का काम पूरा हो गया है। रूप-रेखा वही है कि ये जमीनें ऐसी जगह दी गयी हैं जो सरकारी नलकूपों के करीब हैं और जिनकी पोटेंश्यलिटी का पूरा उपयोग नहीं होता उन्हीं को लेकर भराव कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वह जमीन अच्छी हो जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कृषि मंत्री जी के सामने उत्तर प्रदेश कृषि परिषद् की उस समिति की रिपोर्ट जो भूमि सुधार के संबंध में बनायी गयी थी, पेश हुई है ?

श्री जयराम वर्मा--

जरा बता दें कि किस रिपोर्ट के बारे में उनका कहना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। कृषि मंत्री जी उस ऊसर भूमि को सुधारने के संबंध में उस उप समिति, उत्तर प्रदेश कृषि समिति परिषद्, की उन सिफारिशों पर गौर करेंगे जो उन्होंने इस संबंध में सरकार को दी है ?

श्री जयराम वर्मा--

जरूर विचार किया जायगा।

*१५-१६--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

[३ जुलाई, १९६७ के लिये प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

यू० पी० कारपोरेशनों की माली हालत

*१७--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, १९६७ के तीसरे सप्ताह में यू० पी० कारपोरेशन की माली हालत का जायजा लेने के लिये कोई कमीशन सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इस कमीशन के मेम्बर कौन हैं ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय--

ऐसा कोई कमीशन नियुक्त नहीं किया गया है।

*१८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

[२रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जालौन जिले में ग्रामीण जन-शक्ति योजनान्तर्गत व्यय

*१९—चौधरी शंकरसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में कालपी तहसील में रूरल मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि का व्यय स्वीकार किया गया था तथा ३१ मार्च, १९६७ तक कितना कार्य हुआ ?

श्री रूपनाथ—

ग्रामीण जन शक्ति योजना में कार्य तहसीलवार स्वीकृत नहीं किये जाते बल्कि ब्लाक वार स्वीकृत किये जाते हैं । तहसील कालपी में पड़ने वाले ब्लाक काल्पी में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत कार्य करने के लिये ३,३५,३०० रुपया दिया गया तथा ३,३५,१९४ रुपया १४ पैसे के कार्य उसी योजना काल में हुये । १-४-६६ से ३१-३-६७ तक इस ब्लाक को २,८४,६५० रुपया और दिया गया जिसमें से १,५१,०६४ रु० ३९ पैसे के कार्य हुये । कार्य जो हुये उनकी सूचना संलग्न परिशिष्ट में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४५४ पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी से इतना कहना चाहता हूं कि जो उत्तर आते हैं लिखित उनको मैं भी पढ़ नहीं पाता, तो कृपया आदेश दें कि साफ उत्तर आया करें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे यह भी कहना है कि मंत्री जी जब पढ़ें तो ऐसा पढ़ें जिसको हम समझ तो लें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, पढ़ें भी अच्छा और छापें भी अच्छा ।

चौधरी शंकरसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद रौरा ब्लाक में हुआ उसमें ब्यौरेवार हर कार्य पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

रुपया कितना खर्च हुआ है, वह बता दिया गया है । काम जो तीनों योजनाओं में हुआ है वह मैं सामने रख दूंगा ।

चौधरी शंकरसिंह—

किस कार्य पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री जयराम वर्मा—

मवई रजबहे की दाहिनी पटरी पर जो करीब ६ मील २ फर्लांग है, उस सर्विस रोड को पक्का करने पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में १,५५,७४१.१४ रुपये व्यय हुये । १-४-६६ से ३१-३-६७ तक ८३ हजार रुपये हुये । एक दूसरे काम पर तृतीय योजना में करीब १,७९,४५३ रुपये व्यय हुये तथा १-४-६६ से ३१-३-६७ तक ३६,६५० रु० दिये गये । इसी तरह इसके बाद एक काम पर १-४-६६ से ३१-३-६७ तक १,७२,००० रुपये दिये गये ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जिस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग में वहां के कामों की निगरानी के लिये एक इंजीनियर और ओवरसियर्स की ऐजेन्सी होती है उसी प्रकार की कोई ऐजेन्सी इस ग्रामीण शक्ति योजना के अन्तर्गत होने वाले कामों की देख-रेख के लिये नहीं है, यदि नहीं है तो क्या सरकार उसे रखने पर विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

पिछली सरकार ने २७ अप्रैल, ६६ को यह निर्णय लिया था कि यह काम जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों द्वारा किया जायगा ? इसलिये इस योजना के अन्तर्गत जो काम होगा उनकी देखभाल वे ही करेंगी ।

चौधरी शंकरसिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जितना रुपया इस योजना के अन्तर्गत खर्च हुआ उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—

इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ऐसी भी सूचना मिली है कि इस योजना पर खर्च के लिये जो रुपया जिला परिषदों आदि को दिया गया वह खर्च नहीं हो पाया और क्या सरकार इस कारण उनसे वह अधिकार छीनकर कोई दूसरी व्यवस्था इसके लिये करने पर विचार कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मैंने एक आदेश की जो पहले तारीख बतलायी थी वह ३० जून, १९६६ है । जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है, अगर यह देखा जायेगा कि जिला परिषदें या जिला क्षेत्र समितियां इस काम को ठीक तरह से नहीं कर रही हैं, तो इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुये कि जन शक्ति योजना के अन्तर्गत जिन जिलों में काम हो रहा है उनमें बहुत से ब्लाक ऐसे हैं कि जिनको आज तक नहीं लिया गया, क्या सरकार पूरी योजना के रूप में इस पर पुनः विचार करेगी ताकि उन ब्लाकों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जा सके जहां सड़कों और दूसरी जरूरी चीजों का अभाव है ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन, यह तो सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम है । जितनी वह मंजूरी देते हैं उतना इसका विस्तार किया जाता है । अभी तक २३ जिलों के १६९ ब्लाकों में यह योजना चालू है । अभी इसके और प्रसार के बारे में आदेश नहीं आये हैं । जब ऐसे आदेश आ जायेंगे तो देखेंगे कि कौन से ब्लाक इसमें लिये जाने चाहिये और उस समय जो ठीक मालूम पड़ेगा उन ब्लाकों को अवश्य ले लिया जायेगा ।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रूरल मैन पावर योजना के अन्तर्गत यदि किसी काम को निर्माण विभाग करता है तो उसको दस परसेन्ट दिया जाता है और अगर जिला परिषदें करती हैं तो उनको ५ परसेन्ट दिया जाता है । तो यह अन्तर क्यों है ?

श्री जयराम वर्मा--

यह तो पुरानी सरकार ने जो फैसला किया है जिन संस्थाओं से काम कराने का और उनको रेट्स देने का, उसी के अनुसार यह काम कराया जा रहा है। अभी इस सरकार ने इस में कुछ तब्दीली करने के लिये विचार नहीं किया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की क्या करेंगे कि क्या उनके पास ऐसी भी सूचना है कि कहीं किसी जिला परिषद् ने किसी काम को कराने के लिये जिम्मेदारी ले ली हो लेकिन उसे न कराया जा रहा हो ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य ऐसी कोई सूचना देंगे तो हम उसे जरूर देखेंगे और उस काम को कराने का प्रयास करेंगे।

*२०--श्री राधेश्याम कपूर--

[२रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

लखनऊ में पकड़ा गया गल्ला

*२१-श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में १ मार्च, १९६७ से ७ अप्रैल, १९६७ तक छापे मार कर कितना-कितना गल्ला किस-किस व्यक्ति, फर्म या संस्था का पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शमीम आलम--

लखनऊ में १ मार्च, १९६७ से ७ अप्रैल, १९६७ तक छापे मारकर जो गल्ला जिस जिस व्यक्ति, फर्म या संस्था का पकड़ा गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से एक मामला न्यायालय में भेजा गया है, एक में फाइनल रिपोर्ट लग गई है तथा शेष में पुलिस जांच कर रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ..४५५..पर)

श्री राधेश्याम कपूर--

अध्यक्ष महोदय, यह जो गल्ला पकड़ा गया है यह लगभग छः हजार मन है और उसकी कीमत ३ लाख रुपया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह गल्ला सरकारी कब्जे में कब से है ?

श्री झारखण्डेराय--

जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है, १ मार्च से ७ अप्रैल के बीच में जो गल्ला पकड़ा गया है उस समय से वह सरकार के ही कब्जे में है।

श्री राधेश्याम कपूर--

जो गल्ला चौक, लखनऊ में पकड़ा गया था वह भी इसमें शामिल है अथवा नहीं ?

श्री झारखण्डेराय--

मान्यवर, चौक का गल्ला इसमें नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चौक, लखनऊ में जो गल्ला पकड़ा गया था उसके बारे में हमारे कौंसिल के एक सदस्य डा० पी० डी० कपूर, एम०एल०सी० ने एक बयान दिया था कि वह बहुत गलत हुआ और उनके बयान पर इस संयुक्त विधायक दल की सरकार ने उस गल्ले को तितर-बितर कर दिया ?

श्री झारखण्डेराय--

गल्ले पर जो रेड्स की चर्चा है वह १ मार्च से ७ अप्रैल के बीच की है। उस समय इस संयुक्त विधायक दल की सरकार पदासीन नहीं हुयी थी। ६ अप्रैल को उसने चार्ज लिया था और यह किसी एम० एल० सी० के कहने से ऐसा किया गया इसकी सूचना हमारे पास नहीं है। जिन फर्मों पर रेड्स हुये और गल्ला पकड़ा गया उसकी सूची हमारे पास है और उस सूची में इसकी कोई चर्चा नहीं है जिसके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चौक के गल्ले के पकड़ने के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी हुई ?

श्री झारखण्डेराय--

इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास केवल वह सूचना है जो मूल प्रश्न से संबंधित है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पिछली सरकार और संयुक्त विधायक दल की सरकार कहकर डिस्टिंक्शन पैदा किया जा रहा है। लीगली उनको सरकार की तरफ से जवाब देना चाहिये, एस० वी० डी० सरकार का ठेका नहीं लेना चाहिये।

श्री राधेश्याम कपूर--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब गल्ले की इतनी कमी है तो इतने दिनों से गल्ला सरकारी कब्जे में क्यों है ? इस गल्ले को जनता में क्यों नहीं बंटवा दिया जाता ?

श्री झारखण्डेराय--

हम कोर्ट की आज्ञाओं का इन्तजार कर रहे हैं। कोर्ट की आज्ञायें केवल तीन केसेज में मिलीं कि उस गल्ले को बेच सकें। जो दोषी लोग थे वे दो विषयों में तो सेशन कोर्ट से स्टे आर्डर ले आये और एक तो हाई कोर्ट तक दौड़ गये। इसमें हमारी मजबूरी है। आज के कानून कायदे पूंजीपतियों की मदद करते हैं, क्या किया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, चौक, लखनऊ में जो रेड हुआ उसमें दोषियों को १ अप्रैल, १९६७ के पहिले पकड़ा गया था या बाद में ?

श्री झारखण्डेराय--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। प्रश्न केवल १ मार्च, १९६७ से ७ अप्रैल, १९६७ तक के छापों से संबंधित है। प्रश्न से संबंधित सूचना ही मेरे पास है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

इस प्रश्न पर आध घंटे की बहस हो जाय .....

श्री अध्यक्ष--

कृपया लिखकर भेज दीजिये।

आचार्य दीपाङ्कर--

श्रीमन्, जो गल्ला पकड़ा जाता है, उसके बारे में नई सरकार का भी तजुर्बा है कि चोर-बाजारिये अदालत की शरण ले लेते हैं और इस तरह से गल्ला पड़ा रहता है। तो क्या खाद्य मंत्री जी कानून में ऐसा संशोधन करने की सोच रहे हैं जिस से चोरबाजारियों से जनता और सरकार बची रहे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न के आखिरी हिस्से को आप फिर दोहरा दीजिये।

आचार्य दीपाङ्कर--

क्या सरकार कानून में ऐसा संशोधन करने जा रही है जिस से जनता और सरकार दोनों को हैरसमेंट में डालकर, स्टाकिस्ट्स और चोरबाजारिये सबको तंग करते हैं कोर्ट की सहायता लेकर ?

श्री झारखण्डेराय--

जरूर विचार किया जायेगा। आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राधेश्याम कपूर--

क्या मंत्री जी के लिये यह संभव है कि जो गल्ला सरकारी कब्जे में आये उसका मूल्य देकर उसे फिर जनता में वितरण कर दे ?

श्री झारखण्डेराय--

उसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले में गल्ला वसूली रोकने की प्रार्थना

*२२--श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा और राम गंगा के बीच बाढ़-पीड़ित तथा रबी की फसल के लिये सिंचाई के साधनों के अभाव वाले क्षेत्र पर भी गल्ला (लेवी) वसूली के नोटिस हाल ही में दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त ऐसे आदेश प्रसारित करेगी, जिस से उन क्षेत्रों में गल्ला वसूली रोकी जाय ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री झारखण्डेराय--

जी हां।

जी नहीं। अपर्याप्त पैदावार के संबंध में छूट देने के आदेश जिलाधीशों को पहले से ही हैं।

जिला सप्लाई आफिस, शाहजहांपुर में राशन कार्ड के लिए प्रार्थना-पत्र

*२३--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सप्लाई आफिस, शाहजहांपुर में नये राशन कार्ड बनाने के लिये तथा होटलों व हलवाइयों के कार्ड बनाने के लिये १ अप्रैल, १९६६ से लेकर

नोट--तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

३० अप्रैल, १९६७ तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि कई हजार दरख्वास्तों पर अब तक कोई आर्डर न होने की क्या वजह है ?

श्री झारखण्डेराय—

जिला सप्लाई आफिस शाहजहांपुर में १–४–६६ से ३०–४–६७ तक नये राशन कार्ड बनवाने हेतु ९६४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से ८२९ पर नये राशन कार्ड जारी किये गये। १२८ प्रार्थना-पत्र जांच के उपरान्त रद्द कर दिये गये और ७ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

होटल व हलवाइयों के मैदा व शकर के कार्ड बनवाने हेतु उपरोक्त अवधि में १२३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से ३१ को नये कार्ड जारी किये गये व ६४ प्रार्थना-पत्रों पर मैदे के स्पेशल परमिट जारी किये गये। शेष २८ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

लखनऊ में दारुलशफा के पीछे इम्प्रूवमेंट स्कीम

*२४—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दारुलशफा विधायक निवास, लखनऊ के पीछे के क्षेत्र में जो इम्प्रूवमेंट स्कीम लगभग २७ वर्षों से लम्बित है, उसके तुरन्त कार्यान्वित करने के संबंध में मार्च, १९६४ में श्री हरभगवान दुवा का तथा अक्तूबर, १९६६ में सर्वश्री रामेश्वर नाथ चौबे व सत्यनारायण पांडेय, भूतपूर्व विधायकों के पत्र प्रशासक, नगर महापालिका तथा स्वायत्त शासन मंत्री को मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वरमेश्वर पाडण्ये—

श्री हरभगवान दुवा का पत्र मार्च, १९६४ में नगर महापालिका, लखनऊ को मिला था। सर्वश्री रामेश्वर नाथ चौबे व सत्य नारायण पांडेय के पत्र अक्तूबर, १९६६ में स्वायत्त शासन मंत्री को मिले थे जो प्रशासक को भेज दिये गये थे। प्रशासक से कथित योजना के संबंध में निश्चित सुझाव (Specific proposal) मांगा गया है।

*२५–२६—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

[३रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २५–२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बाघम्बरी आवास योजना, इलाहाबाद

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाघम्बरी (अल्लापुर) आवास योजना, इलाहाबाद कितने दिन से चल रही है और नगर महापालिका की ओर से उसमें अब तक क्या कार्य हुआ है ?

श्री वरमेश्वर पाडण्ये—

कथित योजना २६ जून, १९६५ से चल रही है। नगर महापालिका ने शासन द्वारा इस योजना की स्वीकृति की घोषणा नगर महापालिका अधिनियम १९५९ की धारा ३६३(१) के अन्तर्गत प्रकाशित कर दी है और भूमि अर्जन की कार्यवाही हो रही है।

*२८–२९—श्री कृष्णानन्द राय—

[१० जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये।]

भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर बी० डी० ओ०

*३०—श्री होरीलालयादव (जिला इटावा) तथा श्री मधुकर दिघे—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, १९६६ में कितने बी० डी० ओ० की नियुक्ति भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर की गई, उनके नाम और पते क्या हैं ? तथा भूमि संरक्षण अधिकारी के पद के लिये योग्यतायें क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

६ बी० डी० ओ० की नियुक्ति भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर की गयी उनके नाम तथा पते निम्नलिखित हैं—

(१) श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल, बिनोली, मेरठ,

(२) श्री जंगजीत सिंह, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, बिछपुरी, आगरा ।

(३) श्री राम सबल मिश्र, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर ।

(४) श्री शीतला प्रसाद सिंह, प्रतापगढ़ ।

(५) श्री आनन्द स्वरूप भरद्वाज, धनपतगंज, सुल्तानपुर ।

(६) श्री तुलसीदास व्यास, राबर्टसगंज, मिर्जापुर ।

भूमि संरक्षण अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये निम्नलिखित योग्यतायें निर्धारित की गयी हैं—

(क) अनिवार्य :—

(१) इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षित व्यक्तियों के लिये—

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एग्रीकल्चरल या सिविल इंजीनियरिंग में बेचलर डिग्री या इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स इंडिया के एसोशियेट मेम्बरशिप इक्जामिनेशन का सेक्शन (ए) तथा (बी) सिविल ।

(२) कृषि तथा संबंधित विषयों में शिक्षित व्यक्तियों के लिये :—

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी० एस-सी० अथवा बी० एस-सी० (ए०जी) डिग्री तथा एग्रानोमी या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या स्वायल साइंस या भूमि संरक्षण में कम से कम दो वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण,

(ख) वरीयान :

(१) भूमि तथा जल संरक्षण में प्रशिक्षण,

(२) भूमि तथा जल संरक्षण से संबंधित किसी संस्था या संगठन में कार्य का अनुभव,

तथा (३) किसी कोर्स में स्वायल कन्जर्वेशन इन्जीनियरिंग विषय का अध्ययन, केवल इंजीनियरिंग में शिक्षित व्यक्तियों के लिये ।

बरेली नगरपालिका के वाटर टैक्स सुपरिन्टेन्डेंट की बहाली

*३१—श्री जमीलुर्रहमान (जिला बाराबंकी) तथा श्री मुहम्मद रफी खाँ—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड, बरेली के वाटर टैक्स सुपरिन्टेंडेन्ट की मुलाजिमत जून, १९६४ में खत्म कर दी गई और जिनकी अपील पर सरकार ने उनको १८ जून, १९६६ को मय तनख्वाह के बहाल कर दिया और म्युनिसिपल बोर्ड, बरेली को उनको चार्ज देने का हुक्म दिया, मगर अभी तक उनको चार्ज नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री परमेश्वर पाण्डेय—

जी हां, यह सत्य है कि नगरपालिका बरेली के वाटर टैक्स सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री जाकिर उद्दीन खाँ की नौकरी जून, १९६४ में खत्म कर दी गई थी और उनकी अपील पर सरकार ने दिनांक १८ जून, १९६६ के आदेश द्वारा उन्हें मय तनख्वाह के बहाल कर दिया । परन्तु यह सही नहीं है कि उनको अब तक चार्ज नहीं मिला ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*३२—श्री मुल्कीराज (जिला सहारनपुर)—

[२रे सोमवार के लिये प्र० सं० १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

पीलीभीत जिले में गन्ने की कीमत में नेशनल सेविंग प्रमाण-पत्र

*३३—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला पीलीभीत में गन्ने के काश्तकारों से ५ प्रतिशत गन्ने की कीमत में से नेशनल सेविंग प्रमाण पत्र लिये गये हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से यह सब हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—

पीलीभीत जिले को चार सहकारी गन्ना समितियों के गन्ना उत्पादकों को उनके वर्ष १९६६-६७ के गन्ने के मूल्य का भुगतान नकद तथा नेशनल सेविंग प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रों के रूप में विभिन्न दरों में, उन समितियों के संचालक मंडलों के निर्णयों के अनुसार न कि किसी अधिकारी के आदेश से, किया गया ।

अतारांकित प्रश्न

नगरपालिका अमरोहा

१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाकिम परगना, अमरोहा ने नवम्बर और दिसम्बर, सन् १९६६ में नगरपालिका अमरोहा, के संबंध में की गई अपनी इनक्वायरी में यह सिफारिश की है कि बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जिले में चीनी का वितरण

२—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार को पता है कि जिला शाहजहांपुर में आजकल ग्रामीण लोगों को उनके विवाह आदि अवसरों पर भी चीनी नहीं मिल रही है विशेष कर तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर जिससे जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त उक्त स्थान के ग्रामीण लोगों के लिये चीनी दिलाने की विशेष व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री झारखण्डे राय—

जी नहीं, ग्रामीण जनता की सुविधा हेतु प्रत्येक तहसीलदार अपनी तहसील में विवाह आदि के लिये दिये गये प्रार्थना पत्रों पर चीनी का परमिट देते हैं । इसके लिये तहसीलदारों को प्रति माह बराबर चीनी के एलाटमेंट दिये जा रहे हैं ।

इस एलाटमेंट की मात्रा निम्नलिखित है :—

माह अप्रैल, १९६७

१—तहसील तिलहर	२०	बोरी
२—तहसील सदर	३५	बोरी
३—तहसील जलालाबाद	१०	बोरी
४—तहसील पुवायां	१०	बोरी
	७५	बोरी

माह मई, १९६७

१—तहसील तिलहर	..	..	..	२०	बोरी
२—तहसील सदर ..	..	..	..	२५	बोरी
३—तहसील जलालाबाद	..	..	..	२०	बोरी
४—तहसील पुवायां..	..	..	..	२५	बोरी
				९०	बोरी

मनकापुर ब्लाक में ग्राम सेवक

३—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक मनकापुर, जिला गोंडा में कितने ऐसे ग्राम सेवक हैं जिनको तीन वर्ष से अधिक कार्य करते हुये हो गया ?

श्री जयराम वर्मा—

पांच ग्राम सेवक ।

लखनऊ महापालिका को गृह निर्माणार्थ दिया गया धन

४—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, सन् १९६५ में जो निम्न आय वालों को मकान बनाने हेतु सरकार की ओर से १० लाख रुपये लखनऊ नगरमहापालिका को दिया गया था, उसमें से कितनी धनराशि वितरित की गई तथा शेष के न वितरण करने के क्या कारण थे तथा इस कारण से नगर महापालिका को ब्याज की कितनी हानि हुई ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

कथित धनरशि लखनऊ नगर महापालिका को ३१ मार्च, १९६५ को प्राप्त हुई थी । उक्त धनराशि में से कोई अंश अभी तक वितरित नहीं किया जा सका क्योंकि मार्च, १९६५ में ही नगर महापालिका ने इस धन को अन्य मदों पर व्यय कर दिया था । नगर महापालिका को मोटे तौर पर लगभग ५९,३९३ रु० की हानि हुई ।

ग्राम पंचायतों के चुनाव

५—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव एक वर्ष के लिये स्थगित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

जैतीपुर ब्लाक से सीमेंट व ऋण का वितरण

६—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के कार्यालय में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितना कर्जा १ जनवरी से ५ अप्रैल, १९६७ तक दिया गया और कितने परमिट इसी समय में सीमेंट के बी० डी० ओ० द्वारा दिये गये ?

श्री जयराम वर्मा—

विकास क्षेत्र, जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर से कार्यालय में १ जनवरी, १९६७ से ५ अप्रैल, १९६७ तक लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया। इसी समय में लघु सिंचाई कार्य हेतु २,६३९ बोरी सीमेन्ट के परमिट क्षेत्र विकास से दिये गये। १-१-६७ से ५-४-६७ तक भूमि विकास बैंक की तिलहर शाखा द्वारा २३,३००-०० रुपया का ऋण अल्प सिंचाई कार्यों हतु दिया गया तथा अन्य कार्यों क लिये २०८ बोरी (२,६३९ बोरी के अतिरिक्त) सीमेन्ट परमिट दिये गये ।

७—श्री राधेश्याम कपूर—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

विधान सभा सदस्य, श्री राजबली पर कथित आक्रमण के सम्बन्ध में सूचना

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, एक सदस्य हमारे आये हैं जिनका सिर फट गया है। उनकी बात जरा सुन लें। वह खड़े हैं। उनको कष्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य के विषय में मेरे पास सूचना आई है और वही उसका तरीका है। उसे मैंने सरकार के पास तुरन्त अविलम्ब कार्यवाही के लिय भज दिया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

असेम्बली का सेशन चल रहा है, उन्हें यहां काम करना है लेकिन चोट की वजह से वह दिक्कत में हैं। यह बड़ा अहम सवाल है और उत्तर प्रदेश में ला ऐन्ड आर्डर कैसे चल रहा है, उसका निशान है। यह सरकार आसानी से मानने वाली नहीं है। आप माननीय सदस्य की बात सुन लें, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को चोट लगी और कष्ट हुआ। मुझे इस पर भी खेद है कि इस ओर कार्यवाही नहीं हुई। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य अविलम्ब कार्यवाही करेगी। यही सदन में हो सकता है।

श्री राजबली (जिला फैजाबाद)—

आपको जो सूचना है वह पूरी नहीं है। मैं पूरा स्टेटमेन्ट.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इस तरह से अनुमति नहीं दूंगा। आप लिखित स्टेटमेन्ट मुझे दे दें।

श्री राजबली—

यह कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। मेरे ऊपर हमले में पुलिस का हाथ रहा है, पुलिस कप्तान का रहा है। मेरे पीछे यह षड्यन्त्र है। मुख्य मंत्री ने इस संबंध में मुझ से कहा कि पुलिस कप्तान ठीक कर रहा है। मैं बहुत-सी बातें सदन में रखना चाहता हूं। पुलिसवालों ने मुझे मरवाकर फेंकवा दिया और सदन में मेरी फरियाद भी नहीं सुनते हैं। मैंने.....

श्री अध्यक्ष--

आपने मेरी अनुमति के बिना भी सदन का समय ले लिया, जो बहुत उचित नहीं है। मैं यह इजाजत नहीं दे सकता कि कोई माननीय सदस्य एकाएक कोई बयान देने लगें। आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप मुझे लिखित सूचना दे दीजिये। जो बयान मेरे पास आया है उसमें कोई ब्योरा या विस्तार नहीं है। अगर आप उसे नाकाफी समझते हैं तो आप मेरे पास विस्तार से लिखकर भेज दीजिये। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को कष्ट पहुंचा और यदि वह यह कहें कि मैं उन्हें अवसर नहीं देना चाहता हूं इससे मेरे हृदय को भी ठेस पहुंचती है। मैं नहीं चाहता कि किसी माननीय सदस्य के कष्ट का उपचार न हो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

इसमें सदन के अपमान का प्रश्न भी उठता है....

श्री राजबली--

जो सूचना मैंने दी है उससे कोई और विस्तृत सूचना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष--

आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ठीक नहीं है कि आप ज्यादा बोलें। मैं उसे देख लूंगा। अभी उसका समय आवेगा। कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जायगा। तब तक मैं इसके बारे में कुछ जानकारी भी कर लूंगा।

श्री राजबली--

जो चोट मेरे लाठी से लगी है वह इतनी नहीं खल रही है। जो चोट मेरी सरकार द्वारा लगी है वह अधिक खल रही है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

कदाचित् माननीय सदस्य को इस सदन का कार्य करने से रोका गया है और सदन के कार्य में बाधा डाली गई है। इस प्रकार सदन का अवमान हुआ है और मैं इसकी नोटिस देता हूं। इसके बाद आगे कार्यवाही की जानी चाहिये। माननीय सदस्य मौजूद हैं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

मैं आपसे यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि किन-किन महानुभावों के द्वारा आपके पास श्री राजबली के बारे में सूचना आई है। क्या उस सूचना को हाउस में पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्नों का समय तो समाप्त हो गया। कार्यक्रम के अनुसार जब यह आइटम आयेगा, तब मैं इसको लूंगा और उसी समय यह भी बताऊंगा कि किस माध्यम से मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है और जो सूचना आयी है, वह भी बताऊंगा।

श्री रामायण राय (जिल देवरिया)--

मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा रही है कि माननीय सदस्यों के कार्य निष्पादन में यदि कोई बाधा उपस्थित होती है तो उसमें आपकी ओर से सदा ही सहयोग मिला है। यदि सदन के समक्ष कोई ऐसी चीज आती जो देखने में किसी माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन है तो उसके लिये लिखित सूचना देनी आवश्यक नहीं होती यदि कोई माननीय सदस्य सदन के समक्ष ही उपस्थित हों। हम सभी को यह जिज्ञासा हो रही है कि इस प्रकार के व्यवहार को करके उनके विशेषाधिकार का हनन किया गया है। (व्यवधान) मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब माननीय सदस्य सदन के समक्ष कोई बयान दे रहे हैं तो सदन के विशेषाधिकारों को देखते हुये, सदन की मर्यादा को देखते हुये, आप हमारे अधिकारों के रक्षक होने के नाते, माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ी कठिनाई का अनुभव करता हूं जब ऐसे एक माननीय सदस्य के विषय मे बार-बार एक ही बात कही जाती है। उनके जो चोट लगी है, उसके लिये तो मैं खेद प्रकट कर चुका हूं और यह भी कह चुका हूं कि नियमों के अनुसार उसका उपचार करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसके लिये कम से कम नियमों को चोट न पहुंचाइये। मेरे पास विशेषाधिकार की दो सूचनायें आयीं हैं उनमें वह शिकायत कहीं नहीं की गयी है जो आप कर रहे हैं। बहरहाल, जब उसका समय आयेगा तो मैं उसको लूंगा। थोड़े समय बाद, उसके लिये जाने से उसका कोई महत्व कम नहीं होता। अतः जब समय आयेगा, मैं इस विषय को ले लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, इसी सदन में समय-समय पर ऐसी व्यवस्थायें हुई हैं कि अगर यह सदन कोई बात निश्चय कर ले तो नियमों की प्रक्रिया को निलम्बित किया जा सकता है। सदन के सदस्य इसको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न समझ रहे हैं। इसलिय आप इसको ४ बज तक न टालें, इसको अभी ले लें। आप ऐसे प्रश्नों को सरकार के पास भेज देते हैं और सरकार ने, मैं यह १५ साल से देख रहा हूं, यह परम्परा बना ली है कि वह यह भी नहीं बतलाती कि उस मामलेमें वह क्या कर रही है। (व्यवधान) उस सरकार ने भी यही किया था और आप भी यही कर रहे हैं। और अगर यही करेंगे तो आप समाप्त हो जायेंगे। इसलिये जब यह सदन की इच्छा है कि इस महत्वपूर्ण विषय को अभी ले लिया जाय तो आप सदन की राय से इसको अभी ले लें।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय नेकराम जी शर्मा जो यह कह रहे थे कि "आप समाप्त हो जायेंगे" यह आपके लिये कह रहे थे अथवा सरकार के लिये ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं, यह आप स्वयं ही समझ गये होंगे।

माननीय नेकराम जी, आप ने जो यह कहा कि सदन की इच्छा से नियमों को निलम्बित किया जा सकता है और किसी चीज को कार्यक्रम से पहले भी लिया जा सकता है, यह तो ठीक है लेकिन सदन की इच्छा के माने १ या दो, चार सदस्यों की इच्छा से नहीं होते, सदन की इच्छा के माने आप जानते हैं कि इधर और उधर, दोनों ओर से जब एक ही बात कही जाय तभी नियम का निलम्बन हो सकता है। तो इस तरह से सब तरफ से इच्छा प्रकट होनी चाहिये और वह इस समय है नहीं। मैंने इसीलिये यह कहा था कि अब थोड़ी देर बाद जब यह प्रश्न आयेगा, तो मैं उस को देखूंगा और मुनासिब कार्यवाही उस पर होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के प्रशासन प्रतिवेदन*

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)--

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के प्रशासन प्रतिवेदन को 'दि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८' की धारा ७५ की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७†

परिवहन मंत्री (श्री मानसिंह वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १११२-टी ३०-८३-पी-६४, दिनांक १० मार्च, १९६७ के द्वारा प्रख्यापित 'यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (प्रथम संशोधन) नियमावली १९६७ को, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्तियां†

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या (क) एस० टी० ३२९८/१०--९०६(ए० बी०-१)-६५, दिनांक ६ जुलाई, १९६६, (ख) एस० टी०-३३०१/१०-९६० (४)-६६, दिनांक ६ जुलाई, १९६६, तथा (ग) एस० टी०-३११९/१०-१०१२(४)-१९६५, दिनांक १ सितम्बर, १९६६ को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

अधिवेशन काल में सरकारी नीति की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

अब एक विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे सामने आया था जो माननीय कृष्णानन्द राय जी द्वारा.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस के पूर्व कि आप इस संबंध में अपना निर्णय दें, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि आप को याद होगा कि जिस दिन मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसी दिन इस विषय पर कुछ वाद विवाद भी सदन में हुआ था और आप इस संबंध में निर्णय देने जा ही रहे थे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बीच में खड़े हो कर कुछ कहा था और २६ तारीख का समय इस के लिये मांगा था और उस दिन यह सवाल उठा था कि जब सदन बैठा हो तो पालिसी स्टेटमेन्ट्स आदि बाहर दिये जा सकते हैं या नहीं। लेकिन हमें खेद है कि आज माननीय मुख्य मंत्री ने इस समय सदन में पधारने का कष्ट नहीं किया, सदन का अपमान इस से अधिक और क्या हो सकता है....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो आप मुझे कहने का समय तो देते, आपने बीच में ही अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया और मुझे जो मैं कहने जा रहा था, उसका अवसर ही नहीं दिया।

---

†छापी नहीं गयी।

आप को याद होगा जब आपने यह प्रश्न उठाया था तभी मने कहा था कि इस संबंध में मुझे अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसी वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने खड़े हो कर कहा था कि ऐसे स्टेटमेंट बाहर भी हो सकते हैं और इस संबंध में सरकार को जो रूलिंग्ज वगैरा हैं उनको दिखाने का आप अवसर दें। यद्यपि मैं सदन से कह चुका था कि मैं इस संबंध में अधिक नहीं सुनना चाहता लेकिन माननीय नेता सदन के कहन पर मैंने यह उचित समझा कि उनको अवसर दिया जाय और मैंने उस वक्त यह कह दिया था कि २६ तारीख को उन की बात सुनकर मैं अपनी रूलिंग दूंगा। अब आज माननीय नेता सदन ने मेरे पास लिखकर एक पत्र भेज दिया है और उन्होंने उसमें जिन रूलिंग्ज आदि का हवाला भी दिया है, उन को मैंने देख लिया है। इस में कोई नई बात उनके द्वारा नहीं भेजी गई है बल्कि जो चीजें मैं पहले ही देख चुका था उन्हीं की ओर उन्होंने भी ध्यान आकृष्ट किया है। तो मेरे सामने उन के विचार आ चुके हैं और मैं अपना निर्णय.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

आप अपना निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं दे रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

हमारी दिक्कत श्रीमन्, यह है कि माननीय नेता सदन ने कौन-सी रूलिंग भेजी और जैसा कि उस दिन तय हुआ था कि वह यहां बतायेंगे, वैसा उन्होंने नहीं किया, यहां वह बताते तो हम भी सुने होते और उनके खिलाफ हम भी अपनी जानकारी से रूलिंग पेश कर सकते। आप जो भी निर्णय देंगे वह तो हमें शिरोधार्य होगा लेकिन एक चीज मैं और निवेदन करूंगा कि निर्णय देते समय आप इस बात को ध्यान में रखें कि माननीय प्रभु नारायण सिंह जब इलाहाबाद गये थे तो वहां उनका घेराव हुआ और वहां उन्होंने अन्डर ड्यूरेस हिन्दी अंग्रेजी के संबंध में नीति संबंधी वक्तव्य दिया है। श्रीमन्, जबकि विधान सभा का सेशन चल रहा हो उस समय कुछ मंत्री तो शौकिया और कुछ अन्डर ड्यूरेस इस तरह से आये दिन स्टेटमेंट पालिसी संबंधी दिया करें, तो जरा आप इस पर भी गौर कर के ही अपना निर्णय देंगे। वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी आप आशा करें कि जो कुछ भी मैं निर्णय दूंगा उसके पहले इन सब बातों पर गौर तो करूंगा ही।

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने अभी जो कहा कि मंत्री लोग कुछ तो शौकिया और कुछ अन्डर ड्यूरेस इस तरह के वक्तव्य देते हैं, मैं समझता हूं कि ये दोनों शब्द संसदीय नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको असंसदीय तो नहीं समझता। अगर कोई माननीय सदस्य यह कहें कि घेराव हुआ और प्रेशर के कारण माननीय मंत्री ने उपरोक्त वक्तव्य दिया, तो इसे असंसदीय तो मैं नहीं कहूंगा, गलत हो सकता है और उसके आधार पर आप उसका खण्डन कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं।

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायणसिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कृष्णानन्द राय ने जो यह बात कही कि अन्डर ड्यूरेस मेरा कोई पालिसी स्टेटमेंट हुआ, मैं ऐसा समझता हूं कि उनका यह कहना पूर्णतया असत्य है। जहां तक पालिसी स्टेटमेंट की बात है, वह अपनी जगह पर है, वहां न कोई ड्यूरेस की बात थी और न किसी पुलिस फोर्स की बात थी। बाकायदा वहां लोगों की एक सभा हुई, उनके बीच में, जो नीति है उसके संबंध में मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया। अन्डर ड्यूरेस का कोई सवाल ही नहीं हुआ।

सवाल यह है कि समाजवादी युवजन सभा के लोगों ने एक आन्दोलन यह प्रारंभ किया है कि अंग्रेजी में फेल लोगों को पास किया जाय। मेरे ऐसे लोगों की मान्यता है कि अंग्रेजी सार्वजनिक जीवन की भाषा के रूप में खत्म हो और अंग्रेजी कंपल्सरी भाषा के रूप में पढ़ाई नहीं जानी चाहिए....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, यह तो आपसे पूछा नहीं। पूछा तो यह गया कि घेराव हुआ या नहीं और आपने बयान दिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वैसे तो ठीक है जो आपने बतलाया कि अन्डर ड्यूरेस बयान नहीं हुआ। अब यदि आप विस्तार में जायेंगे तो और प्रश्न आ जायेंगे।

श्री प्रभुनारायणसिंह--

माननीय कृष्णा नन्द राय और माननीय बहुगुणा जी ने जो इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है कि अन्डर ड्यूरेस कोई बयान मैंने दिया, ऐसी बात नहीं है वहां ड्यूरेस का कोई सवाल ही नहीं था। स्टेटमेंट के बाद और प्रश्न तो होंगे ही, लेकिन अपनी थिंकिंग के अपने-अपने तरीके हो सकते हैं और उसी के आधार पर मैंने अपनी बात कही है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि अंग्रेजी को सार्वजनिक भाषा के रूप में यहां नहीं रहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शांति रखें। माननीय मंत्री महोदय, जब आप खड़े हुए थे तो मैंने यह समझा था और सोचा था कि आपका एक स्टेटमेंट हुआ जिसका यहां जिक्र आया कि अन्डर ड्यूरेस आपका कोई बयान हुआ और उसका स्पष्टीकरण आपने सदन के सामने कर दिया कि ऐसा गलत है, अन्डर ड्यूरेस नहीं हुआ, इतना काफी होना चाहिए। इस संबंध में अगर आप कुछ और वाक्य से स्पष्ट करना चाहें तो कर दें लेकिन अगर कोई भाषण किसी नीति के संबंध में यहां दिया जाय तो फिर वह सदन की प्रापर्टी हो जायगी और फिर सदन में और प्रश्न भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए आप अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन ही दें तो ठीक है।

श्री प्रभुनारायणसिंह--

मैं अपने को इस सिलसिले में सीमित रखूंगा। मैं सदन को बतला दूं कि अन्डर ड्यूरेस मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ और उसी के साथ-साथ इस सद्भावनापूर्ण वातावरण में मैं एक जुमला और जोड़ देना चाहता हूं कि यदि कोई क्रुद्ध भीड़ भी आये या कोई प्रदर्शन करता है तो कुशल प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) का फर्ज है कि उसको हंसता हुआ वापस कर दे। इस नीति के आधार पर सब चीजें अवलम्बित हैं। चूंकि हमारे पुराने साथी इस सिलसिले को भूल गये हैं, इसलिए उन्हें मैं याद दिला रहा हूं। जो बयान अखबारों में छपे हैं वे बयान भिन्न आये हैं। नेशनल हेराल्ड में जो छपा है वह पूर्णतया उचित है। जो बयान मैंने वहां पर दिया या जो बात मैंने वहां पर कही, वह नेशनल हेराल्ड में तो ठीक छपी है लेकिन "पानियर" में जो बात छपी है वह अपनी

जगह पर ठीक नहीं है। जो मैंने कहा था वह यह था कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग संयुक्त विधायक दल के मंत्रिमण्डल में सम्मिलित हैं वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की नीति के आधार पर सम्मिलित हैं। यदि मंत्रिमण्डल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की नीति पर कार्य न करे तो उस स्थिति में पार्टी के आदेश पर हमारे जैसे लोगों को उससे हटने में जरा भी हिचक नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) इस सिलसिले में मैं और वादविवाद नहीं चाहता।

एक सदस्य--

श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रश्न उठाया था उसके विषय में जो उधर से कहा गया क्या वह संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि कृष्णानन्द राय जी झूठ बोल रहे हैं। यह असंसदीय होता लेकिन किसी स्टेटमेंट को असत्य कहना यह संसदीय है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

जैसा कि आपने कहा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ रूलिंग्स आपके सामने लिख कर भेजी हैं, कुछ कागजात भेजे हैं। आमतौर से अदालतों में यह होता है कि जब कोई रूलिंग पेश की जाती है तो दूसरे फरीक को जवाब देना पड़ता है। इसलिए जो कोटेशन्स दिए गए हैं उन्हें हमें भी देखने का मौका मिलना चाहिए ताकि हम भी अपने विचार उन पर प्रकट करते।

श्री अध्यक्ष--

साधारणतया जो बात आपके न्यायालयों में होती है वह यहां पर नहीं होती। वहां पर यदि किसी पक्ष से रूलिंग होती है तो दूसरा पक्ष उसका खण्डन करता है लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया और विधान सभा की प्रक्रिया भिन्न है और उनमें मौलिक अन्तर है। यदि मैं आवश्यक समझता कि उसमें वे बातें भी हैं जो सदन में नहीं आयी हैं तो मैं स्वयं उन पर माननीय सदस्यों के विचार सुनता लेकिन चूंकि उन सब बातों का जिक्र यहां हो चुका है, मैं उन्हें सदन में रखने की जरूरत नहीं समझता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, एक प्रश्न यहां पर उठाया गया और उस संबंध में अर्से तक बहस भी हुयी, कुछ विचार भी व्यक्त हुए। उस पर निर्णय देने के लिए आपने कुछ समय चाहा और उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपको कुछ पुस्तकें और रूलिंग भी देने को कहा। तो यह नेचुरल जस्टिस है कि हम लोगों को बता दिया जाय कि वे कौन-सी पुस्तकें हैं और कौन-सी रूलिंग्स हैं ताकि उनके संबंध में हम भी कुछ कह सकें। अगर वे सचमुच तथ्यहीन हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। जो बात माननीय बहुगुणा जी ने कही वही आप भी कह रहे हैं। शब्दों में कुछ अन्तर हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी बात मेरे सामने आयी होती, जिस पर उस दिन सदन में चर्चा न हुयी होती या उसमें कुछ मौलिक अन्तर होता तो मैं स्वयं माननीय सदस्यों के विचार सुनता। यह पत्र कोई गोपनीय पत्र नहीं है और यदि एक भी माननीय सदस्य सुनने का आग्रह करें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

('नहीं, नहीं' की आवाजें)

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

आन ए प्वाइन्ट आफ इनफार्मेशन। जब इलाहाबाद में घेराव हुआ था ऐंग्जेम्पशन आफ इंगलिश के बारे में तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी का क्या खयाल है। जिसकी लैंगुएज हिन्दी नहीं है और वह हिन्दी में फेल हो जाय तो उनको भी पास माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और सदन के सामने दूसरा मामला पेश है। इसलिए उसके विषय में कोई बातचीत नहीं होगी। (कुछ ठहर कर)

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने २० जून को इस सदन में एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मुझे भेजा था। यों तो वह ताजा है, लेकिन इसलिए कि सदन के सामने पूरी बात ताजा हो जाय मैं उसको पुनः पढ़े देता हूं। वह यह कि "संसदीय परंपरा एवं औचित्य के अनुसार यह आवश्यक है कि जब सदन की बैठक चल रही हो या आहूत कर ली गई हो तो मंत्रि परिषद् के सदस्य नीति संबंधी महत्वपूर्ण घोषणायें सदन में करें जिस से कि सदन उन घोषणाओं की सत्यता परीक्षण कर सके....

यह प्रसंग था और इसी प्रसंग में उन्होंने आगे, माननीय रामचन्द्र विकल ने, कोई भाषण दिया था २० जून, १९६७ को जो नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित हुआ था, उसके विषय में उन्होंने नीति का विषय मानते हुए यह कहा था कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होता है। इस विषय में माननीय सदस्यों ने बड़े बहुमूल्य विचार दिए। उनको मैंने बहुत आदरपूर्वक सुना। मैं समझता हूं कि यह मसला इतना साफ है और इतनी बार इस सदन के सामने आ चुका है कि इसमें न कोई ज्यादा विचार विनिमय और न विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। लेकिन माननीय नेता सदन ने जब मुझसे यह कहा कि वह इस विषय में पहले की रूलिंग्स वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो मैंने उसको उस रोज न लेकर आज के लिए रखा। उन का पत्र मुझे प्राप्त हो चुका है और मैं देख भी चुका हूं। इस विषय में मेरा अब निर्णय यह है कि यह प्रश्न हाउस आफ कामन्स में, लोक सभा में, हमारी विधान सभा में बारबार आता रहा है और समय-समय पर जो प्रीसाइडिंग आफिसर्स थे उन्होंने अपनी रूलिंग्स भी दी है जिससे यह काफी साफ हो जाना चाहिए था। मैं संक्षेप में उन निर्णयों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो माननीय सदन में यह प्रश्न आया था, १९६१ में उस वक्त माननीय प्रताप सिंह जी ने, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, तत्कालीन मुख्य मंत्री के वक्तव्य को पालिसी स्टेटमेंट मानकर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उस वक्त के अध्यक्ष ने उस पर यह निर्णय दिया था कि मैंने इस बारे में कई दफा कहा है कि पहले सूचना प्राप्त करने का अधिकार इस सदन को है और माननीय मंत्री हमेशा के लिए अपना यह निर्णय कर ले कि जब सदन बैठा हुआ हो तो उस वक्त पहले सदन को ही इस प्रकार की सूचना देना ज्यादा अच्छा हो सकता है। वैसे तो ऐसा मौका आता है, लोग पूछ बैठते हैं या कोई सत्याग्रह करने बैठ जाते हैं, या कोई सत्याग्रह करने की धमकी दे देते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। तो उसके लिए यह जरूर उत्तर हो सकता था कि अगले बजट के वक्त में हम इस बात पर विचार करेंगे, बजाय इसके यह कहना कि हमने बजट में प्रयोजन कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह लीकेज इस किस्म का है जिसका बहुत ज्यादा असर सरकार के टैक्सेशन के सिलसिले में तो पड़ता नहीं, लेकिन यह एक स्वस्थ परंपरा का प्रश्न है और उस स्वस्थ परंपरा के हिसाब से ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए। बल्कि यह कहा जाय कि अगले बजट के वक्त हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेंगे जिससे प्रश्नकर्त्ता का भी दिल न टूटे जिसको बचाने के लिए उत्तर में ऐसी बात कहनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि उसके लिए राजनीतिक उत्तर देना ज्यादा अच्छा होगा कि हम हमदर्दी के साथ विचार कर रहे हैं या बहुत हमदर्दी के साथ विचार करेंगे।

इसके बाद अनेकों रूलिंग्ज हैं, लोक सभा की रूलिंग पढ़े देता हूं। यह हमारे उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, श्री कृष्णा मेनन उनके एक स्टेटमेंट पर आपत्ति हुई थी और उस आपत्ति

के विषय में यह कहा गया। यानी उस समय रक्षा मंत्री ने कोई बयान दिया, और श्री बाजपेयी ने उस पर एतराज किया और यही एतराज कृष्णानन्द राय का है और उस पर वहां के स्पीकर महोदय ने इन शब्दों में अपना निर्णय दिया:

"Mr. Speaker, I am clear in my mind that there is no breach of privilege in this matter. Even if a matter of policy were to be announced outside the House while the House is in session, it was ruled in the House of Commons that there was no breach of privilege; it may be a breach of courtesy. When the House is in session all matters of policy ought to be announced first to the House. This is the rule that has been adopted for several years in this House also.

But all the same, I am sure the Hon'ble Ministers will observe this decorum and courtesy to this House".

तो लोक सभा के अध्यक्ष महोदय ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि मैं इस बात के लिए स्पष्ट हूं कि इस पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं होता लेकिन ऐसी सूचनायें पहले सदन में आनी चाहिए तथा शिष्टाचार इस बात का तकाजा करता है कि ऐसी सूचना पहले सदन में दी जायं और सदन के बाहर ऐसी सूचना को देना सदन के साथ एक शिष्ट व्यवहार नहीं माना जा सकता। ऐसी परंपरा रही है और उस परंपरा का निर्वहन होना चाहिए।

हाउस आफ कामन्स में भी ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था हुई है। वहां भी स्पीकर महोदय ने इस परिस्थिति में यह कहा:—

"The right hon'ble Gentleman was kind enough to bring me the paper when I was trying to attend to Questions. I am clear that there is no question of Privilege about it. The custom of the House, whereby Ministers judge it courteous to the House to make important announcements here before they make them outside, is a matter of courtesy which has grown into a custom a good custom of the House. Its breach does not raise a question of Privilege. I think the best course I can advise is that the Government should consider what has been said and that, when the matter has been clarified perhaps there could be a short return to the subject at a later date. That is my best advice on the subject."

तो विधान सभा, लोक सभा और हाउस आफ कामन्स की बहुत-सी रूलिंग्स हैं। मैं उन सबको सुना कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं उनके आधार पर जो मैंने अध्ययन किया है, कहना चाहता हूं कि यह सर्वथा उचित है इस बात की अपेक्षा करना कि सरकार का कोई भी मंत्री जब इस विधान सभा का सत्र चलता तो वह नीति संबंधी कोई भी वक्तव्य पहले इस सदन में दे, फिर सदन के बाहर दे। उस नीति संबंधी वक्तव्य को पहले बाहर देना इस सदन के साथ सद्व्यवहार नहीं है, वह डिसकर्टसी हो जाती है जिसे लोक सभा, हाउस आफ कामन्स तथा सभी विधान सभाओं ने और स्वयं इस विधान सभा ने भी डिसकर्टसी माना है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के मंत्रीगण इसका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि पुनः इसका अवसर न आए।

जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होता है मैं निश्चित इस मत का हूं कि इसमें विशेषाधिकार की कोई स्पेसिफिक अवहेलना का प्रश्न नहीं है, सदन की स्वस्थ परंपरा का प्रश्न है और स्वस्थ परंपरा इस सदन की और दूसरे सदनों की यही रही है कि मंत्रिमण्डल के सदस्य इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि मंत्रिमण्डल के सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई नीति संबंधी वक्तव्य सदन के होते हुये सदन के बाहर पहले नहीं देंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि नेता सदन इस महत्वपूर्ण विषय के अवसर पर इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। अच्छा हो और यही उपयुक्त भी होगा अगर मंत्रिमण्डल के दूसरे सदस्य इस रूलिंग के प्रति भविष्य में सद्भावना का वातावरण बनाने हे यह आश्वासन दें कि ये इसके अनुसार भविष्य में कार्य करेंगे। लेकिन आपकी आज्ञा तो भले लोगों के लिए है, सज्जनों के लिए है। अगर सौजन्य से परे जा कर कोई आपकी उस आज्ञा को न मानना चाहे तो वह जानता है कि प्रिविलेज में तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई प्राविजन नहीं है कि उसमें पकड़ कर यह सजा दे सकें। तो मैं सदन के उन लोगों से तो नहीं कहता लेकिन मंत्रिमण्डल के जो सदस्य हैं, विशेषकर जो हमारे मित्र, विकल जी हैं मैं उनसे इस बात की बड़ी अपेक्षा करता हूं कि वे प्रजातंत्र के बड़े हामी हैं....

श्री अध्यक्ष—

मेरे खयाल से संक्षेप में आपने सब बात कह दी है।
(व्यवधान)

श्री रामनारायण (जिला फैजाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में अगर यह परम्परा चली कि आप कोई व्यवस्था दें और उसके बाद इस पक्ष या उस पक्ष के लोग उपदेश देना शुरू कर दें तो यह अनुचित होगा और मैं समझता हूं कि ऐसा अधिकार माननीय बहुगुणा जी को नहीं देना चाहिए। बहुगुणा जी या उनके दल ने कोई सौजन्य का ठेका नहीं ले रखा है। उनके बीस साल के शासन में उनके सौजन्य को आजमाने के बारबार मौके मिले हैं। मैं समझता हूं कि आपकी व्यवस्था पर कोई भी टिप्पणी भविष्य में न हो तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात को उचित समझता हूं कि न तो इस पक्ष से और न उस पक्ष से मेरी व्यवस्था के बाद कोई बातचीत हो, लेकिन माननीय बहुगुणा जी ने जो प्रश्न उठाया कि मंत्रिमण्डल की ओर से एक आश्वासन आये तो मैं उस आश्वासन की आवश्यकता नहीं समझता हूं इसलिए कि जो सर्वमान्य जनतांत्रिक सिद्धांत हैं वह किसी भी मंत्रिमण्डल और सरकार को मान्य होंगे ही, मैं ऐसा मानता हूं। जिस परंपरा से इस सदन की गरिमा और महिमा बढ़ती हो निश्चित ही कोई भी सरकार उस परंपरा का निर्वहन करेगी, मैं ऐसा मानता हूं। मैं ऐसा भी मानता हूं कि सरकार में जितने मंत्री हैं वे सज्जन हैं, सौजन्य उनमें निहित है, यही माना जा सकता है और मैं मानता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अभी माननीय बहुगुणा जी ने एक शब्द का प्रयोग किया। मैं उस शब्द के बारे में आपसे व्यवस्था चाहता हूं। बहुगुणा जी संसदीय परंपराओं के बड़े ज्ञाता हैं और मैं समझता हूं कि वह बड़े गंभीर रहते हैं परन्तु आज उन्होंने ऐसी बात कही जिससे मेरी दृष्टि में सदन का अवमान हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था भले लोगों के लिए है। मैं ऐसा समझता हूं कि एक तरह से यह चेयर के ऊपर भी आरोप है और ऐसा कह कर उन्होंने सदन को भी बहुत संकुचित कर दिया है कि शायद कोई दस, पांच भले लोग हैं उन पर आपकी व्यवस्था लागू होती है। मैं समझता हूं कि आपकी आज्ञा पूरे हाउस पर लागू होती है। बहुगुणा जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय बहुगुणा जी ने अभी आपकी व्यवस्था के बाद एक प्रश्न पैदा कर दिया कि आपकी व्यवस्था भले लोगों के लिए है। आप जो व्यवस्थायें पढ़ रहे थे लोक सभा की और यहां के स्पीकर ने जो प्रताप सिंह जी ने प्रश्न उठाया था उस पर जो व्यवस्था दी थी, तो जितनी भी व्यवस्थायें

इस प्रदेश और सारे देश में हुई वह सब माननीय बहुगुणा जी की पार्टीसे संबंधित जितने मिनिस्टर्स थे उन्हीं के संबंध में हुई। तो मैं आपकी इस संबंध में राय जानना चाहता हूं कि वह लोग भले थे या बुरे। बहुगुणाजी को इस तरह की आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। प्रताप सिंह जी ने जब आपत्ति उठायी थी उस समय संपूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर थे। मैं समझता हूं कि बहुगुणा जी की निगाह में वह भले आदमी होंगे, बुरे आदमी नहीं होंगे। इसलिए इस तरह की आपत्ति उठा कर माननीय बहुगुणा जी अपनी योग्यता, क्षमता और उच्छृंखलता को प्रदर्शित करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं किसी वाद-विवाद की इजाजत नहीं दूंगा। दरसल ऐसा है कि कभी-कभी कुछ सीमा जानते हुये या न जानते हुये लोग लांघ जाते हैं और जो जवाब आता है उसमें भी लोग सीमा लांघ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय बहुगुणा जी ने यह कहा होता कि यहां पर भले लोग नहीं हैं तो मैं उन्हें वहीं रोक देता। लेकिन इतना कहना कि मेरी व्यवस्था भले लोगों के लिए है इसको असंसदीय नहीं कहा जा सकता है। मैं यह मानता हूं कि इस सदन का हर सदस्य भला आदमी है और मन्त्रि-मण्डल के सदस्य भले आदमी हैं। यह माना हुआ सिद्धान्त है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो व्यवस्था दी है कि अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन आपने बताया कि यह हाउस की कर्टसी की बात है कि जब हाउस बैठा हो तो कोई मन्त्री नीति सम्बन्धी वक्तव्य बाहर न दें तो क्या ऐसी स्वस्थ परम्परा इस सदन में हमारे आग्रह पर आप डालने की कृपा करेंगे ? जब आप स्वीकार करते हैं और मन्त्रि-मण्डल स्वीकार करता है कि हाउस के साथ डिसकर्टसी हुई है तो इस तथ्य को स्वीकार करते हुये मन्त्रि-मण्डल का कोई भी सदस्य या मुख्य मन्त्री सदन के सामने उसकी मर्यादा के लिये दुःख प्रगट करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीया सदस्या ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि यह बड़ा नाजुक प्रश्न है। यह कर्टसी की बात है। मन्त्रि मण्डल के प्रति सदन की कर्टसी रहनी चाहिए और सदन के प्रति मन्त्रि मण्डल की कर्टसी रहनी चाहिये। मैं जितना कह चुका हूं वह बहुत काफी है। जो हाउस की कर्टसी के लिए शिष्ट व्यवहार की अपेक्षा करता है, सदन के बैठे हुए कोई नीति सम्बन्धी प्रश्न की चर्चा सदन के बाहर न हो। मैंने कहा कि मन्त्रि-मण्डल के सदस्य इसका निर्वहन करेंगे। इसके बाद यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि मैंने यह कहा था कि माननीय मन्त्री जी को अन्डर डयूरेस रोक रखा। लेकिन उनका कहना है कि मैं असत्य बात, कह रहा हूं या तो वे असत्य कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं तो क्या आप दोनों को विशेषाधिकार समिति में भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

देखिये व्यवस्था का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि एक सदस्य की राय है और दूसरे सदस्य की दूसरी राय है। तो इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है।

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय न्याय मन्त्री जी अगले सप्ताह का कार्यक्रम बतायेंगे ।

न्याय मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालक नियमावली के नियम २४(२) के अनुसार सदन को मैं सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा का २६, २७ जून से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह का निम्नलिखित कार्य क्रम होगा :—

२६ तथा २७ जून, ६७ को वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

२७ जून, ५ बजे के उपरान्त, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर विचार एवं पारण ।

जून २८, २९, ३० तथा १ जुलाई, ६७ वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आय-व्ययक मांगों पर विचार तथा मतदान ।

इसमें थोड़ा संशोधन अब स्वीकृत हो गया है...

मान्यवर, इस में थोड़ा सा संशोधन स्वीकृत हो गया है आपसी बातचीत से, वह मैं बताना चाहता हूं । पहली जुलाई को जो मांगें रखी गयी थीं २३ और ४२ वे ७ जुलाई को ली जायेंगी और ७ जुलाई को १९ और २० ली जाने वाली थीं वह पहली जुलाई को उपस्थित होंगी ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

जहां तक आयव्ययक के कार्यक्रम का सम्बन्ध है नेता विरोधी दल को इस बात का अधिकार है कि वह जिन ग्रान्ट्स पर बहस करवाना चाहें करवायें और जितना समय लेना चाहें लें । माननीय संसदीय मन्त्री का आगमन हुआ, एक कार्यक्रम निश्चित हुआ । उसके बाद आये दिन संशोधन कर देना यह संसदीय मन्त्री का अधिकार नहीं है । इस लिए जो प्रस्ताव उन्होंने उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि उस से हमारे अधिकार पर अतिक्रमण हो रहा है । इसकी आप व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामायण राय, उस अधिकार का अतिक्रमण नहीं है, केवल इतनी बात है कि जो मांगें पहली तारीख को प्रस्तुत होने वाली थीं अब वह ७ को प्रस्तुत होंगी । नेता विरोधी दल को यह अधिकार है कि उन के परामर्श से समय निश्चित होता है कि मांग पर वोटिंग हो और किस पर न हो.....

श्री श्यामलाल यादव—

माननीय रामायण राय को शायद विदित न हो, प्रस्तुत करने से पूर्व विरोधी दल के मन्त्री श्री नवलकिशोर जी से बात चीत कर ली थी और उनकी सहमति प्राप्त कर ली थी । तब मैंने अनाउन्समेंट किया है ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा यह हो कि दोनों तरफ से जो बात कही जाय सब जानकारी करके कही जाय ।

प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा करने की मांग

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे यह निवेदन करना है, मैंने पहले आपत्ति की थी, आप ने भी आश्वासन दिया, माननीय मुख्य मन्त्री ने भी आश्वासन दिया, सरकार ने भी आश्वासन दिया कि तीन तारीख का कार्यक्रम इस महीने में लिया जायगा, सूखे और अकाल पर बहस

लेकिन पहली तारीख तक का कार्यक्रम दे दिया, सूखे और अकाल पर विवाद नहीं होने जा रहा है। यह घोर अन्याय है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये कि हो रहा है या नहीं। उस पर वक्तव्य होगा। मैंने मुख्य मन्त्री से बात कर ली है। उन्होंने २९ तारीख को, इसी महीने की, वक्तव्य देना स्वीकार किया है। उस पर जो प्रश्न उठेंगे, थोड़ा सा उसके लिए अनुमति दूंगा।

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

जैसा कि अभी सूचित किया गया, हमारे दल के मन्त्री, श्री नवल किशोर जी से उन्होंने कोई बातचीत कर ली और यह तय हो गया। बिलों के सम्बन्ध में सरकार का अधिकार होता है। वर्ष भर में सरकार बिलों के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम बनाती है उसके सम्बन्ध में कार्य-मन्त्रणा समिति में बैठ कर हम यह प्रयास करते हैं कि उसका कार्यक्रम ठीक ढंग से चले। लेकिन आय-व्ययक के सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता का अधिकार होता है। आपने यह व्यवस्था दी कि केवल इतना संशोधन कर रहे हैं।

अमुक ग्रान्ट अमुक दिन न लेकर अमुक दिन ली जाये, वह एक साधारण ग्रान्ट नहीं है। आप स्वयं देखें जिसमें परिवर्तन किया जा रहा है, मान्यवर, वह है ग्रान्ट नं० दो—मालगुजारी और लगान के सम्बन्ध की....

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

जी नहीं, वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह मत्स्य पालन, पशुपालन और वन की मदें हैं और वह कितनी महत्वपूर्ण हैं यह मैं नहीं जानता।

श्री रामायण राय—

जिस भी ग्रान्ट के सम्बन्ध में मन्त्री जी कह रहे हों, मन्त्री जी अपनी मर्जी से चाहे जिसको आगे करें चाहे जिसको पीछे करें यह बात उचित नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। ग्रान्ट का जो कार्यक्रम होता है उसी के अनुसार हम लोग कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिए अपना कार्यक्रम तैयार करते हैं और विषय की तैयारी करते हैं। किन्तु इस प्रकार के परिवर्तन से हमें अनावश्यक परेशानी पैदा हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—

अब आपकी बात हो गयी, आप कृपया बैठ जाएं।

प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा की मांग (क्रमागत)

श्री कल्पनाथसिंह—(जिला गोरखपुर)

श्रीमन्, उस दिन एक दिन की बात कही गयी थी। आपने यह कहा था कि नेता सदन और नेता विरोधी दल इन दोनों व्यक्तियों से बात करके कोई एक दिन निश्चित किया जायगा। किन्तु आज की बात से ऐसा लगता है कि नेता सदन से आप की बात हो चुकी है और जिसमें महज वक्तव्य देने की बात हुई है। इस लिए वस्तु स्थिति के महत्व को देखते हुये, श्रीमन्, आप एक दिन का कम से कम समय निकालें। वैसे यदि हम से पूछा जाये तो हम तो तीन दिन से कम नहीं चाहते।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

सूखे के सम्बन्ध में, मान्यवर, यह जो बात आयी थी, इस के पीछे खास बाकया था। पहली अप्रैल को जो बात इस सदन में हुई थी और सरकार बदली, उस वजह से जो स्थिति थी तीन तारीख को बहस होने को वह बदल गयी। हम लोगों ने यह निवेदन किया था और बड़ी कृपा की मन्त्रि परिषद् ने कि उसने भी स्वीकार किया कि उस पर बहस हो जाय। उस बहस में एक बात मुख्य रूप से सरकार के सामने आने को थी वह यह थी कि आने वाली खरीफ की फसल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के अच्छे-अच्छे सुझाव मिलते और उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार अपना काम करती तो उससे कुछ प्रदेश का हित हुआ होता।

श्री अध्यक्ष---

आप अपनी बात खत्म कीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

मेरा यही निवेदन है कि एक दिन का समय दीजिये और वायदा पूरा कराइये। यह तो ठीक है अपनी जगह पर कि नेता सदन और नेता विरोधी दल के परामर्श से उस समय सदन स्थगित हुआ था। आपने यह बहस हटायी नहीं है। यदि इस बाकिये में मेरी समझ में कोई गलती रह गयी हो तो आप बतायें। हम आप से यह भी चाहते हैं कि इस समय इस विषय के महत्व को देखते हुये हम किसी लीगल टेक्निकलिटी में न जाकर जनसाधारण के हित में पूरे एक दिन का समय दें।

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

मेरे सामने दो प्रश्न उठाये गये एक रामायण राय जी ने उठाया कि जो नवल किशोर जी से अनुमति लेकर घोषणा की गयी, वह बात कहां तक ठीक है.....

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)---

मैं समझता हूं अब यह प्रश्न समाप्त हो गया। जब मन्त्री जी ने उनसे राय ले ली है और वह भी एक भूतपूर्व मन्त्री से तो अब इसको न उठाया जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैं त्रिपाठी जी का बहुत आभारी हूं और मैं यह आशा करता हूं कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसमें एक अच्छा वातावरण बनने में सहायता मिलती है।

प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष---

सूखे के विषय में ३ तारीख को बातचीत होनी थी और कुछ माननीय सदस्यों ने यह सदन में कहा कि वह आइटम कार्यक्रम में होना चाहिये था। मैंने उस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछा था और मैंने स्वयं उस दिन कहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री और नेता विरोधी दल बात कर लें। विरोधी दल की इच्छा थी और माननीय मुख्य मन्त्री से बात करनी थी तो मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की और उन से समय जानना चाहा तो उन्होंने २९ तारीख इसके लिए मन्जूर की। इस पर एक बात यह भी कह दूं कि हमारे नियमों में यह है कि जो हमारे वित्तीय स्टेटमेंट होते हैं नियम १९८ के अनुसार उनको प्राथमिकता मिलती है। यह हमारे साधारण नियम के अनुसार होता है। इसके अतरिक्त मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो हमारे बजट पर बहस करने का कार्यक्रम छपकर बटा है उसमें जो बहस के लिए दिन रखे गये हैं उनमें

एक पूरा दिन दुर्भिक्ष्य सहायता पर है। इस विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह से प्राविधान है। इस लिए इस विवाद में जो बहस होगी उसमें भी उसका चर्चा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों की इच्छा का आदर करते हुये मैंने यह यत्न किया कि इस विषय पर चर्चा हो जाय। इसी लिए मुख्य मन्त्री जी ने २९ तारीख इसके लिए निश्चित की है कि उस दिन वक्तव्य हो जाय और माननीय सदस्य उस पर जितनी देर चाहें चर्चा कर लें। ५ बजे के बाद वह वक्तव्य होगा तो तब उस पर बात कर लें। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)--

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

इस पर शीघ्रातिशीघ्र कोई तारीख निश्चित होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए २९ तारीख निश्चित की गयी है जो आज से ३ दिन बाद होगी।

श्री रामनारायण (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, ३ अप्रैल को सूखे पर बहस होने वाली जिसका उत्तरदायित्व श्री चन्द्रभानु गुप्त की सरकार पर था। उस दिन नयी सरकार बनी नहीं थी। तो जो सूखे पर बहस होनी थी उसके जवाब का उत्तरदायित्व श्री चन्द्रभानु गुप्त पर था जो उस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। माननीय चौधरी साहब ने बाद में कार्यभार सरकार का ग्रहण किया था। तो अगर इस ३ अप्रैल वाले सूखे के विषय पर बहस होगी, तो इसका जवाब माननीय चन्द्रभानु गुप्त देंगे या माननीय चरण सिंह जी देंगे इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

दोनों ही सज्जन सदन में उपस्थित रहेंगे तो दोनों ही उसका उत्तर दे सकते हैं।

दूसरा प्रस्ताव जो इधर से आया है जिसके विषय में माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि उसको मान लेना चाहिये। उसके फलस्वरूप ५ बजे के बाद, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर विचार होगा। इस के लिए जब तक सदन चाहे, इसकी महत्ता को देखते हुये, विचार कर ले।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी रूलिंग हो गयी। बहुगुणा जी ने उसको स्वीकार कर लिया। मैं यह समझता हूं कि वह जो एक दिन था वह विवाद के लिए था। और अगर सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आता है तो मैं समझता हूं कि उसके लिए अगर सरकार को कोई सुझाव मुझे देना है तो उसे मैं सरकार के सामने रख सकूं यह अधिकार मुझे होना चाहिये, और अगर सरकार को भी सबको सुनने के बाद कुछ कहना हो तो वह अधिकार सरकार को रहना चाहिये। इसी तरह की परम्परा इस सदन में रही है। सरकार यदि इसी प्रकार की बात इसमें रखे तो वह मैं समझता हूं कि उचित होगा। लेकिन मेरा एक निवेदन आप से यह भी है कि अगर २९ के बजाय यह बहस २८ को या ३० क. कर दी जाय तो अच्छा होगा २९। को मुझे कुछ कठिनाई है। मैं जरूर चाहता हूं कि इस बहस में शामिल रहूं, और अगर आप नहीं मानेंगे तो उन सब कामों को छोड़ कर मैं हाजिर रहूंगा।

श्री अध्यक्ष---

माननीय गेंदा सिंह जी, यदि आप माननीय नेता सदन तथा नेता विरोधी दल से बात करके तारीख में परिवर्तन करा लें, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता

[श्री अध्यक्ष]

है तब तक जो निश्चय मैंने घोषित कर दिया है वह वैसा ही रहेगा। अगर इसके महत्व को आप समझते हैं तो हाउस आफ कामन्स कभी-कभी रात भर बैठा है। २९ तारीख को आप रात भर बात कर सकते हैं और अगर आप समझते हैं कि आगे भी इसके अवसर आयेंगे, तो बाद में इस पर बात कर सकते हैं। यदि २९ तारीख की बात मुख्य मन्त्री जी स्वीकार न करते तो बजट के बाद ही इस पर बात हो पाती, लेकिन उस दशा में इस विषय की तात्कालिकता समाप्त हो जाती। इन बातों को देखते हुये २९ तारीख के लिए निश्चय हो चुका है और जितनी शक्ति माननीय सदस्यों में है इस विषय पर बात करने की, वह उस दिन कर सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—

क्या इस बात का फैसला वोटों से होगा कि इस विषय पर कितना समय दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो नियमों के अनुसार फैसला होगा।

श्री गेंदासिंह—

इसमें नियम से फैसला होने की बात नहीं है। इसमें तो परम्परा के अनुसार फैसला किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

गेंदासिंह जी, मैंने माननीय सदस्यों की इच्छा को देखते हुये उस समय की सीमा को काफी विस्तृत कर दिया है। आप उस समय इस बात को देख लेंगे। जैसी सदन की इच्छा होगी, वह किसी न किसी तरह व्यक्त हो ही जाती है। आप जैसा सुझाव देंगे, वैसी ही बात होगी।

श्री गेंदासिंह—

मैं सदन में आपको बहुत तकलीफ नहीं देता, लेकिन माननीय माल मन्त्री जी या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में बात करने को भी तैयार नहीं हैं, सुनने को भी तैयार नहीं हैं, कि कौन सी स्थिति है इस सूबे में और मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी यह है कि मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी कहें तो इसी समय मैं वह तस्वीरें उनके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने उनको लिख कर भी भेजा, लेकिन वह उसका कोई जवाब नहीं देते।

श्री अध्यक्ष—

तो २९ तारीख को वह सब यहां रखियेगा।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७

वित्त मन्त्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४५६–४५७ पर)

१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आयव्ययक पर सामान्य विवाद होगा ।

श्री रामनारायण (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने इस वाद-विवाद में हिस्सा लेने का मुझे अवसर दिया । मान्यवर, यहां विज्ञ लोग बैठे हैं और आप को भी बताने की जरूरत नहीं है । समाज के ऐतिहासिक विकास में पहले प्रारम्भिक युग में मुखिया हुआ करते थे । उस के बाद समान्तवाद का उदय हुआ फिर पूंजीवाद का उदय हुआ । पूंजीवाद ने सामन्तवाद को समाप्त किया और पूंजीवाद को सर्वहारा मजदूर समाप्त करेंगे यह राजनीतिज्ञों की घोषणा है और ऐसा विज्ञान है । इसी कसौटी पर कस करके मैं उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं, जो बीच-बीच में समय-समय पर विरोधी दल की तरफ से उठाये गये ।

पहली बात तो यह है कि इस बात पर चर्चा हुई कि बहुत से कांग्रेसी लोग जन-कांग्रेस बनाकर अलग हो गये, यह अनुचित बात थी । दूसरे यह कि आज की सरकार लोकतांत्रिक समाजवाद का दावा कैसे कर सकती है ? तो मैं सबसे पहले उस समय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस समय हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे । उस समय इस बात का प्रश्न हमारे नेताओं के सामने था और उचित प्रश्न था कि जब स्वराज्य ही होगा तो आजादी किसकी होगी ? ५ फीसदी बड़े-बड़े पूंजीपतियों, राजा-महाराजाओं और प्रिंसेज की होगी या ९०–९५ फीसदी जनता की होगी ? आप जानते हैं कि इसी को लेकर सन् २८–२९ में कांग्रेस के अन्दर कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी बनी । फिर समाजवादी नेताओं ने आचार्य नरेन्द्रदेव के नेतृत्व में कांग्रेस ही में सोशलिस्ट पार्टी को बनाया । मतलब यह कि यह लगातार प्रश्न था लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि पहले हमें आजादी हासिल कर लेने दीजिये, फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे । हम तो इस भुलावे में पड़ गये, लेकिन एक वर्ग बहुत ही सजग था—वह था देश का पूंजीपति । उन्होंने कांग्रेस में मुक्त हस्त से ब्लैक चेक देकर के कांग्रेस को संगठित कराया और अपने आदमियों को कांग्रेस के अन्दर इस सीमा तक भेज दिया कि महात्मा गांधी को एक साल के अन्दर कहना पड़ा था, 'कि मेरी इच्छा थी कि १२५ वर्ष तक जीऊं, लेकिन आज की दुर्व्यवस्था देख कर मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वह मुझे जल्दी से उठा लें, तो अच्छा है" । १५ अगस्त, १९४७ को आजादी हुई और ३० जनवरी, १९४८ को महात्मा गांधी की हत्या हुई, इसी बीच में उन्होंने यह कहा था । तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह काम तो महात्मा गांधी सन् ४८ में चाहते थे, २० वर्ष तक हमने कांग्रेस के नेताओं का साथ दिया और उनके काम में सम्मिलित होकर हमने यह नहीं किया । अब जन कांग्रेस बनाकर महात्मा गांधी की पवित्र आज्ञाओं का पालन करके उस कांग्रेस को छोड़ना पड़ा . . . (व्यवधान)—मान्यवर, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता की इच्छाओं का पालन कर "देर आयद दुरुस्त आयद" के अनुसार २० साल बाद हमने कांग्रेस को समाप्त करने का को कार्य किया है ।

---

†२१ जून, १९६७ की कार्यवाही से ।

[श्री रामनारायण]

इन २० वर्षों के समय में कांग्रेस ने जनता को तरह तरह से भुलावे में रखा। कभी कोआपरेटिव कामनवेल्थ का जाल बिछाया गया, कभी सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कही गयी, कभी भुवनेश्वर में यह कहा गया कि समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद के सभी तत्व होंगे, कभी कुछ कहा गया, और तरह-तरह के शब्द जालों में २० वर्ष तक जनता को भुलावे में कांग्रेस रखती रही। (व्यवधान) पिछले २० वर्षों में सारे देश में ही कांग्रेस का शासन था, कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं था, लेकिन संविधान मुआवजे वाले क्लाज को नहीं हटाया गया। श्रीमन्, जैसे १७ कमरों वाला कोई महल हो, जिसके ८ कमरे धराशाही हो चुके हों, और उसका मालिक चुप चाप यह सोचा करे कि फिर से उस भवन का निर्माण होगा, उसी मालिक की तरह आज यह कांग्रेस सोच रही है। मैं पूछता हूं कि उस मुआवजे वाले क्लाज को खत्म करने की किसकी जिम्मेवारी थी? (व्यवधान)। मैं महाराष्ट्र की श्रीमती शारदा मुकर्जी, सदस्य आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी की सदस्या के भाषण की तरफ इनका ध्यान दिलाता हूं जिन्होंने कहा है कि २० साल तक जनता को भुलावे में रखा गया और इस प्रश्न को टाला गया। अगर धन और धरती का समुचित बटवारा करना चाहते तो इनके कौन हाथ रोकने वाला था? (व्यवधान)।

श्रीमन्, अब सोशियल कन्ट्रोल की व्याख्या की गयी है। आल इन्डिया कांग्रेस पार्टी में यह कहा गया है कि बैंकों का सोशियल कन्ट्रोल करेंगे। उद्योगों का तो उसमें भी कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देश की गरीब और निरीह जनता को २० वर्षों तक धोखे में रखा (व्यवधान)

एक सदस्य—

यह जो अपने को महात्मा गांधी के अनुयायी बताते हैं, जब उपाध्यक्ष का पद मिला था तो किसने दल का त्याग किया था और उस पद के लालच से ही कांग्रेस को ज्वाइन किया था, फिर अध्यक्ष पद के लिये भी नाम भेजा था, वह नहीं मिला तो कांग्रेस छोड़ दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठें। इस तरह से भाषण देना ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे शान्ति बनाये रखें। मैं समझता हूं कि जब माननीय त्रिपाठी जी खड़े हो जाते हैं तो कुछ पुरानी मोहब्बत जागृत हो जाती है, लेकिन वह इतनी जागृत न हो कि सदन का कार्य ही न चल पाये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। हम लोग जो बात कहें वे हमारी सुनें और ये जो कहें वह हम सुनें। (व्यवधान)। "इब्तिदाये इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिये होता है क्या।" असल बात तो अब कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ने तो यह बतलाया कि कांग्रेस ने कौन से पाप और पुण्य किये। अब आप सोशलिस्ट पार्टी के पाप पुण्य को कहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि आप अध्यक्ष हैं, सर्वसत्ता सम्पन्न हैं, जो अनजान लोग हैं, नये मुसलमान हैं, अभी आये हैं, जो लोग नये हैं उनको हल्ला करने का मौका दें परन्तु जब बहुगुणा हल्ला करने लगें तो उनको रोकिये।

श्री अध्यक्ष—

उग्रसेन जी से जो प्रेरणा ले रहे हों, वे न लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

श्रीमन्, त्रिपाठी जी ने समाजवाद और सोशल कन्ट्रोल की बात कही । क्या ये जनसंघ के साथ साठ गांठ करके समाजवाद लाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं किसी माननीय सदस्य को इसके बाद अनुमति नहीं दूंगा जब तक त्रिपाठी जी स्वयं न बैठें ।

श्री रामनारायण---

मैं कह रहा था, अवसरवादी होने की जो आपत्ति उठाई गई । कांग्रेस सर्वदेशीय पार्टी है । मैं भी भूल से जनतंत्र और लोकतंत्र की झाँकी देखने वहां चला गया था । मैं दुर्गापुर और जयपुर के अधिवेशनों में शामिल हुआ । वहां घोषणायें की गई कि निकट भविष्य में समाजवादी नीतियों पर प्रकाश डाला जायेगा और धन और धरती की सीमा बांधी जायेंगी लेकिन वह कभी न हो सका। उन बातों पर कोई अमल नहीं किया गया । कांग्रेस का बीस वर्षों का ही ऐसा इतिहास है । ऐसी दशा में मैं पांच वर्ष तक अन्दर जाकर देख चुका हूं कि कांग्रेस के शब्दजाल में कोई व्यवहारिकता का प्रश्न नहीं है । समाजवाद को लाने के लिये धन और धरती की सीमा बांधने के लिये आज जब तक मुआवजे का क्लाज संविधान से नहीं हटाया जावेगा तब तक गरीबी और भुखमरी नहीं मिट सकती । बीस वर्ष तक इनका हाथ किसने रोक रक्खा था जब कि प्रदेश और केन्द्र में सब जगह इनका ही शासन था । बीस वर्ष तक यह कुशासन क्यों चलाया गया ? इसकी वजह यही है कि पूंजीपतियों ने बड़ी मजबूती से कांग्रेस पर कब्जा किया हुआ था, समाजवाद का नामोनिशान मिट गया था । कांग्रेस ने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को गवर्नर बनाकर लोक सभा के सदस्य बनाकर मौका दिया कि गड़े मुर्दे उखाड़े जायें । अभी हाल में ही बिड़ला हाउस के बारे में विवाद हो रहा था । लोक सभा में उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ कि इसमें मंत्रियो और प्रशासन पूंजीपतियों का जबर्दस्त असर है । कांग्रेस पार्टी की वजह से देश में ऐसे लोग हैं जो इन्सान की इन्सानियत खरीद सकते हैं । राजनैतिक भ्रष्टाचार फैला रक्खा है मान्यवर, मुझे वही महाभारत की घटना याद हो आती है कि जब द्रौपदी चीर-हरण हो रहा था तो द्रोणाचार्य और कर्ण आदि सब बैठ हुये थे पर चूंकि कौरवों का धान्य खा रखा था कुछ बोल नहीं सके ।

मान्यवर, २० साल से प्रदेश की जनता रूपी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था लेकिन बड़ी बड़ी पूंजीवादी ताकतों के आगे, कांग्रेस के नेताओं को उंगली उठाने का साहस नहीं हुआ। हमारा तो आपको अनुग्रहीत होना चाहिये था कि हमने शिवजी की तरह से गरल पी लिया और आप लोगों के कुशासन को चलाने का भार अपने ऊपर ले लिया और केवल लंबी- लंबी बातों के करनें का आपको विरोध दल के रूप में मौका दे दिया । मैं यह बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि अगर पांच वर्ष आप का शासन और चल जाता तो लोग सड़कों पर आपके ऊपर तलवारों और भालों से हमला करते और आपके सिरों को काट कर भालों की नोक पर लगाकर सड़कों पर प्रदर्शन करते । उस स्थिति से हमने आपको बचा कर शान्तिमय ढंग से क्रान्ति करके राजसत्ता को संभाल लिया ।

आप जनसंघ की बातें कहते हैं । जनसंघ के कारण हमें अपनी प्रगतिशील योजनाओं के चलाने में पिछले ढाई महीनों में कोई कठिनाई नहीं पड़ी । पिछले बीस वर्षों में कांग्रेस के लोग खाली जवाहरलाल और महात्मा गांधीकी दुहाई ही देते रहे हैं । जनसंघके साथ रहकर हमें कोई रुकावट आज तक नहीं हुई, चाहे वह लगान की समस्या हो, चाहे वह भूमि-भवन-कर को छोड़ने की बात हो । एक भी जनसंघ के सदस्य ने यह नहीं कहा कि वे इसके विरोध में हैं । हमें उनके साथ शासन को चलाने में कोई कठिनाई नहीं हुई । आप तो यह चाहते हैं कि हम जनसंघ को अपने से अलग कर दें और आपको फिर इन कुर्सियो पर बैठने का अवसर मिल जाय । २० वर्ष तक कुर्सियों पर बैठने के बाद उनके छूटने पर कुछ झुंझलाहट तो होती है । २० वर्ष तक मैं विरोधी दलों के कर्त्तव्यों

[रामनारायण]

पर आपके बहुत से उपदेशों को सुनता रहा, विरोधीदल के मेम्बरों की हैसियत से भी और कांग्रेस से भी और कांग्रेस के सदस्य की हैसियत से भी, लेकिन आज आपके व्यवहार से मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई । मुझे बड़ी आशा थी जब माननीय कमलापति त्रिपाठी, माननीय चन्द्रभानु गुप्त और माननीय नवल किशोर उधर बैठेंगे तो विरोधी दल की ओर से उस शिष्टता का प्रदर्शन होगा जिसका उपदेश आप २० साल से करते रहे थे । लेकिन मुझे निराशा ही हुई । ऐसी हालत में जन कांग्रेस ने सच्चे मानों में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पवित्र इच्छाओं का ही पालन किया है और देश में समाजवादी समाज की स्थापना की ओरआगे कदम बढ़ाया है ।

पार्टी छोड़ने वालों के बारे में भी कहा गया । कांग्रेस की ओर से जब इस बारे में बात कही जाती है तो हंसी आती है । श्री गेंदा सिंह जी अभी वहां बैठे हुये हैं वे अपने १५-२० प्रजा सोशलिस्ट मेम्बरों को लेकर श्रीमती सुचेता कृपालानी के मंत्रिमंडल में आ गये तो इधर के एक भी सदस्य ने यह बात नहीं कही । माननीय रामायण राय जी और माननीय कल्पनाथ सिंह जी भी अपनी पार्टी को छोड़ कर कांग्रेस में आये थे लेकिन किसी ने ऐतराज नहीं किया । बात यह है कि हमारे देश में ऐसी परम्परा ही है कि इस प्रकार से करने पर, फ्लोर क्रास करने पर कोई रुकावट नहीं है और यहां व्यक्ति पूजा अब भी बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि हमारे यहां स्वतंत्र सदस्य बहुत मात्रा में अब भी चुन कर आ जाते हैं । हमने जो फ्लोर क्रास किया, वह साधारण रूप से भी नहीं किया । हमने उसके द्वारा एक शान्तिमय क्रान्ति का सृजन किया । २० साल के कांग्रेसीशासन ने जब भारत में चीन के चांकाईशेख जैसी हालत पैदा कर दी थी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सी खूनी क्रान्ति को बचाने के लिये शान्तिमय ढंग से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आदेशों का पालन करने के लिये शान्तिमय ढंग से आपके हाथों से सत्ता को ले लिया । एक माननीय नेकराम शर्मा जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था तो जनता के रोष को देखकर सरकार को पी० ए० सी० बुलानी पड़ी थी । लेकिन जब हम ने जन कांग्रेस बनायी और जैसे ही जनता को यह मालूम हुआ कि इस प्रकार से एक जन कांग्रेस का उदय हुआ है, तो रिक्शे वालों ने सवारियों से किराया लेना बंन्द कर दिया और हलवाइयों ने मुफ्त मिटाई बांटी । लोग समझते थे कि जन कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र और समाजवाद का अब उदय हो रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऊंचे शब्दों में कहा कि हम महात्मा गांधी के समाज की स्थापना करना चाहते हैं । समाजवाद कोई ऐसा रूढ़ि शब्द नहीं है जिसका केवल यह अर्थ होता हो कि कम्युनिस्टों का समाजवाद कोई अलग है और सोशलिस्टों का समाजवाद कोई अलग है । समाजवाद तो एक ऐसी व्यवस्था है जो जन जन का हितसाधन करती है, हर एक के लिये कपड़े, उसके रहने के लिये मकान उसके लिये दवादारू और शिक्षा की व्यवस्था करती है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बजट पर भाषण हो रहा है ?

श्री रामनारायण—

एक तरफ बिड़ला और टाटा हैं जो २० वर्ष के कांग्रेस शासन में लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन गये और आज पूंजीपतियों के अन्दर इतना दम हो गया है कि वे कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों लोक सभा सदस्य हमारे इशारे पर नाचते हैं । लोकसभा में इन कांग्रेसी नेताओं की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वे समाजवाद और बैंकों के राष्ट्रीयकरण आदि प्रश्नों पर शो डाउन के लिये तैयार हों क्योंकि इन कांग्रेसी नेताओं ने एक तरह से अपने पूरे संगठन को और कांग्रेस गवर्नमेन्ट को उनके हाथ की बन्दिनी बना दिया है । हमने कांग्रेस पार्टी को कोई धोखा नहीं दिया उसे छोड़ कर बल्कि हमने तो देश की जनता के साथ एक क्रान्तिकारी दल का सृजन करके न्याय किया । तो इस आधार पर मैं समझता हूं कि हमारे जो कार्यकलाप व कार्य विधि हैं उसकी माननीय सदस्य प्रशंसा करेंगे ।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि पिछले दो दिनों में जो बजट पर चर्चा हुई, मैं यहां मौजूद नहीं था, इसलिये माननीय सदस्यों के भाषणों से लाभान्वित नहीं हो सका । यहां राजनैतिक समस्या की चर्चा होती रही है । आज जब माननीय राम नारायण त्रिपाठी के भाषण को मैंने सुना तो मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि माननीय त्रिपाठी ऐसे व्यक्ति गांधी जी का नाम ले रहे हैं। श्रीमन्, अंग्रेजी में एक फिकरा है-"सम बाडी कोट्स बाइबिल" । आप तो यहां कांग्रेस में चेयरमैन होने के लिये आये थे, गांधी जी से आपका क्या वास्ता ? जब स्पीकरी नहीं मिली तो कांग्रेस छोड़ कर चले गये । ८ दिन तक तो कांग्रेस में रहे ही । गांधी जी ने ठीक कहा था कि कांग्रेस तोड़ दो, क्योंकि वे जानते थे कि आप जैसे लोग कांग्रेस में आ जायेंगे । मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी आदत कटाक्ष करने की नहीं है । साधारण समस्याओं को लेकर (व्यवधान)

(इस समय १ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरीश कुमार गंगवार पीठासीन हुए)

मान्यवर पहली अप्रैल को माननीय चरण सिंह जी ने इसी सदन में एक भाषण दिया था जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी । उनका कहना था कि आज जन साधारण यह बात नहीं जान पाता कि जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं चीजों के दाम गिरे हैं और उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस सरकार बनी है वहां चीजों के भाव नीचे नहीं आये हैं । माननीय चरण सिंह जी को बड़ा कष्ट था इस बात का कि इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार का १८ दिन तक राज्य रहा और उसका कोई असर चीजों के भाव पर नहीं पड़ा । मान्यवर, मेरा चौधरी साहब से बहुत पुराना साथ था और कोई कारण नहीं है कि यह सोचने का कि उनकी यह सही भावना नहीं थी और महज धोखे अथवा बहकावे में आकर उन्होंने यह बात नहीं कही थी, मैं यह बात मानता हूं । आज इस सरकार को तीन महीने होने को आये जब माननीय चौधरी चरण सिंह ने भाषण ने दिया था । उन दिनों गेहूं का जो भाव था, आज उससे थोड़ा महंगा ही है, कम नहीं हुआ है, उस वक्त आलू ४ आने सेर था जब कि आज आलू भी सवा रुपये सेर है । उस वक्त दालें १ रुपया किलो थीं जो अब ढाई रुपये किलो हैं । उस वक्त गुड़ १२ आना किलो था जो अब ढाई रुपये किलो है । उस वक्त शक्कर डेढ़ रुपये किलो थी जो अब ५ रुपये किलो है । बेझड़ वगैरा जो सस्ते अनाज थे उन के भाव आज सवा रुपये तक पहुंच गये हैं । वह १८ दिन की बात थी तो यह ३ माह का असर है । मुझे खेद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज यहां नहीं हैं वर्ना मैं उन से पूछता कि १८ दिन में भाव नीचे नहीं गिरे और उन को यह कष्ट करना पड़ा लेकिन अब जब कि वह ३ माह में दुगुने और तिगुने हो गये हैं तो वह अब क्या करने जा रहे हैं । भावों की बात और कई दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है । आज के दिन कोई आदमी साधारणतः अपना पेट वैसे ही नहीं भर पाता है । उस समय तो हमारे मिर्जापुर के माननीय सदस्य रोजाना फेहरिस्त पेश करते थे कि इतनी मौतें हो गईं लेकिन अब वह भी गायब हैं । माननीय झारखंडे राय ने तो इधर तसलीम किया है कि भूख से मौतें हुई हैं । माननीय प्रताप सिंह ने भी कहा है कि पहाड़ में भी भूख से मौतें हुई हैं लेकिन यह चीज अब जब कि सूबे के कई जिलों में फैल रही है तो उसकी कोई चर्चा नहीं है । भूख का असर कितने लोगों पर पड़ा है इस सम्बन्ध में कलकत्ते में श्री झारखंडे राय जी ने कहा था कि १ करोड़ आदमी यू० पी० में भूख से पीड़ित हैं, लोगों का अनुमान तो २ करोड़ का था और लगता भी ऐसा है कि प्रदेश की दो तिहाई आबादी सही तरीके से अपना पेट नहीं भर पाती है। सौ दो सौ रुपया पाने वाले तो शायद अब एक वक्त भी भर पेट खाना न पाते हों और पाते हों तो गनीमत है । जब अच्छे दिन थे तब यहां शकर और गुड़ को लेकर १९ पौंड का खर्च था जब कि वह दूसरे देशों में १०० पौंड था । बैलेन्स्ड डायट की दृष्टि से यह सूबा दाल और अनाज को छोड़कर और सब चीजों में पीछे था लेकिन वह आज तो उन में भी पीछे हो गया है। इस का असर देश के और प्रदेश के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है, इस से हमारे नौजवान अवश्य कमजोर हो जायंगे । हमारे सिपाहियों में भी कमजोरी आयेगी । देश का शारीरिक बल कम हो रहा है यह निर्विवाद है । हम चाहे एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फूलसिंह]

दूसरे पर इल्जाम लगायें लेकिन यह वाकई में सही है कि शारीरिक दृष्टि से देश बड़े संकट में जा रहा है । यह तो भगवान की कृपा है कि हमें अनाज पड़ोस के देशों से मिल जाता है वर्ना आज मुल्क रोजाना लड़ाई के लिये उतारू हैं और आपस में नहीं लड़ रहे हैं यह उस की कृपा है वर्ना अगर लड़ाई हो जाती तो न जाने क्या होता, यह सोचकर ही डर लगता है । हमारा मानसिक बल भी कुछ बढ़ा नहीं है ।

सरकारी मंत्रियों के बारे में मुझे यह कहने में यहां कोई संकोच नहीं है कि उन में से कुछ तो ऐसे हैं कि जो जब से मंत्री हुये हैं वह कार से अभी नीचे उतरे ही नहीं हैं और बराबर घूम ही रहे हैं । एक को मौका मिला तो वह भी चल दिये बद्रीनाथ की ओर यात्रा पर वह मिनिस्टर होकर जलूस के साथ जाते हैं । क्या असर इसका समाज पर पड़ेगा । जितने दल हैं उन के अलग अलग मशवरे हैं, कांग्रेस से मशवरा करना और उन के खतों का जवाब देना तो उनके लिये नामुमकिन है। इससे समाज में अच्छा वातावरण नहीं बन सकता । सरकारी कर्मचारियों की जो दुर्दशा हो गई है उस से वह दब सकते हैं लेकिन इस तरह से उन का सहयोग प्राप्त होना मुश्किल होगा । मजदूरों के साथ कालागढ़ में जो हाल हुआ है वह भी आप के ताज में नया पर है । स्त्रियों पर लाठी चार्ज हुआ जहां पर हमारे माननीय माल मंत्री जी भी मौजूद थे और जिनको यह बयान भी देना पड़ा कि हुआ ही नहीं, हालांकि स्त्रियों को फ्रैक्चर तक हो गये । ये सब बातें भिन्न भिन्न महत्व रखती हैं । मैं कोई इल्जाम की दृष्टि से नहीं कहता हूं । मुल्क का एक-एक लम्हा कीमती है । ३ महीने गुजर गये हैं । देश के उत्पादन की गाड़ी रुक गयी है, उसका हाल्ट हो गया है। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी स्वायल कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं । पूज्य गांधी जी ने एक बार बताया था कि स्वायल कन्जर्वेशन के बिना खेती के उत्पादन की कोशिश करना ऐसा है जैसे फटी हुयी जेब में पैसा डालना । स्वायल कन्जरवेशन के लिये अकालग्रस्त जिलों में २ डिवीजन खोले गये । तनख्वाहों के लिये तो रुपये का प्रबन्ध हो गया है लेकिन वर्क्स के लिये कोई पैसा नहीं दिया । २ जिलों की ही बात नहीं है । क्या आप नहीं जानते हैं कि सारे प्रदेश में ३–४ महीनों में स्वायल कन्जर्वेशन में किसानों को एक पैसा भी नहीं दिया गया है । फुर्सत ही किसको है । आपको तो केवल इतनी फुरसत है कि अपने-अपने गीत गायें । हम तो सुना करते थे कि लोग दूसरों से कहा करते थे कि आप बहुत भले आदमी हैं लेकिन यहां पर तो इसके उल्टी ही बात है ।

इस बजट, जिससे हमें बड़ी आशायें थी, को देखने से मालूम होता है कि इसमें ११ करोड़ रुपया जो बढ़ा है, वह सरकारी कर्मचारियों के डी० ए० का रुपया बढ़ा है । २ करोड़ रुपया भूमि भवन कर का जो माफ हुआ है, वह बढ़ा है । करीब ५ करोड़ रुपया वह रुपया है जो कृषि कर माफ करके किया गया है (रेवेन्यू सेस का) । इस प्रकार से यह १७ करोड़ रुपया बढ़ा है । आपको यह जानकर दुख होगा कि कृषि और कृषि सम्बन्धी योजनाओं से सरकार ने २० करोड़ रुपया निकाल लिया है ।

माइनर इर्रीगेशन में पिछले साल २६ करोड़, ३४ लाख रुपया था । इस वर्ष केवल १८ करोड़ रुपया रखा गया है यानी ८ करोड़ ३४ लाख रुपया माइनर इर्रीगेशन में कम रखा गया है । दूसरे इस वर्ष ११२ कुयें बनाने की योजना है जब कि पार साल हमने ३३१ कुयें बनाये थे । कितने रुपये की बचत की, आप अन्दाजा लगा लें । इलेक्ट्रिफिकेशन आफ प्राइवेट ट्यूबवेल्स की योजना थी । पिछले साल हमने १५ करोड़ रुपये का प्रावीजन किया था । और आपने ७ १/२ करोड़ का किया है । १६ करोड़ तो आपने २ मदों से ही बचा लिया है । कोई तो मद निकालिये जिसमें आपने कुछ किया हो । बिजली को ही ले लीजिये । हमारे वित्त मंत्री ने कानपुर में भाषण दिया कि बिजली प्राइवेट, ट्यूबवेल्स में लेने के लिये प्रति फर्लांग १,००० रुपया देना होगा जिस पर ३ १/२ परसेन्ट का सूद मिलेगा । पहले तो ४–६ फर्लांग पर बिजली मुफ्त मिल जाती थी परन्तु अब वे हर फर्लांग के लिये १,००० रुपया किसानों से ले रहे हैं ।

अब खाद और बीज की बात को ले लीजिये । माननीय गेंदा सिंह जी ने पिछली बार ९७ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज किसानों को दिया था जब कि अब उन्हें आप १२४ रुपया प्रति क्विंटल बेच रहे हैं । प्रोक्योरमेंन्ट में आप कहते हैं कि आप ८५ रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे और १०० रुपये में बेचेंगे । जब उपभोक्ताओं को देना होता है तो १०० रुपये में और जब किसानों को दिया जाता है तो १२० रुपये में । इन सब बातों को देखने की किस को फुर्सत है कि कोई इस बात के देखें कि यह किसानों को ४४ या २७ रुपये क्यों महंगा दिया जा रहा है । तरकीबें बहुत हैं आपके हाथ में। धान के बीज में ५ दफा दवाई छिड़कनी पड़ती है और हर बार दवा छिड़कने में ७ रु० लगते हैं। इस साल आपने यह तय कर दिया कि जितनी कीमत लगेगी वह और १७ परसेंट और यह सब किसानों से वसूल किया जायगा। तो ४१ रु० की जगह अब ४९ रु० प्रति एकड़ किसान को देना पड़ेगा। किसानों की खाल उतार लें आप। कहां है मक्का का बीज। मक्का का बीज भी आन्ध्र प्रदेश से आया है २० तारीख को और उस को दे दिया बिहार को, आप और मांग रहें हैं आन्ध्रा से। तराई वाला बीज सूख रहा है, अभी आया नहीं है। शंकर मक्का का बीज ८५ रु० क्विन्टल पर खरीदा जाता है और आप ३ रु० किलो पर बेच रहें हैं। संकर ज्वार का बीज १० रु० किलो बेच रहें हैं । शंकर बाजरा अभी पता नहीं है आया कि नहीं। उस का बीज १२ रु० किलो बेच रहें हैं। खाद में आपने बड़ी रियायत की। डाई अमोनिया फासफेट की ८०० रु० टन की कीमत थी। अब १,०५० रु० टन हो गई है, यानी ३० फीसदी भाव बढ़ा है। और चीजों के भी भाव इसी प्रकर बढ़ें हैं । यूरिया का भी १५० रु० बढ़ गया है । अमोनिया सल्फेट का भी इसी तरह से बढ़ गया है । तो इस दृष्टि से इस देश में क्या प्रगति होगी इस को भी जरा सोच लीजिये । या जो गाली गलौज होती रहेगी हर वक्त और सब कथायें होती रहेंगीं और गांधीजी ने यह कहा था और समाजवाद में यह है इस से काम नहीं चलेगा । आज किसान परेशान हैं। क्या करना था और क्या करने लगे। किसान की बात आप नहीं सुनते।

दो, तीन बातें आपने ऐसी कर दीं जिससे स्पष्ट है कि आप की सरकार शहरी लोगों के माफिक है। मैं दो चीजें बताता हूं। आपने ८५ रु० प्रति क्विन्टल प्रोक्योरमेंट की प्राइस रखी, लेकिन इतना देते किस को हैं ? वह मारकेटिंग अफसर जो बैठा है जो कहता है कि इस गेंहूं में इतनी खराबी है जिससे वह ८५ की जगह ७५ कर देता है । जिस भाव चाहो किसानों से गल्ला लो। घर में अनाज न हो तो बाहर से ला कर दो। बेझड़ भी प्रोक्योर करना शुरू कर दिया है। गनीमत यह है कि आपको मालूम नहीं है कि हवा भी प्रोक्योर हो सकती है वरना सांस लेना भी बन्द कर दें। ८५ रु० लेंगे, बाजार में भाव १४० रु० है और जो १४० रु० क्विन्टल खरीद कर खाता है उसे आप १०० रु० क्विन्टल के भाव देंगे। तो शहर वालों को रियायत कर रहे हो। दूसरी मिसाल लीजिये। आपने कहा कि जो आदमी अनाज देगा उस को शक्कर दी जायेगी। शक्कर कहां से आयेगी। शक्कर की पोजीशन यह है कि २६ हजार टन शक्कर आती है हर महीने इस सूबे में जिस का ८० फीसदी शहर के लोगों को दिया जाता है, २० फीसदी में बाकी हलवाई और किसान आते हैं। अब आपने यह कर दिया कि देहात की शक्कर बन्द, और सरकार चीनी उस को देगी जो अनाज देगा। आपने यह नहीं किया कि शहर के आदमी जो अनाज खायेंगे वह शकर कम खायें। उनकी शक्कर भी पूरी रहे और अनाज भी सस्ता रहे। गांव वालों को शक्कर न मिले और अनाज भी सस्ता लिया जाय। इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है कि आप किसानों को चूस कर शहर के लोगों को पनपाना चाहते हैं । १९ सूत्री प्रोग्राम में पहला नम्बर था लगान माफ करने का और आखिर में भूमि भवन कर का था। लेकिन भूमि भवन कर आपने माफ कर दिया जो कि बड़े लोगों को कम देना होता था लेकिन लगान माफ नहीं किया जो उन पर पड़ता है जिनके पास खाने को नहीं है और भूमि भवन कर से जो दो करोड़ का घाटा पड़ा वह किसानों से निकाल लिया।

मैं सब मंत्रियों से परिचित नहीं हूं लेकिन मुख्य मंत्री से हूं। वह जानबूझ कर ऐसा कानून बनने देंगे जो किसानों के पक्ष में न हो इसे मैं मान नहीं सकता। शायद वह जनसंघ के ऐसे चंगुल में फंसे हुये हैं कि वह पर नहीं मार सकते और उग्रसेन जी की पार्टी या कम्यूनिस्ट पार्टी जो है वे सब पर कैंच हो गये हैं और हमेशा के लिये दफन होने जा रहें हैं। अब भी वक्त है वर्ना दुनिया यह

[श्री फूलसिंह]

कहेगी कि कांग्रेस वालों ने गड़बड़ की तो आप बैठे और आपने गड़बड़ की तो मुल्क तबाह हो गया। एक रिक्शे वाला कह रहा था एक मिनट हंसने की वजह से ५ साल रोने को मजबूर होना पड़ा। "कहती है तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या"। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें मेरे मित्रों ने सुनी होंगी और आशा है कि वे वस्तुस्थिति पर विचार करेंगे क्योंकि इतिहास में हमारा नाम होगा।

श्री बजरंगबली ब्रह्मचारी (जिला हमीरपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, अहं भूयो भूयो उतिष्ठमानोस्मि, किन्तु भवद्वारा अवसरं न प्राप्तोस्मि। कृपया नूतन सदस्यांना प्राथमिकता देया।

*चौधरी शंकरसिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। इस बजट के दौरान इस तरफ के साथियों ने जितनी ही इस बजट की तारीफ की उतनी ही विरोधियों ने कटु आलोचना की। विरोधियों के लिये यह चीज कुछ स्वाभाविक ही हो गयी है और फिर जमाने की तब्दीली ने उसमें बौखलाहट पैदा कर दी है। इधर कुछ सालों से प्रदेश में मैन ईटर्स की बड़ी शिकायत सुनने में आयी है। मैन ईटर की यह खसूसियत होती है कि उसकी दाढ़ से इन्सानी खून और इन्सानी मांस लग जाता है और जिसकी दाढ़ से इन्सानी खून लग जाता है उसको फिर कोई दूसरा खून पसन्द नहीं आता है। ठीक ऐसी ही हालत हमारे विरोधियों की है। उन्होंने अपने २० साल के शासन में जनता पर जो जुल्म किये, जो मनमानी करते रहे, टैक्स के बोझ से जनता की कमर तोड़ते रहे आज वह पहली बार देखते हैं कि एक ऐसा बजट आया है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं है। तब उनकी बौखलाहट बढ़ जाती है। उनके सामने एक ऐसा मेन्यु है जिसमें वह आइटम जिसके लिये वह हमेशा से आदी रहे वह नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, एक आइटम भूमि–भवन कर था जिसके लिये हमारे विरोधियों ने हम पर यह आरोप लगाया, जैसा कि अभी ठाकुर फूलसिंह ने कहा कि यह तो शहर के गरीब तबके के लिये नहीं था, पैसे वाले लोगों के फायदे के लिये हटाया गया है। ठाकुर फूल सिंह जी बड़े पुराने सदस्य हैं, मैं तो बिल्कुल नया हूं, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर आदमी जानता है कि भूमि-भवन कर का गरीब लोगों पर ज्यादा असर पड़ता था, अमीरों पर उतना नहीं। अगर एक अमीर आदमी को दो, चार सौ रुपये भूमि-भवन कर के रूप में देना भी पड़े तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक गरीब नौकर पेशा को अगर उसे अपनी आमदनी में से बच्चों का पेट काटकर १० रुपये भी भूमि-भवन कर में देना पड़ता है तो उसकी हड्डी पर कसकता है।

इस बजट से एक चीज साफ है कि इससे जनता को पहली बार राहत मिली है और जनता समझ रही है कि कोई ऐसी सरकार आयी है जिसने उसकी मुसीबतों की तरफ ध्यान दिया है।

एक और आरोप जो एस० वी० डी० के ऊपर होता है वह यह कि इस सरकार ने अपने १९ सूत्री प्रोग्राम को पूरा नहीं किया। इसका सही जवाब यह है कि हम मानते हैं कि अभी तक १९ सूत्री कार्यक्रम के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमने जो कहा था उसको पूरा करना है और अगर हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके जिम्मेवार आप हैं। हर कोई जानता है कि लखनऊ से दिल्ली तक सड़क से जाने में दस घंटे लगते हैं। लेकिन अगर रास्ते में जगह-जगह पर पुल और पुलियां टूटी हों, तरह तरह के बैरियर्स हों, इन दिक्कतों को देखते हुये अगर दस घंटे का सफर दस रोज में भी तय कर लिया जाता है तो बड़ी बात होगी। यही हालत एस० वी० डी० की है। कांग्रेस जो इतने दिनों तक सत्तारूढ़ रही उसने जो बैरियर्स लगा दिये उसकी वजह से हमको कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि १९ सूत्री प्रोग्राम को अमल में लाने में देरी हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक हमारे ऊपर आरोप यह है कि गल्ले की समस्या के लिये हम जिम्मेदार हैं। लेकिन इसके लिये एस० वी० डी० की सरकार इतनी जिम्मेदार नहीं है जितने हमारे कांग्रेसी भाई जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के बीस साल के कुशासन का परिणाम बढ़ती हुई बेरोजगारी है, चाहे वह शहर की हो या देहात की हो। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि चीजों की कीमतें एकदम बढ़ती चलीं गयी। आखिर हमने कीमतें नहीं बढ़ा दीं। आपने पहले से ऐसे हालात कर दिये थे कि उनकी वजह से कीमतें बढ़ीं। आप जरा अपने कारनामों पर गौर कीजिये। आपने जब जब कीमतें रोकने का नारा लगाया व्यापारियों को जैसे एक इशारा मिला हो और उन्होंने आपकी घोषणा के साथ ही एकदम कीमतें बढ़ा दीं। आप अपने कारनामों पर गौर कीजिये। हालांकि मैं मानता हूं कि खाद्य समस्या सूखा की वजह से जटिल हो गई है लेकिन आपकी उससे ज्यादा जिम्मेदारी है। आज आजादी के २० साल के बाद भी किसान पानी के लिये आसमान की तरफ देखता है। आपकी तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी किसान की हालत ऐसी नहीं है कि वह पानी के लिये अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिये संयुक्त विधायक दल की सरकार जिम्मेदार है या कांग्रेसी सरकार जिम्मेदार है।

अन्न की समस्या पर मैं समझता हूं कि हमारी एस० वी० डी० की सरकार जल्द से जल्द काबू पा लेगी। अभी तक तो खाद्य की समस्या शहरों तक ही सीमित थी लेकिन अब जो स्थिति आई है वह ऐसी भयंकर है कि गवर्नमेन्ट को सरकारी गल्ले की दुकानें गांवों में खोलने के लिये मजबूर होना पड़ा। यह वाकई इस प्रदेश के लिये, जो खेती में सब से आगे रहा है, बड़े शर्म की चीज है। गांवों में जहां अनाज के भंडार भरे रहते थे वहां भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलनी पड़ीं। लेकिन इसके लिये आपका गलत नियोजन जिम्मेदार है।

आपने नियोजन के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया। लेकिन क्या इसका असली फायदा जनता को मिल सका? जरा भी नहीं मिला। अगर मिला होता तो यह स्थिति न होती। इसका फायदा थोड़े से गिने चुने कांग्रेसियों का मिला या फिर पूंजीपतियों को मिला। जो लखपति थे वे दस लाख के हो गये और जो दस लाख के आसामी थे वे करोड़पति हो गये और जिन कांग्रेसियों की झोंपड़ियां थीं उनके ऊंचे ऊंचे महल खड़े हो गये। जनता को कोई फायदा नहीं मिला है। बड़ी खुशी की बात है कि एस० वी० डी० सरकार ने महसूस किया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है खेती की तरक्की करनी है और किसान के लिये सिंचाई की व्यवस्था के लिये इस बजट में काफी इन्तजाम किया गया है।

लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी सरकार को एक बात का ध्यान रखना चाहिये कि सिर्फ पैसा एलाट करने से, नीति बना लेने से काम पूरा नहीं हो जाता है उसको अमल में लाना चाहिये। पिछली सरकार ने भी योजनायें बनाई लेकिन वे इसीलिये सफल नहीं हुई कि उनका इम्पलीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। हमारी सरकार इस पर ध्यान दे कि जो योजनायें बनें वे ठीक से इम्पलीमेंट हों।

हमारा बुन्देलखंड क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है और कुछ इसका ऐसा दुर्भाग्य रहा कि जब तक कांग्रेस हुकूमत रही उसकी इससे विशेष नाराजगी रही। तरक्की के मामले में यहां का मामला कांग्रेसी सरकार में रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा। हमारे जिला जालौन में चतुर्भुज शर्मा जी कांग्रेसी सरकार में मंत्री रहे लेकिन उनके बावजूद इस इलाके की कोई तरक्की नहीं हुई। अगर कोई उल्लेखनीय कार्य हुआ तो यह कि उनके उरई में उनके मकान से लेकर मोहान गांव तक पक्की सड़क बन गई। अगर इसकी तरक्की की तरफ ध्यान दिया गया तो प्रदेश की उन्नति में काफी सहयोग होगा। मैं जालौन के कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आबादी के लिहाज से हमारे जिले जालौन की आबादी सिर्फ साढ़े ६ लाख है, उसके खिलाफ रकबा ११ लाख एकड़ के करीब है। इसमें जो खेती योग्य भूमि है वह ८ लाख ७८ हजार एकड़ है। यह अनुपात और जिलों के मुकाबले में खेती पर बोझ कम है। लेकिन दुर्भाग्य है यह है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है सिंचाई के, बिजली के, आने जाने के। उसका सीधा असर हमारी पैदावार पर पड़ता है। ८ लाख ७८ हजार एकड़ के रकबे में २ लाख एकड़ सिंचित है जो २३–२४ प्रतिशत आता है।

[चौधरी शंकर सिंह]

यह भी सिंचित क्षेत्र ऐसा है जो पूरी तरह से सिंचित नहीं है २ लाख ३९ हजार में से ४५ हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा दो फसलें पैदा होती है। एक आध पानी मिल जाता है। इससे अधिक पानी नहीं मिलता। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर बुन्देलखंड में सरकार आबपाशी के साधन कर दे, आने जाने के साधन कर दे तो जो आज अनाज की कमी के लिये दिल्ली जाना पड़ता है दूसरे प्रान्तों के सामने हाथ पसारना पड़ता है यह कमी प्रदेश की, अकेला बुन्दलखंड ही पूरा कर ले जायगा। आने जाने के साधन न होने की वजह से बीज अपने स्थान पर समय से नहीं पहुंच पाता। फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स नहीं पहुंच सकते हैं। पैदावार को बेचने के लिये बाजार नहीं ले जा सकते। उसका असर यह पड़ता है खलिहान उठाते उठाते बारिश आ जाती है। जब ले जाने का मौका आता है तब तक गल्ला खराब हो जाता है। कालपी मदारीपुर सड़क को चौथी पंचवर्षीय योजना में टाप प्रायारिटी दी गयी थी। यह सड़क न होने की वजह से सिर्फ तहसील तक पहुंचने के लिये ७०—७५ मील का सफर तय करना पड़ता है। कम से कम उस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू किया जाय। इसके साथ सिंचाई के साधन बहुत कम है। हमारे यहां सिंचाई बेतवा पर बने बांधों से होती है। माताटीला बांध हमारे यहां सबसे बड़ा बांध है जिससे जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर में सिंचाई होती है। लेकिन इस साल उसमें पानी न भरने की वजह से पूरे क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो सकी। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आइन्दा इस तरह की गल्ती न हो जिसमें बांध अधूरा रह जाय या उसमें पानी न भरे। उसके साथ साथ जो एक्सटेंशन वर्क होना था वह हो मौजूदा नहरों की रिमाडलिंग की जाय। इसके साथ जो पूरे जिलों को पानी सप्लाई कर दे इसके लिये एक योजना राजघाट बन रही है। वह योजना सरकार जल्दी से जल्दी अपने हाथ में ले इसके साथ ट्यूबवेल्स और माइनर इरीगेशन के बारे में कहना है। हमारे क्षेत्र में ट्यूबवेल्स हैं ही नहीं। माइनर इरीगेशन का जो नया मुहकमा खोला गया है, सिंचाई मुहकमें ने जिन अफसरों को बेकार समझा उनको माइनर इरीगेशन में ट्रांसफर कर दिया। वे बिलकुल बेकार साबित हो रहे हैं।

मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस पर गौर करे और सिंचाई विभाग के जो अच्छे से अच्छे अफसर हैं वह माइनर इरीगेशन विभाग में पहुंचाये जायें। क्योंकि यह माइनर इरीगेशन का महकमा ऐसा विभाग है जिस पर सारी लघु सिंचाई की योजनायें निर्भर करती हैं। इसलिये यदि इसमें असमर्थ और खराब अफसर होंगे तो मकहमें की सारी योजनायें बेकार जायंगी और उससे जनता का कोई भी हित नहीं होगा।

कुछ बात मैं रिगों के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे यहां जिला झांसी में ४, और जिला जालौन में १ रिग आई। किन्तु आज जिला झांसी की चारों रिगें बेकार पड़ी हुई है क्योंकि महकमें में होशियार टेक्नीशियन्स ही नहीं है। इसी प्रकार से जिला जालौन की रिग भी बेकार पड़ी हुई है उनको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि स्टाफ कम अनुभवी और नासमझ है। कोसिंग पाइप नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जैसा स्टाफ रखा जाये जो कि इसके बारे में जानकारी रखता हो और वाकई में जिस व्यक्ति में इसमें काम करने की लगन हो।

इसके अतिरिक्त सीड और फर्टिलाइजर के बारे में कुछ कहना है, क्योंकि खेती की उन्नति के लिये सीड, फर्टिलाइजर आदि की भी अत्यन्त आवश्यकता है। जो बीज किसानों को सरकारी गोदामों से दिया जाता है उनमें भी सरकार की भावना अब तक एक बनिये की सी रही है और मुनाफा प्राप्त करने की उसकी मनोवृत्ति रही है। इसलिये सरकार इस बात का पूर्ण प्रयास करे कि किसनों को बिना किसी परेशानी के अच्छे से अच्छा बीज गोदाम से मिल सके भले ही इससे सरकार को लाभ कुछ कम हो।

इसके साथ लोन्स और तकावी के बारे में भी कहना है। पंपिंग सेट आदि के लिये अन्धा-धुन्ध लोन दिया जाता है जो अनिवार्य भी है, किन्तु इसके साथ यह भी जरूरी है कि सरकार यह भी देखे कि यदि हम इनके लिये लोन देते हैं तो मशीन के लिये, बोरिंग के लिये और इंजन आदि की व्यवस्था के लिये भी कुछ लोन देने की व्यवस्था रखें।

श्री त्रेपन सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं जो अपने इस बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया है। इस बजट को जब सदन में प्रस्तुत किया गया और उसके पहले श्रीमन्, यह उम्मीद की जाती थी और हम यह समझते थे कि इस मिलीजुली, खिचड़ी सरकार ने जो ऐलान किये थे और जिस बुनियाद पर यह सरकार बनी थी १९ सूत्री कार्यक्रम की इसमें झलक मिलेगी। लेकिन अफसोस है कि एक-दो मसलों को छोड़कर बाकी मसलों को इसमें नजरन्दाज किया गया है। हमारा यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है और इस बजट को और किसान को देखते हुये यदि यह कहा जाये तो यह सत्य होगा कि यह किसानों के साथ बलात्कार किया गया है। लघु सिंचाई योजना में, जैसा कि अभी फूलसिंह जी ने भी कहा इसमें कटौती की गयी है। सोशल एजूकेशन के बारे में देखें तो उसमें भी कमी की गयी है। इन आवश्यक मदों में कटौती करके इस सरकार ने शहर के लोगों को आगे बढ़ाने और गांव के लोगों को पीछे ढकेलने का प्रयास किया है, जिसकी कि हमें इस सरकार से उम्मीद नहीं थी। मैं चाहता हूं कि सरकार जिस तरह से मालगुजारी के संबंध में और विद्यार्थियों के संबंध में ऐलान कर चुकी है, उसे अविलम्ब ही पूरा करने की घोषणा करे। क्योंकि किसानों के संबंध में और विद्यार्थियों के सम्बन्ध में न सिर्फ सरकारी तरफ से बल्कि विरोधी पक्ष ने भी इस बात का एलान कर रखा है और इस बात के लिये कृत प्रतिज्ञ है कि उन्हें इन चीजों को कराना है लेकिन इन मसलों को भी सरकार ने हल नहीं किया है। सरकार इन दो बातों को अवश्य खत्म कर दे। अलाभकर जोतों पर जो लगान है उसको एकदम खत्म कर देना चाहिये और साथ ही दसवें दर्जे तक शिक्षा निःशुल्क कर दे।

इस बजट पर इधर उधर से सभी सदस्यों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे हैं और काफी चर्चा हुई लेकिन अन्त तक मैंने यह देखा कि पहाड़ के संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। पहाड़ के लोगों ने श्रीमन्, यह सोचा था कि पहाड़ एक अलग प्रान्त बनाया जाय। हम यह महसूस कर रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश में रहकर हम लोग शान्तिपूर्वक उन्नति नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के २० साल के शासन के बाद कांग्रेस सरकार ने वहां के लिये यह तय किया था कि वहां पर एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जायगा जो पहाड़ी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन इस बजट में हम देखते हैं कि उस पुराने फैसले को बदल दिया गया है। उस बोर्ड को बनाने का यह आशय था कि एक विशेष प्रकार का प्रशासनिक ढांचा भी वहां के लिये होगा जो तीव्र गति से पहाड़ों में सुधार का काम करेगा। जो पिछली सरकार थी उसने इस बात को स्वीकार किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह करीब करीब निश्चित हो चुका था कि यह जो बोर्ड होगा वह स्टेट्यूटरी बोर्ड बनेगा और उसको पूरा अधिकार होगा कि वह वहां के विकास में तीव्र गति लाकर सुधार करे लेकिन अब वह बात इस बजट भाषण में दिखाई नहीं दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पहाड़ी लोग इसको लेकर रहेंगे और जनता इस बात का प्रयत्न करेगी कि उन चीजों को वह प्राप्त करे। इसके लिये आन्दोलन का सहारा लिया जायगा और फिर इस बात को उठाया जायगा कि पहाड़ी प्रान्त अलग बने और हम लोग अलग रहें। हम तो यह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के साथ रहकर हम अपनी सारी समस्याओं को हल करें लेकिन हमारी वह आशा पूरी नहीं हो रही है। टेहरी राज्य का मर्जर इस प्रान्त से हुआ था और हम आशा करते थे कि बड़े प्रदेश के साथ रहकर हम उन्नति कर सकेंगे लेकिन अब हम देखते हैं कि अब भी उसी तरह से वहां की समस्यायें खड़ी हुई हैं। सरकार ने एलान किया था कि टिहरी रियासत के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी सर्विस में मान लिया जायगा और जो मरजर के ६ महीने के अन्दर अलग कर दिये जायेंगे उनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जायगा लेकिन अध्यापकों का मामला आज भी खटाई में पड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जितने भी वहां के अध्यापक हैं उन सब को सरकारी कर्मचारी मान लिया जाय और यह मान लिया था। सरकार ने एलान किया था कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यापक हैं लेकिन इस बजट में हम उनके एरियर के प्राविधान को नहीं देखते हैं। कम से कम १५, २० वर्ष का उनका एरियर देना चाहिये था इस बजट के अन्दर वह चीज नहीं है। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो उनका अपना कोई आन्दोलन शुरू करना पड़ेगा।

[श्री त्रेपनसिंह]

सरकार से मेरा निवेदन है कि उनके एरियर के पेमेन्ट करने की व्यवस्था करे और जितना भी उनका एरियर निकलता है उसको सरकार दे। अध्यापक वैसे ही गरीब होते हैं तो इस तरह से उनके साथ ज्यादती करना ठीक नहीं है।

एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों में खाद्य समस्या भी बड़ी विकट है। टेहरी जिले में मैं अभी गया था वहां ११।। हजार क्विन्टल गल्ला मिला करता था जो सरकार ने अब ७।। हजार क्विन्टल कर दिया है। जब कि वहां पर वर्षा नहीं हुई, ओले भी गिरे हैं और रुपये में दो आना गल्ला भी पैदा नहीं हुआ है फिर भी वहां का कोटा कम कर दिया गया है। और उसके बाद सरकार ने वहां कोटा काट दिया। विशेष कोई व्यवस्था नहीं की और अब जो सब से संकट का महीना है उसके लिये भी कोई खाद्यान्न की विशेष व्यवस्था सरकार नहीं करने जा रही है। मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि जैसे प्रान्त के अन्य जिलों के लिये ढुलान का पैसा सरकार वहन करती है वैसे ही पहाड़ी जिलों के लिये भी ढुलान (ट्रान्सपोर्ट) का पैसा सरकार दे। इसमें सरकार का दो, चार लाख रुपया ही खर्च होगा, अधिक नहीं। अगर उस पिछड़े इलाके के लिये सरकार ढुलान का पैसा देती है तो लोग महसूस करेंगे कि सरकार हमारे लिये भी कुछ विचार कर रही है। जब मैदान के लोगों के लिये खुले बाजार में भाव १४० रुपये क्विन्टल है तो पहाड़ के दूर के इलाकों में २०० रुपये क्विन्टल का भाव है और कहीं कहीं उस से भी अधिक चला गया है। सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों को उचित मूल्य पर गल्ला मिल सके। मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता सकता हूं कि वहां के आधे से ज्यादा लोग पेट भर भोजन नहीं करते। चूंकि वहां के लोग सीधे सादे हैं, अधिक हल्ला गुल्ला नहीं मचाते हैं इस लिये माननीय सदस्यों तक यह खबर नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा हमारे यहां के दो, चार एम० एल० ए० होते हैं। उनकी आवाज यहां नक्कारखाने में तूती की आवाज के समान है। तो इन चीजों पर विचार करने के लिये और उनको हल करने के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये मैं तो समझता था कि प्रताप सिंह जी जब मंत्रिमंडल में पहुंच गये हैं तो वे पहाड़ का विशेष ध्यान रखेंगे।

पिछली बार सरकार ने ऐलान किया था कि पहाड़ों के लिये कुमायूं यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायगी लेकिन वह यूनिवर्सिटी तो फाइलों में ही गुम हो गयी है। हम देखते हैं कि हर जिले में डिग्री कालेज है लेकिन टेहरी गढ़वाल में इस की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकर अपने इन निर्णयों पर फिर से विचार करे और भी अलग-अलग मदें बजट में आयेंगी तो सरकार उस समय ऐलान करे कि कुमायूं यूनिवर्सिटी जल्दी ही खुलेगी। मैं सरकार को दावत देता हूं कि सरकार को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना टेहरी गढ़वाल के स्थान नरेन्द्र नगर में करनी चाहिये। वहां सरकार का पैसा कम खर्च होगा। लाखों रुपयों की इमारतें वहां पर हैं और उनका इस तरह से सदुपयोग हो सकेगा। इसमें आप को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यह मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को इस बात की घोषणा करनी चाहिये। पिछली सरकार के निर्णयों को नजरन्दाज करना किसी भी आने वाली सरकार के लिये शोभनीय नहीं है। ये बातें तो औनर होनी चाहिये। यह कुमायूं यूनिवर्सिटी एकदम खुल जानी चाहिये यह मेरा निवेदन है।

श्रीमन्, मेरा अनुमान है कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि पिछले दो, तीन सालों से सड़कों के निर्माण का काम पहाड़ों में लगभग बन्द हो चुका है। नये निर्माण के कार्य बन्द हो जाने से और पहाड़ में ४०–५० हजार लोग जो सड़कों पर काम करते थे उनके लिये आज कोई रोजी–रोटी का साधन नहीं रह गया है और लोग भूखे मर रहे हैं, नये काम भी नहीं खुल रहे हैं। भारतीय सरकार के पास भी डेप्यूटेशन भेजे गये और कहा गया कि यहां के लिये विशेष योजनायें दें ताकि लोगों को रोजी और रोटी मिल सके। पहाड़ में आज दशा यह है कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो रेलें बन रही हैं, हवाई जहाजों का प्रबन्ध हो रहा है लेकिन वहां मोटर सड़क का प्रबन्ध भी नहीं किया जा रहा है, तो वहां मोटर सड़कें और पैदल सड़कों की व्यवस्था

अवश्य होनी चाहिये ताकि कम से कम गल्ला तो सस्ता मिल सके। और हर विकास खंड में मुख्यालय में सब जगह से मोटर सड़कें जायें, इससे निर्माण कार्य भी हो सकेंगे।

टेहरी गढ़वाल एक देशी रियासत थी। उत्तर प्रदेश में मर्ज होने के बाद इस जिले के टेहरी और उत्तरकाशी क्षेत्रों की मांग थी कि हमारे लगान को पौड़ी जिले के समकक्ष लाया जाय। पिछले समय में सरकार ने कुछ निर्णय भी किया, ऐसा हमें बतलाया गया लेकिन उसकी घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं की। पहले टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल एक ही राज्य के अन्दर थे और गोरखा युद्ध में इन ल्यू आफ वार पौड़ी गढ़वाल अंग्रेजों को दिया गया और टेहरी गढ़वाल रहा वैसे ही। इसलिये हम चाहते हैं कि दोनों जिलों का समान लगान होना चाहिये। साथ दोनों की समस्या भी एक है, रहन-सहन खान-पान और भूमि की किस्म एक है। हमारा आन्दोलन, जो जनक्रान्ति टेहरी गढ़वाल में हुई थी वह लगान और भूमि समस्या को लेकर हुई थी। सरकार हमेशा कहती रही कि जब सेटलमेंट हो जायगा तब निर्णय किया जायगा। दो तीन साल से टिल-मेंट हुये हो गये, तब से सारी कागजी कार्यवाहियां चल रही हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। पिछली बार सरकार ने ऐसा विचार भी किया कि पौड़ी के समकक्ष लगान होना चाहिये, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की गलत रिपोर्ट के कारण उलझनें पैदा होती रहीं। वह कहते हैं कि कीमतें बढ़ गयीं इसलिये कोई जरूरत नहीं है। पिछली दफा भी कहा था कि १ या डेढ़ लाख रुपये की इसे कमी पड़ेगी। तो उस जिले के लिये जहां केवल ८४ रुपया पर कैपिट इनकम है अगर सरकार इतनी मेहरबानी कर देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है उस उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये जिसके यहां हजारों, लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो जाता है। १०-२० करोड़ के एस्टीमेट के काम ४०-५० करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो एक दो लाख रुपया किसानों पर अगर माफ कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपका फिर आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ५-६ दिन से इस सदन में बजट पर सामान्य चर्चा हो रही है और दोनों तरफ से लोगों ने इसमें भाग लिया है। उधर की तरफ बैठने वालों ने माननीय चौधरी चरण सिंह को सर्कस मास्टर, मन्दोदरी तथा विभीषण आदि के नामों की संज्ञा दी। इस संबंध में एक पुराना किस्सा याद आ गया। पुराने काल में एक राजा के यहां एक सिंघासन ऐसा था कि उस पर जो भी बैठ जाया करता था वह जब तक उस पर बैठा रहता था, सही बातों का उच्चारण किया करता था। इसी तरह २० साल तक शासन के मद में चूर रहने वाले यह लोग भी आज उसी सिंघासन पर जा कर बैठ गये हैं..... (व्यवधान) आप लोग जो यह आक्षेप माननीय चरणसिंह पर सर्कस मास्टर का लगाते हैं, या मन्दोदरी का लगाते हैं, यह बिलकुल गलत है। वे कांग्रेस छोड़ कर इधर क्यों आ गये? यह बात स्पष्ट है और वह यह कि आपका व्यवहार, आपकी नीति ऐसी नहीं थी कि वे आपके साथ रह सकते। कोई भी व्यक्ति जो सम्मान पूर्वक रहना चाहता है, आपके साथ रहना पसन्द नहीं करेगा। वह दिन दूर नहीं है जब बहुत से आदमी, जो ईमानदारी और न्यायपूर्वक रहना चाहते हैं, आपके दल को छोड़ कर यहां आ जायेंगे। माननीय विधल जी ने राज्यपाल महोदय को जो इस दल की रिपोर्ट दी थी वह २१५ आदमियों की थी। अगर चौधरी साहब यहां न भी आते, तब भी बिना सरकस मास्टर के ही हमारी सरकार बन जाती। आपके १७ लोगों के बगैर भी यह सरकार बन सकती थी।

अब मैं खाद्य समस्या और प्राक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने जो यह लेवी लगायी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एन्ड रूल की पालिसी अपनायी है। हमने यह देखा कि आपने जहां भूमि भवन कर माफ किया था वहां कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया था, सभी लोगों के लिये उस कर को माफ किया था। उसमें कोई डिवीजन आपने नहीं किया। लेकिन किसानों से लेवी लेने के लिये आपने डिवीजन कर दिया। यह बात तो सही है कि कांग्रेस वालों की जो यह स्कीम थी

[श्री बेतराम पचपेड़ा]

उसी में थोड़ा बहुत मामूली परिवर्तन करके आपने इसे चला दिया, मगर वसूली सब लोगों से ठीक प्रकार से वसूल की जानी चाहिये थी। किससे कितना वसूल किया जा सकता है और कितना करना चाहिये इसके ऊपर आपने कोई ध्यान नहीं रखा। उसी प्रकार आप शुरू से बनाते, उसका आपने ध्यान नहीं रखा। ८ एकड़ वाले से डेढ़ क्विन्टल लेते हैं तो १६ एकड़ वाले से ३ क्विन्टल लेना चाहिये था। आप १६ एकड़ वाले से १० क्विन्टल से भी अधिक लेते हैं। जब यह सरकार गठित हुई या चुनाव का समय था तो हमने जनता के समक्ष यह बात रखी कि यह जो भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में फैला हुआ है, इसको हम समाप्त कर देंगे। परन्तु जहां फूड प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें करप्शन है जिसका सबब यह रहा कि जब सरकार ने लेवी लगा दी थी तो उसके इन्तजाम करने वाले कर्मचारियों के लिये, करप्शन को बढ़ावा देने के लिये, वहां के कर्मचारियों के लिये शर्बत पीने का इन्तजाम कर दिया है, पूड़ी बनाने के लिये घी का भी इन्तजाम कर दिया है। हम दिन दहाड़े देखते हैं कि शाम को पूड़ी बनती है और दिन में शर्बत पीते हैं वे। योजना आपकी भले ही सुचारु रूप से चल गई हो लेकिन आप जानते हैं कि वह मशीनरी जो कार्य कर रही है, प्रदेश में, वह विरोधी दल की सरकार के जमाने में बनाई हुई थी। वह उस जमाने की ही सेट की हुई है। जो मशीनरी उस जमाने की है उसमें जितनी क्षमता थी उसने करप्शन को बढ़ाया और वह किसानों को परेशान कर रही है। मेरे क्षेत्र में नवाबगंज और बरेली का क्षेत्र पड़ता है वहां ए० डी० एम०, एस० के० डी० माथुर थे। वे अनाज की वसूली के लिये घरों में बलपूर्वक घुसे और अनाज को निकाला और उन्होंने अनाज निकालने के बाद वहां न तौलवा कर यह कहा कि यह अनाज सेन्टर पर ही तौला जायेगा। तो क्या सरकार की ओर से आदेश थे कि बलपूर्वक अनाज लिया जाय। तो इस प्रकार की बातें लेवी में हुई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार किसी भी जम्हूरियत में नहीं होना चाहिये था।

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गई)

ये मेजें थपथपाने की बात नहीं है। मैंने अभी अर्ज किया था कि यह करप्शन क्यों हुआ। यह उसी मशीनरी का करप्शन था जो करप्शन पहिली सरकार ने पैदा किया था। उसके कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो ये चाहते हैं कि संयुक्त विधायक दल की सरकार बदनाम हो जाय। मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये।

भूमि भवन कर की जहां तक बात है, सवा छः एकड़ भूमि वालों का कर समाप्त करने की बात कही जा रही थी। और लोहिया जी ने भी कह दिया कि सब लोगों को चाहिये कि विरोधी लोगों के साथ मत दें। १९ सूत्री प्रोग्राम में था कि ६ एकड़ पर लगान माफ करेंगे। ये बातें बड़ी अशोभनीय हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को तुरन्त उन पर ऐक्शन लेना चाहिये था और डिक्लेयर कर देना चाहिये था। हम यह मान लेते हैं कि आप पूरा माफ करना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इस समय आप कुछ थोड़ा सा तो कदम उठाते जिससे लोगों को संतोष होता। २ एकड़, ३ एकड़, ४ एकड़ वालों तक के लिये ही करते। आबपाशी में कुछ कमी की होती। लेकिन सरकार इस तरफ से उदासीन रही है। जैसा कुछ साथियों ने कहा, यह गवर्नमेन्ट किसानों के लिये नहीं बल्कि पूंजीपतियों और शहरवालों के लिये ही बनाई गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है।

एक बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में रखना चाहूंगा। नवाबगंज बरेली में एक क्षेत्र है। इससे यह साबित हो जायगा कि हमारी भूतपूर्व सरकार कितनी बेईमानियां करती रही है। हमारे यहां जिला बरेली में २० वर्षों में अब ३२ मील सड़क स्वीकृत हुई। उसमें २८ मील पहले विकास मंत्री, श्री राममूर्ति जी ने बहेड़ी क्षेत्र में बनवाई, बल्कि अपने बुढ़ियां फार्म के लिये बनवाई। सारे जिले की सड़क को हड़प कर अपने क्षेत्र में ही बनवाना न्यायसंगत बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार इसकी न्यायिक जांच करावे। हर क्षेत्र में उसका हिस्सा बांटा जाय। वहां उनके अभयपुर फार्म के लिये ३२ हजार रुपये से एक पुल बना था। उसके बाद फिर तीसरी योजना में पुराने पुल को ढहा कर दूसरा ४६ हजार रुपये की लागत से तैयार कराया गया जब कि रौनिया नदी पर कोई दूसरा पुल नहीं है। वहां के पुराने विधायक बाबू राम जी से और राम

मूर्ति जी से बातें हुई। उन्होंने बतलाया कि यह पुल पुराना और खराब हो गया था। यह मैं एक ज्वलंत उदाहरण पेश कर रहा हूं। ५ वर्ष में ही दूसरा पुल बन जाय केवल इसलिये कि वहां से एक असरदार आदमी गवर्नमेंट में था।

नवाबगंज में २० साल में किसी किस्म का भी विकास नहीं हुआ है। वहां कोई सड़क या पुल नहीं बना है और ऐसा लगता है कि वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अंग ही नहीं है और न वहां की जनता कोई टैक्स देती है। इससे पहले भी वहां से कांग्रेस के विधायक ही चुनकर आये थे।

इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। इसमें कुछ बातों का कृषकों के ऊपर भी ध्यान रखा गया है। एक बात मैंने इसमें पढ़ीं। हमारे यहां बरेली में धर्मदत्त वैद्य के नाम से धर्मार्थ औषधालय के लिये ३,५०० रुपये बजट में अनुदान के रूप में है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उस धर्मार्थ औषधालय में आज तक एक भी व्यक्ति को मुफ्त दवाई नहीं दी गई। अगर यह ३,५०० रुपया उसे मिल जाता है तो यह व्यर्थ ही जायगा।

एक बात मैं उधर के साथियों से कहना चाहता हूं। आपने २० साल में सुचारु रूप मे कार्य नहीं किया और जनता की भावनाओं का स्वागत नहीं किया, तो जनता ने आपको इधर से ले जाकर उधर बैठा दिया। यदि आपने अब भी जनता की भावनाओं की कद्र नहीं की तो वह दिन दूर नहीं है जब कि आपको जनता वहां से निकाल देगी और आपको कहीं बाहर ही बैठना होगा।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कई दिन से इस सदन में इस बजट पर बहस हो रही है लेकिन मैंने जब इसके पन्ने उलटने की कोशिश की तो मैंने देखा कि यह एक खोखला बजट है। इसमें जनता को कुछ देने का कोई सवाल नहीं है। कहा जाता है कि २० साल में हमने हिन्दुस्तान को खोखला कर दिया। लेकिन जो सदस्य उधर हैं वे इसे नहीं जानते हैं कि २० साल में हिन्दुस्तान ने काफी तरक्की की है। उनके कम्यूनिस्ट साथी इसकी सराहना करेंगे। आपके दूसरे नेता और टीटो आज भी कहते हैं कि हिन्दुस्तान ने काफी तरक्की की है। मैं समझता हूं कि आपने हिन्दुस्तान के इतिहास को देखा नहीं है। जिन साथियों ने कांग्रेस से जगह बदल कर इस गवर्नमेंट को बनाया है वे कैसे मौलिक सिद्धांत की बात कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि आपने हिन्दुस्तान के गांवों को भी नहीं देखा है। जहां पहले कच्ची झोपड़ियां थीं वहां आज पक्के मकान, पक्की सड़कें, स्कूल और अस्पताल आदि बन गये हैं। यह सब किसकी बदौलत? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने हिन्दुस्तान के उस आर्थिक ढांचे को देखा है कि जिससे पंडित नेहरू ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा एक नयी शकल दे दी। ये बड़ी बड़ी योजनयें ऐसे ही नहीं बनीं थी। हमारे ऊपर पाकिस्तान का हमला हुआ, चीन का हमला हुआ। इनको हिन्दुस्तान में २० साल शासन करने वालों ने पीछे ढकेला था। हमारे नौजवानों ने पीछे ढकेला था। हमें भय है कि जो हमने २० साल में किया है आप उसे कहीं खत्म न कर दें। पूंजीपतियों से पैसा लेकर हमने देश को आगे बढ़ाया है। हमारे कम्युनिस्ट भाई जो उधर बैठे हुये हैं वे रूस और चीन के इतिहास को पढ़े कि कितने टैक्स वहां लगे थे जब वे आगे बढ़े। आप टैक्स माफ करके वाह–वाही लेना चाहते हैं। हमने जो कुछ किया है उसे हमारे प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। वह जानती है कि हमने हर दिशा में कितनी उन्नति इस देश की और प्रदेश की की है। २० साल पहले हमारा देश कहां था और आज कहां है? इसे आपको भूलना नहीं चाहिये। कल मोरारजी देसाई ने दिल्ली में कहा था वह सारे अखबारों में छपा है। आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने हराया है। गलत नीतियां हो सकती हैं। यह जरूर है कि हमने जनतन्त्र को आगे बढ़ाया है। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते। मैंने अपने क्षेत्र में आपके नेता माधो प्रसाद त्रिपाठी को हराया है और चुनौती देकर हराया है। आपने गाय और धर्म का सहारा लिया लेकिन वहां की जनता ने कहा कि जनसंघ का मैनीफैस्टो गलत है। (व्यवधान) त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कांग्रेस एक खोखली संस्था है। पहले वह भी कांग्रेस में थे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को देखा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश में बिरला, टाटा, डालमियां का राज्य नहीं होगा लेकिन आपने उन्हीं गांधीजी की हत्या करने वालों के साथ मिलकर गवर्नमेंट

[श्री प्रभुदयाल]

बनायी है। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। (शोर) आपने बड़े जोरों से कहा कि हम लगान माफ कर देंगे। मैं भी चाहता हूं कि लगान माफ हो जाय लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जब आप लगान माफ करके अपनी जेब को खाली कर देंगे तो फिर प्रदेश को किस प्रकार से आगे बढ़ायेंगे। हमने जो २० साल में उस पैसे से प्रदेश की ओर किसानों की तरक्की की थी, उसको आप कैसे करेंगे। हमने उस पैसे से मेडिकल कालेज खोलें, इंजीनियरिंग कालेज खोले जिसका नतीजा यह है कि आज किसानों के घर में भी ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई हाईस्कूल न हो, इन्टर न हो, या कालेज का पढ़ा हुआ न हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं। जब आपके पास पैसा न होगा तो तरक्की आप किस तरह से करेंगे।

आप यह जो दौरे कर रहे हैं और उसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, वह चीज ठीक नहीं है। आप हरिजनों का काम उन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो लोग हरिजनों के सदा से दुश्मन रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने हरिजन रख दिया यह बहुत अच्छा काम आपने किया है, वह हम नहीं कर सके। उसके लिये आपको बधाई है। जो ए० डी० ओ० गांवों में काम कर रही थीं, उनको आप अलग करना चाहते हैं उसके बारे में भी मेरा विरोध नहीं है। गांवों की हालत को आप ठीक करें, वहां पर अजीबो गरीब हालत हो रही है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है आपने देखा कि पिछले चुनाव के जमाने में गुप्ता जी और कमलापति जी कोई मीटिंग नहीं कर सके। मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यह ब्यूरोक्रेसी हम और आप दोनों पर हावी हो रही है। आप उसको दबा रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। हमारे कामराज जी ने भी कहा है कि जो भी अच्छा काम आप करेंगे उसके लिये हम आपको मुबारकबाद देंगे। २० साल के शासन में कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी को अपनी पार्टी के हितों के लिये इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आप कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। जनसंघ वाला अपनी मीटिंग्स में जनसंघ का और कम्युनिस्ट अपनी मीटिंग्स में कम्युनिज्म का प्रचार करते हैं। ऐसे छोटे मामले के लिये कांग्रेस वालों ने इस मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया, न बड़े कामों में किया है। आप जनता की भलाई के कार्यक्रमों को लेकर नहीं चलते, अपनी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर चलते हैं। गलतियां किससे नहीं होती हैं। महात्मा गांधी ने भी हिमालियन ब्लन्डर्स किये थे लेकिन उन्होंने उससे अपने को सुधारा और आगे बढ़े। यह ठीक है कि आपने इस समय कुर्सी को ले लिया है लेकिन आगे आने वाले चुनावों में जनता फिर इस बात को बता देगी कि उसका विश्वास आपके साथ नहीं है, कांग्रेस के ही साथ है। चाहे वे चुनाव म्यूनिसिपैलिटी के हों, चाहे विधान सभा के हों अथवा लोक सभा के हों। आज आप चाहे रिक्शा में बैठे, रेल में बैठे अथवा मोटर में सब जगह यही सुनायी पड़ता है कि जनता आपके इस ढाई महीने के शासन से ऊब गयी है।

मैं उनका भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर किये हैं लेकिन मैं उनको बता दूं कि इस तीन मास के भीतर भ्रष्टाचार यहां पहले से दुगुना बढ़ गया है। मैं उनको चुनौती देता हूं वह इसको जाकर देखें। हमारी तहसील में ही जहां पहले ४ रुपये लिये जाते थे वहां अब दस रुपये लिये जाते हैं। तहसीलदार, एस० डी० एम० सब अलग-अलग तरह तरह से पैसा कमाते हैं और लाखों रुपया कमाकर ऊपर से नीचे तक बांटते हैं। कभी कोई पकड़ा जाता है तो कभी जनसंघ के मंत्री कह देते हैं कि इसको सजा न करो और कभी कम्युनिस्ट मिनिस्टर कह देते हैं कि छोड़ दो। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी तरह से ५ साल तक यहां रह गये तो आप प्रदेश को बिखेर देंगे और यहां पर कोई मजबूत प्रशासन ही न रह जायगा। आप लांछन लगाते हैं कि हमारे यहां भाई भतीजावाद बहुत था लेकिन हमारे जमाने में तो अगर कहीं एक भतीजा था तो अब सात-सात भतीजे सचिवालय में घूम रहे हैं। कोई जनसंघ वालों के हैं, कोई कम्युनिस्टों के हैं कोई पी० एस० पी० वालों के हैं। जनसंघ और कम्युनिस्टों के सिद्धान्त जो परस्पर विरोधी हैं, कोई साम्य जिनके सिद्धान्त और मेनीफेस्टों में नहीं है, कोई कहता है राष्ट्रीयकरण करो, कोई कहता है विकेन्द्रीकरण करो, कोई कहता है न करो। इस तरह से परस्पर विरोधी नीतियां कब तक चल सकती हैं। आप एक साथ न रह

कर टूट जायेंगे। बड़े जोर से कहा जाता था कि हम महलों में न रह कर कुटियों में रहेंगे लेकिन आज हालत यह है कि विधायक निवास छोड़कर सारे के सारे बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में पहुंच रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी उनको रोक नहीं पा रहे हैं।

अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि यदि किसी एक ही सिद्धान्त विहीन राजनीतिक दल के हाथ में शासन की बाग डोर लम्बे अर्से तक लगातार रहे, तो इस से प्रशासन में कलुषता की कीचड़ वैसे ही बढ़ जाती है जिस प्रकार किसी पोखरे में पानी अधिक दिनों तक स्थिर रहने पर पंकिल हो जाता है। बात ठीक हो सकती है लेकिन आपका पानी तो थोड़े ही दिन में पंकिल होने लगा है। इस तरह से आप कभी भी कोई क्रांतिकारी कदम न उठा सकेंगे और आपके लिये यह असंभव है क्योंकि आपके यहां लोग केवल कुर्सी की दौड़ की वजह से आकर मिले हैं लेकिन अधिष्ठाता महोदय, आप विश्वास मानें कि जनता अब आपके धोखे को समझ गई है और उसको इन ३ मास में ही यकीन हो गया है कि आप के बस का कुछ नहीं है। आज उसका आप में विश्वास नहीं है, न शहर में ही आपका विश्वास है और न देहात में ही है, न हरिजनों में ही आपके प्रति विश्वास बाकी है और न कृषक मजदूरों में। सदन के कटघरे में भले ही आप कह लें लेकिन अगर आप बाहर जांय तो आपको घिराव के कटघरे ही अब मिलेंगे, आप को जगह-जगह अब काले झंडे दिखाई देंगे और आपके प्रति विश्वास लोगों का समाप्त हो रहा है। किसान मजदूर, ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० अधिकारी भी आपसे परेशान हैं और सबकी आस्था आप से हट रही है, आप जरा समझें कि आप अब किस धरातल पर हैं। जो भ्रष्टाचार है उसको आप कम न कर सके, वह तो आप में स्वयं मौजूद है, बड़े उसूलों की तस्वीर दिखाना और बात है। हमने खून दिया है, गांधी जी ने खून दिया लेकिन आपने वह नहीं दिया। आपने गौ का नारा लगाया, कौनसी गौकुशी बन्द की जो पहले से कानून है, वह है, आपने क्या किया ? आपने केवल लोगों में धार्मिक उन्माद को ही बढ़ावा दिया है और लोगों को लड़ाया है, यह मौका कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। आप यहां फैसिज्म पैदा करना चाहते हैं और डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, इससे अब यहां काम चलने वाला नहीं है। बड़े कामों को तो बड़े दल ही कर सकते हैं। हिटलर ने भी जातिवाद को उभारा था लेकिन वह स्वयं ही अपने देश को लेकर डूब गया और अपने को कायम न रख सका।

श्री हरीशचन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो आय-व्ययक का ब्यौरा १९६७-६८ का माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है, उसके ऊपर सामान्य वाद-विवाद हो रहा है और आज उसका चौथा दिवस है। मैं ज्यादा जोर के साथ तो कोई चीज आपके सामने रखूंगा नहीं। हां, जो मेरा विचार है वह मैं इस सदन में आपके द्वारा रखने की चेष्टा करूंगा। इस संयुक्त विधायक दल की सरकार को कायम हुये दो महीने और २०–२२ रोज के लगभग हुये हैं। इस सरकार की ओर से जो कुछ छोटे मोटे कुछ कार्य हुये हैं वह तो मैं समझता हूं कि पब्लिक पसन्द करती है, लेकिन इसके अलावा आज तक जो कुछ २०–२१ साल में हुआ है वह हमारी कांग्रेस सरकार ने ही किया है। जो कुछ भी अच्छा या बुरा अब तक इस प्रदेश में हुआ है वह केवल कांग्रेस सरकार का ही किया हुआ है। अगर इस वक्त इस तरह लोगों को गाली देने का यह मौका आप समझते हैं और मौका है तो शायद एक ही गलती इधर के लोगों ने की है कि इकट्ठा हो कर इन्होंने एक सरकार बनायी और जिन कुर्सियों पर पहले आप बैठे हुये थे, उन कुर्सियों से उठकर आपको उधर जाना पड़ा। इसके लिये अगर आप गाली देना चाहते हैं तो वह स्वीकार है और हम समझते हैं कि यह गाली शायद इधर के लोगों को बजाय कमजोर करने के और मजबूत कर देगी और आप उससे कोई लाभ न उठा सकेंगे।

एक चीज जो बहुत ही स्पष्ट है मेरे सामने वह यह कि २० वर्ष तक कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया उसका मैं भी एक अंग रहा हूं किसी जमाने में लेकिन जो बात कि मैं आज कहता हूं, उधर बैठकर भी मैंने वही बात कही। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है और समाजवाद के माने यह हैं कि हम हर आदमी को जरूरत के हिसाब से उसके

[श्री हरीशचन्द्रसिंह]

लिये सामान दे सकें। उसके रहने के लिये, उसके खाने के लिये और उसके कपड़े के लिये प्रबन्ध कर सकें। अब हमें निष्पक्ष रूप से यह बात देखनी है कि २० वर्ष के इस अर्से में हमने अपने प्रदे। को इन सुख सुविधाओं की ओर ले जाने में कुछ समर्थ हुये हैं या नहीं हुये हैं। मैं समझता हूं कि निष्पक्ष रूप से और ठंडे दिल से आप इस बात को सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा करने में कांग्रेस सरकार कामयाब नहीं हुयी है। गरीबी जो कि हमारे सामने थी और जिसके लिये हमारे जो कांग्रेस नेता थे, उन्होंने एक योजना बनायी। समस्यायें हमारे सामने ४ प्रमुख थीं। पहली समस्या यह थी कि हम उत्पादन को बढ़ावें और अपने देश व प्रदेश को मालदारी की ओर ले जा सकें। दूसरी समस्या यह थी कि हम बेरोजगारी और कम रोजगारी को खत्म कर के हरएक आदमी को रोजगार दिलावें। तीसरी सम या यह थी कि जो कुछ धन हम पैदा करें उसका उचित रूप से वितरण हो सके। चौथी समस्या हमारे सामने यह थी कि हम प्रजातंत्र को कायम रख सकें और उसको कायम रखने के लिये यथाशक्ति कोशिश कर सकें। अब आप इन चारों चीजों को शान्तिपूर्वक देखने की चेष्टा करें। क्या हम अपने उत्पादन और मालदारी को बढ़ा सके हैं, अथवा नहीं। ठीक है ३ पंचवर्षीय योजनायें हमने बनायीं। अरबों रुपया इन योजनाओं में खर्च किया लेकिन देख लीजिये, दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्या हम उत्पादन बढ़ा सके और मैं यह नहीं कहता कि उन योजनाओं को जो हमने बनायीं कोई सफलता नहीं मिली लेकिन मैं समझता हूं कि सफलता तो हुयी लेकिन असफलता बहुत ज्यादा हुयी। आप देखेंगे कि अरबों रुपया बाहर से लेकर हमने इन योजनाओं में लगाया और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि रुपये में केवल ६ आने का काम हुआ और शेष १० आने या तो जेबों में चले गये या गड्ढों में चले गये। हमने सुन्दर योजनायें बनायी थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम इन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कर सके और उनको देख नहीं सके। क्या कारण है? कारण उसका यह था कि हमने अपना अधिक समय आपस की लड़ाइयों में खर्च किया। कांग्रेस बनी, लोगों की वह पार्टी बनी। उसने इसको गिराया और इसने इसको हराया। कोई समय हमारे पास बच नहीं सका जिस से हम देख सकें कि जो हमने योजनायें बनायी हैं, उन योजनाओं को हम सफल बना सके हैं अथवा नहीं और जो उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में लगे हुय व्यक्ति थे, वे अपना काम ठीक कर सके अथवा नहीं। मैं यह समझता हूं कि इन योजनाओं में जो रुपया लगा उसमें से १० आने जेबों में चला गया या गड्ढों में गड़ गया। आज जो आप भ्रष्टाचार और अन्न की कमी देख रहे हैं, वह इन योजनाओं के पूरे न होने और उनमें जो धन व्यर्थ हुआ, उससे ही पैदा हुआ है।

दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, वह यह है कि जो उत्पादन भी हुआ है, उस उत्पादन को हम अच्छी तरह से बांट नहीं सके। जिस गरीब जनता के पास साधन नहीं थे वे हमारे नेताओं द्वारा बनायी हुयी योजनाओं के द्वारा नहीं पहुंच सके। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन पूंजीवाद और करप्शन बढ़ता जा रहा है यह पूंजीवाद और करप्शन, हमारी योजनाओं के फेल होने का ही परिणाम है। प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा परम धर्म है और मैं समझता हूं कि जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करेगा वह इस देश का शुभ चिन्तक नहीं है। उस प्रजातंत्र की रक्षा के लिये हमने क्या प्रयत्न किये। मैं यह समझता हूं कि हमारे नेता आपस में लड़ते रहे और जनसम्पर्क बिलकुल नहीं रखा। हमने पी० सी० सी० और डी० सी० सी० के दफ्तरों में बैठकर कार्य किया और जनसंपर्क तो रहा नहीं सिर्फ पूंजीवाद सम्पर्क रह गया है। १० हजार से ६० हजार रुपये लेकर के दफ्तरों में बैठकर के हमने फर्जी मेम्बरशिप कायम करके पी० सी० सी० और डी० सी० सी० बनायी और कुछ नहीं किया।

दूसरी चीज प्रजातंत्रवाद के लिये आवश्यक है विकसित व्यक्ति की। कांग्रेस सरकार ने ठीक किया कि दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी आदि बड़ी-बड़ी फैक्टरियां कायम कीं, लेकिन मनुष्य बनाने की कोई फैक्टरी कायम नहीं हुयी। और अगर मनुष्य बनाने की फैक्टरी कायम की होती तो जो समाजवाद कांग्रेस सरकार लाना चाहती थी वह आज होता। लेकिन ऐसा न होकर पूंजीवाद हो गया - मैं आशा करता हूं अपने साथियों से कि जो भूलें कांग्रेस ने की वही भूलें अगर आप करेंगे तो वह तो

२० वर्ष तक गांधी जी और जवाहर लाल के नाम पर चलते रहे, लेकिन आप न चल सकेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे साथी जो इधर बैठे हैं वे उन भूलों से सबक लेंगे जो कांग्रेस ने कीं। स क्रेट्रीज से एक एक प्रश्न किया गया कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुमने बुद्धि कहां से सीखी। तो उसने कहा मैंने बुद्धि बेवकूफों से सीखी। मैं समझता हूं कि अगर इस तरफ के बैठने वाले लोग कामयाब होना चाहते हैं और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे गलतियां जो कांग्रेस ने की हैं उन गलतियों से सबक ले करके अपने आप को अच्छे ढांचे में ढालें।

कोई कहता है कि यह सरकार खिचड़ी सरकार है, कोई कहता है यह प्रतिक्रियावादी है। इस सरकार ने तो अभी तक कुछ किया नहीं। इसके जो काम होंगे उनसे जांचने के बाद जो तजवीज आप देंगे, जनता देगी वह सही होगी। अभी तो यह सरकार बिल्कुल बेखता है। कोई चीज ऐसी तो नहीं आयी जिस से आप गाली दें। एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिसको आप खिचड़ी सरकार कहते हैं वह कहीं अष्ट धातु की गोली साबित न हो जाय जिसके डर से पैटन टैंक जैसी पार्टी आपकी खत्म हो जाय। जब आप प्रतिक्रियावादी सरकार कहते हैं, मैं तो समझता हूं कि पब्लिक ने आपको जिस तरह से यहां भेजकर जो तामाशा दिखलाया है वह आपको प्रतिक्रियावादी कहती है। आपने देश का हित नहीं किया। २० वर्ष के बाद हम और गड्ढे में गिर गये। क्या यह ठीक नहीं है कि १९४८-४९ में गल्ले का क्या भाव था और जो खाद्य वस्तुयें या और जो रोज की इस्तेमाल की वस्तुयें थीं उनकी जो कीमत थी २० वर्ष में कहां से कहां चली गयी ? .....

("अब क्या भाव है" की आवाजें)

अब तो ठीक है जो आप कहेंगे वह सुनना पड़ेगा क्योंकि सुनने से शायद आप सबक ले सकें। लेकिन जो गलतियां आपने की हैं उनको हमारे सर पर मढ़ना गलत है। मुमकिन है कुर्सियों के हटने से आपको कुछ कष्ट हुआ हो लेकिन गाली देने का यह कोई मौका नहीं है। गाली उस वक्त दें जब इस सरकार ने जनता के हित के खिलाफ कोई कार्य किया हो।

बहुत से विभाग इस किस्म के हैं जो बिलकुल बालू की भीत के समान हैं। उनमें से एक सहकारिता है जिसमें लाखों करोड़ों रुपये का गबन हुआ है अथवा दुरुपयोग हुआ है। इस तरफ जो सहकारिता मंत्री हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इसे रोकें और पब्लिक को राहत दें।

बजट के अन्दर विरोधियों ने यह नहीं बतलाया कि यह दुरुपयोग हुआ है। लेकिन बजट जैसा सदैव बनता था वैसा ही बना है। काश्तकारों का कुछ विशेष ध्यान रखा गया है ताकि उत्पादन बढ़े। लेकिन इधर बैठने वाले मंत्रियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि बजट का बनाना ही कोई खास अहमियत नहीं रखता है, उसको कार्यान्वित करना ही एक खास चीज है। जिस चीज के लिये रुपया रखा गया है उसको समय पर उचित ढंग से खर्च किया जाय और मैं तो बधाई उसी दिन दूंगा जिस दिन वह बजट एमाउंट को वक्त पर पूरी तरह से खर्च करें और जिस काम के लिये जो धन निश्चित है उसको उसी रूप में खर्च करें।

एक चीज और है। जो रुपया साल भर में खर्च होने वाला है वह रुपया नवम्बर, दिसम्बर तक जहां का तहां पड़ा रहता है और दिसम्बर से मार्च तक जल्दी से जल्दी उसे खर्च करने की कोशिश की जाती है जिस से बहुत-सा रुपया अपव्यय होता है। मंत्री जी इस बात की भरसक कोशिश करेंगे कि जो रुपया जिस चीज के लिये निर्धारित है उस रुपये को वह समय पर खर्च करने की कोशिश करें यह नहीं कि ३१ मार्च तक वह पड़ा रहे और उसके बाद उसका दुरुपयोग हो।

श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो इस बजट के सिलसिले में बोलने का समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जिस वक्त हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अखबारों में स्टेटमेंट दिया था कि लीपूलेक के पार चार डिवीजन हैं. मैं उस क्षेत्र से मिले भाग का प्रतिनिधि हूं। देखने में आता है कि जब भी चीन से लड़ाई होती है, जब वहां से आक्रमण की धमकी दी जाती है

[श्री गोपालदत्त ओझा]

तब सरकार उत्तराखंड के विकास के लिये कोई योजना बनाती हैं। मैंने सोचा था कि एस० बी० डी० की सरकार वहां के उत्थान के लिये योजनायें बनायेगी, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ायेगी और वहां स्कूल, कालेज खोलेगी। परन्तु जब मैं उस लीपूलेक के निकट से आया और इस वर्ष का बजट देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे क्षेत्र में जहां शिक्षा का कोई प्रसार नहीं है वहां बजट में एक भी प्राइमरी स्कूल खोलने का प्राविधान नह है। ऐसी हालत में सीमान्त के लोग आगे कैसे बढ़ेंगे ? अगर शिक्षा का स्तर नहीं बढायेंगे तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे ? क्या जब चीन की लड़ाई होगी तभी वहां मिडिल स्कूल, हाई स्कूल आदि खोले जायेंगे ? वहां की ६ लाख २० हजार की आबादी है। क्या इतनी बड़ी आबादी के लिये दो प्रस्तावित मिडिल स्कूल काफी हैं ? जब कि शिक्षा का वहां पर प्रसार ही नहीं है। हमारे प्रदेश में महिला शिक्षा बहुत कम है। अगर हम और प्रान्तों के आंकड़े देखते हैं तो में पता चलता है कि आंध्र में ४.८, बिहार में ६.८, दिल्ली में ४०.९, केरल में ३०.४ और उत्तर प्रदेश में ७.३ प्रतिशत शिक्षा का प्रसार है। जो बजट आपने बनाया है उसमें उत्तराखंड में कौनसा स्कूल आपने खोला है ? अगर महिलाओं को शिक्षा नहीं देंगे तो हम कैसे सभ्य हो सकते हैं ? हमारे खाद्य मंत्री जी, माननीय झारखंडे राय जी, जो इस समय यहां नहीं हैं, वह प्राक्कलन समिति के सिलसिले में एक बार उत्तराखंड गये थे तो उन्होंने कहा था कि यहां शिक्षा के प्रसार की बहुत आवश्यकता है।

परन्तु आज जब वह सरकार में आ गये तो बजट बनाते वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा कि वहां पर महिलाओं के लिये कोई स्कूल खोला जाय। अगर वहां के लोग बोल नहीं सकते, कोई हल्ला मचा नहीं सकते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस इलाके में कोई स्कूल न खोला जा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर कम से कम शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया जाय।

जब मैं लीपूलेक के नजदीक था तो मैंने सोचा कि १९ सूत्री प्रोग्राम में पहले आइटम के अनुसार लगान खत्म किया जायेगा। तो बहुत से लोग खुश हुये, मैं भी खुश हुआ कि फिर देहात के लोग खुशहाल होंगे, परन्तु जब बजट देखा तो इसमें लगान माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम पर कैपिटा एकड़ लगान के आंकड़े देखें तो पश्चिम बंगाल में ३.२८ रुपये, राजस्थान में २.१३ रुपये, मैसूर में १.६० रुपये, मध्य प्रदेश में २.४० रुपये, बिहार में ३.६१ रुपये और उत्तर प्रदेश में ४.५८ रुपये है। उत्तर प्रदेश में लगान सबसे ज्यादा है। यह क्यों नहीं कहा जा रहा है कि हम लगान खत्म कर देंगे ? अगर यह सरकार लगान खत्म नहीं करती तो इसको यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर यह सरकार सारे उत्तर प्रदेश में अपने १९ सूत्री प्रोग्राम को कार्यान्वित नहीं करती है तो कम से कम उत्तराखंड में तो करे, जहां के लोग गरीब हैं, भुखमरी से पीड़ित हैं, जहां सस्ते गल्ले की दूकानों की भी बहुत कमी है। अत सरकार से हलीमी से प्रार्थना है कि वह अपने १९ सूत्री प्रोग्राम को पूरा करे नहीं तो क्या इसी तरह से शासन चलेगा ? अन्यथा लोग व्याकुल हो जायेंगे। क्या लोगों को बरगलाया जायेगा ? अब लोग समझदार हो गये हैं। वे जानते हैं कि किन कामों से लोग खुशहाल होंगे।

मुख्य मंत्री जी जब यहां पर पहले कृषि विभाग का भार संभाले हुये थे तो बड़ी आदर्श की बात कहा करते थे। वे कहते थे कि "In most of the states agriculture is the divided responsibility" वे कहा करते थे कि एक मिनिस्टर के पास सिंचाई विभाग है, दूसरे के पास सहकारिता विभाग है, तीसरे के पास विद्युत् विभाग है और चौथे के पास कृषि विभाग है। इस तरह से कैसे कृषि की उन्नति हो सकती है ? लेकिन जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई तो फिर उन्होंने अलग-अलग बंटवारा क्यों किया ? जितने कृषि से संबंधित विभाग थे वे सब एक ही मंत्री को क्यों नहीं दिये ? क्या कृषि की उन्नति हमारे प्रदेश में इस तरह से होगी ?

आज समाजवाद की बात कही जाती है हम प्रदेश में कृषकों की उन्नति करके समाजवाद को लायेंगे। कृषकों को अगर ऋण नहीं दिया जायेगा तो फिर खेती कैसे आगे बढ़ेगी ? किसान कैसे खाद खरीद पायेगा ? पहले १० करोड़ ६२ लाख रुपया ऋण के लिये था लेकिन अब उसमें २ करोड़ की धनराशि कम की जायगी। क्या इस तरह से कृषि आगे बढ़ पायेगी ?

कुमायूं के वनों की बड़ी उपेक्षा की गई है। हमारे हिन्दुस्तान में क्षेत्रफल की दृष्टि से साढ़े तैंतीस प्रतिशत जंगल हैं इसमें ४५ परसेन्ट है कुमायूं में, ४८ परसेन्ट है मैदान में, ५ परसेन्ट है, उत्तर प्रदेश को लें तो यहां पर १५.१२ परसेन्ट हैं। आन्ध्र में २०.४९, आसाम में २२.६५ और मध्य प्रदेश में ४८.३ परसेन्ट हैं। हमारे यहां पहाड़ों में सबसे ज्यादा जंगल हैं। १९०८ में जौन हीबिट ने बरेली दरबार में कहा था कि कुमायूं के जंगलों की रक्षा होनी चाहिये। लेकिन हमारे प्रदेश में सहारनपुर में एक पेपर मिल है उसको जंगल की लकड़ी करीब ४० नये पैसे घटफुट के हिसाब से दी जाती है जिसकी बाजारी कीमत ३ रुपये घनफिट है। इसी तरह से प्लाई वुड की लकड़ी सीतापुर में इंडस्ट्रीज के नाम पर बहुत सस्ते दाम पर दी जाती है। इसे नयी सरकार को देखना चाहिये कि कुमायूं में हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो रही है, कटाव हो रहा है और जमीन धंस रही है इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई है। इसको रोकने की बड़ी आवश्यकता है। क्या हमारे यहां के जंगलों को बरबाद कर दिया जायेगा ? हमारे यहां के जंगलों से करीब २२ करोड़ की आमदनी कही गयी है। क्या इतनी रकम हमारे यहां विकास के लिये, शिक्षा के लिये खर्च की जाती है। मैं वन मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिये। सीतापुर और सहारनपुर में जो लकड़ी दी जाती है उसकी जांच होनी चाहिये। क्या यह कामर्शियल वुड ले जा रहे हैं या और कीमती लकड़ी ले जाते हैं ? लकड़ी का आक्शन होना चाहिये और हमारे यहां कुमायूं में भी इस प्रकार की इंडस्ट्रीज खोली जानी चाहिये।

यहां पर लोग कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनायी और माननीय चन्द्रशेखर जी कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं। उत्तराखंड इसी लिये बनाया गया था कि वहां के लोग खुशहाल होंगे। लेकिन वहां कोई खुशहाली नहीं हुई। पिथौरागढ़ के २ लाख ६२ हजार आबादी के बीच में ९ लाख २ हजार रुपये की शराब का ठेका दे दिया गया है। शराब की दूकान खोलकर जनता क्या सीखेगी ? एक करोड़ की शराब वहां पर बेची जाती है क्या ? सरकार इसी तरह से उत्तरा खंड का डेवलपमेंट करना चाहती है ? यह बड़े शर्म की बात है। ऐसी सरकार जनता की सरकार नहीं कही जा सकती। वहां पर आज मातायें, बहनें जलूसों में जा रही हैं, देवी देवताओं के जलूस निकाले जाते हैं, ऐजीटेशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, सरकार को तार देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने मुख्य मंत्री जी व माननीय अख्तरअली जी को तार दिये थे फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुयी। क्या इस तरह से वहां का विकास होगा ? आप वहां के लोगों का मनोबल ऊंचा करना चाहते हैं तो शराब की दूकानों को बन्द किया जाय जिस से लोग आगे बढ़ सकें। खाद्य मंत्री जी एक कमेटी में उत्तराखंड गये थे, उन्होंने कहा था कि वहां खेती नहीं होती और वहां के बगीचे इतने अच्छे नहीं हैं कि लोग अपनी गुजर कर सकें। इसीलिये आवश्यक है कि वहां औद्योगिक संस्थान खोले जायं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। कहा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ८० लाख व्यक्ति बेकार हुये, तीसरी में १२५ लाख और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में १५६ लाख बेरोजगार होंगे। जब पहाड़ों में खाने को नहीं है तो वहां के लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में लगायें, रपेंट इन फैक्टरी, पेपर मिल और कुटीर उद्योग खोलने की वहां काफी गुंजाइश है। इसके लिये सरकार कोशिश क्यों नहीं करती ? वह सीमावर्ती क्षेत्र है। एक तरफ नैपाल, दूसरी तरफ चीन है। अगर वहां के लोग भूखे रहेंगे तो वह उत्तर प्रदेश के लिये कंटक हो जायेगा। सरकार अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करे और वहां औद्योगिक संस्थान खोले जायं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और लोग हुनर सीख सकें।

क्या कारण है कि उत्तराखंड में न तो पंचायतों के चुनाव होते हैं, न जिला परिषदों के। क्या वहां की जनता नौकरशाही के पीछे चलने वाली बने ? जरूरी है कि वहां की जनता निर्माण कार्य को अपने हाथ में ले और जनता अपने मनोबल और इच्छा से काम करे और प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में ले। कई बार सदन में यह बात कही गई है कि उत्तराखंड में म्युनिसिपल बोर्ड और जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के चुनाव नहीं होते। मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि इन स्थानीय संस्थाओं के वहां चुनाव करवाए जायं ताकि वहां जनता समझे कि पंचायती राज कैसे चलता है।

[श्री गोपालदत्त ओझा]

पिथौरागढ़ जिले में १८ हजार सैनिक हैं और २५ हजार भूतपूर्व सैनिक पेंशन पाते हैं। ये सैनिक नेफा लद्दाख और कश्मीर की रक्षा करते हैं। उनके लड़कों को सैनिक स्कूलों में प्रिफ़ेन्स क्यों नहीं दिया जाता? सोल्जर्स बोर्ड के रेस्ट हाउसों में व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? पेन्शनरों हेतु बारिश में उनके टिकने का स्थान नहीं है। कम से कम सैनिक परिवारों की ओर भी ध्यान दिया जाय।

पिथौरागढ़ जिला अस्थायी है। वहां के कर्मचारी असमंजस में पड़े हैं कि यह जिला स्थायी होगा या नहीं। सात साल इसको अस्थायी हुए हो गए। अब इसको स्थायी कर दिया जाय। उत्तराखंड की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। कांग्रेस सरकार ने काफी विकास योजनायें बनाईं। स्कूल और सड़कें बनवायीं। तो क्या संयुक्त विधायक दल की सरकार अब उदासीन हो गयी है? वह भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

स्वास्थ्य मन्त्री जब विरोधी दल में थे तो कहा करते थे कि यहां पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वहां चार डिग्री कालेज हो गए हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं। वह नौजवान हैं। वह, विरोधी दल में रहते, कहते थे कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन अब जब सत्ता में आए तब उन्होंने उसके लिए कितना बजट रखा? अब वह मन्त्री हो गए तो जो बात वह पहले कहते थे उसको निभाना चाहिए। अब जुलाई आ रही है। इस बजट में बदलाव होना चाहिए।

अन्त में मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि उन्होंने यह सही स्टेटमेंट दिया है कि हमारे प्रदेश की सीमाओं के पार शत्रुओं की चार डिवीजन सेनायें हैं तो उनका यहां पर क्या कर्तव्य हो जाता है। यह बात भी वह देखें व तदनुसार कदम उठाएं। इसका सामना करने के लिए यह भी आवश्यक है कि वहां के निवासियों की अधिकाधिक आर्थिक व सामाजिक उन्नति अविलम्ब की जाय जिससे वे खुशहल हो सकें और उनका मनोबल बढ़े। अन्त में, मैं अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अश्वनीकुमार (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। वैसे बजट पर ३ दिन से जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में विरोधी दल की ओर से जो मुख्य आलोचना की गयी है उसके बारे में हमें अधिक नहीं कहना है क्योंकि बजट की आलोचना तो कम की गयी है लेकिन दूसरी बातें उठाई गयी हैं। कहा यह गया है कि यह इतनी पार्टियों के लोग एक साथ मिलकर कैसे शासन चलायेंगे और यह भी कहा गया कि पी० एस० पी०, एस० एस० पी० और जनसंघ के विपरीत सिद्धांतों वाले लोग मिलकर एक मत कैसे होंगे और राज काज चलाने के लिए कैसे निर्णय लेंगे? अभी अभी हमारे एक साथी ने उधर से यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो २० सालों में किया है वह आप २० शताब्दियों में भी नहीं कर पायेंगे। मैं उनकी इस राय से पूर्णतया इत्तिफाक करता हूं क्योंकि भ्रष्ट कांग्रेस ने २० साल में जो कुकर्म और पाप किए हैं वह इतिहास ही क्या किस्से कहानियों में भी देखने को नहीं मिलते हैं। जिन कामों को कांग्रेस सरकार ने किया है उनको यदि गिनाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह समय का अपव्यय होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चिन्ता न करें यह सरकार वास्तव में २० वर्ष में जो आपने पाप किए हैं उन्हें २० सदियों में भी नहीं करेगी। यदि हमें संयुक्त विधायक दल की सरकार की आलोचना करने को कहा जाय तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेसी सरकार ने जो २० साल में पाप किए हैं और जिस रास्ते पर वे चले हैं, उस रास्ते पर इस सरकार को नहीं चलना चाहिए।

इस बजट की बहुत सी विशेषताएं हैं। इसमें भूमि भवन कर माफ किया गया है, इसमें आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का पद समाप्त करने की घोषणा की गयी है और खास करके शासन के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत सी बातें की गयी हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे यह कहना है कि अगर कांग्रेसी सरकार ने खेती या सिंचाई में कुछ पैसा खर्च किया और आपने ज्यादा

खर्च कर दिया तो जनता आप से कवल इतने की आशा नहीं करती है। वह आपसे मौलिक और क्रान्तिकारी परिवर्तन की आशा करती है। मैं आपको याद दिलाता हूं जिस समय कांग्रेस सरकार का पतन हुआ उस समय जनता में एक सर्वथा नई आशा का संचार हुआ था और उसके दिल में उस समय बड़ी-बड़ी आकांक्षाएं थीं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उसकी आशाओं पर तुषारापात हो। जब आप कोई मौलिक परिवर्तन लायेंगे तभी जनता को राहत की सांस मिलेगी और यही जनता आपसे चाहती भी है। इस सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एस० वी० डी० की सरकार अपने जन्म के दो या ढाई महीने बाद पहले-पहले किसानों के पास गई, किन्तु वह क्या लेकर गयी। मुझे इस पर अफसोस है कि यह सरकार उनसे कुछ मांगने ही गयी। उसने कुछ दिया नहीं है और जब देना हुआ तो दिया किसको, भूमि भवन कर माफ किया और वह हुआ उनके लिए जिनकी हालत किसानों से बहुत अच्छी थी। तो इस बात को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए कि इस प्रदेश के किसानों और उनसे भी अधिक भूमिहीनों को राहत देनी चाहिए थी। आखिर कांग्रेस का भी तो यही तरीका था। उसने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा बड़े लोगों को ज्यादा, नीचे वालों को कम और कुछ को बिलकुल नहीं दिया है। संयुक्त विधायक दल की सरकार भी अगर उसी नीति पर चलती है तो इससे जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकेंगी, यह मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, हमारा देश और प्रदेश काफी बिगड़ चुका है और उसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक यानी कथनी और करनी में विषमता। कांग्रेस के लोग जब चुनाव में जाते थे तो वादे करते थे और बाद में उनको पूरा नहीं करते थे। हमारे एक साथी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को २० साल बरदाश्त किया, किसी दूसरी सरकार को २० साल बरदाश्त करने वाली नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त विधायक दल की सरकार ने एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाया है और उसमें कुछ प्राथमिकता दी है। अगर अब भी वही राजनीतिक कारण कथनी और करनी में विषमता का रहे तो फिर जनता में निराशा की भावना पैदा हो जायगी और जब जनता निराश और उदासीन हो जाती है तो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जायगा, जनतन्त्र कुंठित हो जायगा। बड़ी कठिनाई से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और अन्य पार्टियों ने जनता में आशा का संचार किया था, संयुक्त विधायक दल की सरकार ने अगर वादाखिलाफी की तो जनता में उच्छृंखलता पैदा होगी और जनतन्त्र खतरे में पड़ जायगा। जो न्यूनतम कार्यक्रम बनाया गया है उससे कभी मुकरना नहीं चाहिए। अगर आप सब कार्यक्रमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्यायें रोटी, रोजी, खेती और उत्पादन की है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले बीस सालों में दूसरे देशों से भीख मांग कर लोगों का पेट भरा, हमें इस बात की तो खुशी है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार ने खेती पर विशेष ध्यान दिया है। हम यह बात मान लेते हैं सारा लगान माफ करने में वित्तीय कठिनाइयां हैं, लेकिन जहां वित्तीय कठिनाइयां नहीं हैं उन कामों को तो इस सरकार को तुरन्त करना चाहिए था। जैसे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका न्यूनतम कार्यक्रम है कि पांच साल के अन्दर सारी खेती को सिंचाई के साधन दिए जायेंगे। हमारे प्रदेश में आजकल ४२७.१४ लाख एकड़ पर खेती की जा रही है। इसमें अभी १२९.०२ लाख एकड़ पर सिंचाई हो रही है। बजट जो प्रस्तुत किया गया है इसमें कुल ९.४७ लाख एकड़ पर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की गयी है। अगर हिसाब लगाया जाय तो इस प्रकार ३ वर्ष लग जायेंगे इस मामले में अपने न्यूनतम कार्यक्रम को पूरा करने में और इस प्रकार आपकी कथनी और करनी में फर्क मालूम पड़ता है। यह तो वही रास्ता है और मैं अपनी सरकार को उस राह पर चलने के लिए आगाह करना चाहता हूं।

तीसरी बात, खेती के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी हैं, भूमि संरक्षण, पौध संरक्षण, आदि। वह बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन बहुत बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है। भूमि संरक्षण के साथ-साथ फसल संरक्षण की भी योजना होनी चाहिए। फसल संरक्षण योजना के विषय में इस बजट के अन्दर कुछ भी नहीं कहा गया है। न इस

[श्री अश्वनी कुमार]

विषय में कुछ वित्त मंत्री जी ने ही कहा है कि फसल संरक्षण करने का उनका क्या कार्यक्रम है। आप जानते हैं कि फसल बीमा की योजना के विषय में जितने भी इधर लोग बैठे हुये हैं उन सब ने जिक्र किया है। तो क्या वजह से कि फसल बीमा योजना को चालू नहीं किया जा रहा है। हमारे पूर्वी जिलों में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर फसल की बरबादी न होती हो। गरीब से गरीब आदमी की खड़ी फसल किसी दूसरे लोगों के द्वारा खराब कर दी जाती है इसलिए कि उसके संरक्षण की कोई योजना नहीं है। यह बड़ी आवश्यक योजना है। इस तरह से खेती के मामले में और भूमि संरक्षण के कानून के सिलसिले में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले २० साल के कांग्रेसी शासन में जो काम हुआ है अभी तो उसका फल ही आगे आने वाले वर्षों में भुगतना पड़ेगा और कई साल लग जायेंगे कि कोई नया काम यह नई सरकार नहीं कर पाएगी। पूर्वी जिलों में राप्ती और घाघरा के किनारे जो लोग रहते हैं आज उनकी दशा बहुत खराब है और शरणार्थियों से भी खराब उनकी दशा है। इस सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक तो आदमी ही मरते और पैदा होते सुने गए हैं लेकिन अब गांव भी मरते हैं और पैदा होते हैं। ३, ४ गांव ऐसे हैं कि जो हर तीसरे साल मरते हैं और हर तीसरे साल पैदा होते हैं। एक गांव हथिया परास है जो ७ वर्ष पहले बह गया था। गांव वाले हैं, लेकिन गांव मर गया है। वहां के लोग उसको ढूंढते हैं कि गांव कहां चला गया। इसी तरह से एक गांव केवल चक है उसका भी पता नहीं है लेकिन लोग उसको ढूंढते हैं कि गांव कहां चला गया, लेकिन पता नहीं चलता है कि वह कहां है। इन चीजों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो विषमता की बात मैंने कही वह भी दूर होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि गांव-गांव में विषमता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विषमता है। योजनाओं में विषमता है। जो विषमता का तरीका आज दिखाई देता है वह सरकार को दूर करना चाहिए।

इसी प्रकार से सड़क बनती हैं और अस्पताल बनते हैं, नहरें और ट्यूबवेल बनते हैं लेकिन इनके बनाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं जिस इलाके से आता हूं और जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके के ४ फर्लांग इधर और ४ फर्लांग उधर सरकारी अपताल हैं। ४ फर्लांग की दूरी पर दो अस्पताल हैं। उसी गोरखपुर में ऐसे इलाके हैं जहां पर २०, २० मील और २५, २५ मील की दूरी पर कोई अस्पताल नहीं है। कोई सड़क नहीं है। वहां पर अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाय तो मरने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। वहां पर ऐसे इलाके हैं जहां पर जैसा मैंने बताया कि ८, ८ फर्लांग के फासले पर दो-दो अस्पताल हैं। वह इसलिए खोल दिए गए हैं कि एक मन्त्री जी की वहां पर ससुराल पड़ती थी। उन्होंने सोचा कि वहां पर अस्पताल जरूर होना चाहिए। मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, किन्तु मेरा यह निवेदन है कि इस तरह के खतरे इस संयुक्त विधायक दल की सरकार के सामने हैं जिनसे उसको सदा सावधान रहना चाहिए। एक खतरा नौकर-शाही का है। जो यह अफसरशाही है वह छोटे-छोटे कामों को भी और छोटी सी छोटी योजना को भी ठीक से करने नहीं देती है। उनसे इस सरकार को आगाह रहना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि इस सरकार की जिन्दगी आज तक की दो या ढाई महीने की है। बहुत से ऐसे मामले हैं यदि वे प्रकाश में आ जायं तो इस सरकार को उससे सबक लेना चाहिए। अगर वह नौकरशाही इसी प्रकार से अपना काम करती रही तो इस सरकार को वह कुछ करने नहीं देगी। इसलिए सरकार को उससे आगाह रहना चाहिए। इसी प्रकार से जो यह लगान का मामला है, अगर इस लगान के मामले को आंखों से सरकार ने ओझल किया और ६। एकड़ तक के लगान को नहीं हटाया तो प्रदेश की जनता के साथ यह एक विश्वासघात होगा। इसलिए इस लगान को माफ होना चाहिए।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता जी, इस बजट पर जो संयुक्त विधायक दल की सरकार ने अपने वित्त मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया है उस के सम्बन्ध में सभी प्रकार की चर्चायें हो गयी हैं। इस

बजट के लाने वालों के राजनैतिक स्वरूप के ऊपर बहुत बातें हुयीं। मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता और अगर कुछ थोड़ा कहना पड़ा तो आखिर में कुछ बातें कह दूंगा।

मान्यवर, बजट की जो सूरत है, उस के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि आज बजट पर चार रोज से साधारण बहस चल रही है, लेकिन ९० फीसदी वित्त मन्त्री जी सदन से अनुपस्थित रहे हैं। वे सदन में नहीं रहे, यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। इस सदन की सेवा में उपस्थित रहना हम सब का सबसे पहला काम है। इधर बैठे हम बिलकुल खराब लोग क्यों न हों, इस सदन में बिलकुल कमअक्ल लोग क्यों न बैठे हों, फिर भी मर्यादा का तकाजा है कि सामान्य विवाद के समय वित्त मन्त्री जी यहां बैठे रहें। मुझे खेद है कि वे नहीं हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो उन के सहयोगी हैं, और जो सचिव लोग उनकी तरफ से यहां बैठे हुए हैं बातों को सुनते और समझते रहते हैं वे मेरी बातों को उन तक पहुंचा देने की कृपा अवश्य करेंगे।

मान्यवर, इस बजट भाषण के पृष्ठों को मैंने देखा और पढ़ा। जब माननीय वित्त मन्त्री जी इस सदन में भाषण दे रहे थे तो मुझे बड़ी उत्कंठा थी। मुझे लग रहा था कि माननीय मन्त्री जी अपने आने वाले जमाने में भुखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए जो अर्थ यन्त्र लगाना चाहते हैं, जो स्ट्रेटेजी आफ प्लान लाना चाहते हैं, जो योजना के तरीके में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो पहले नहीं थी, उसे पेश करेंगे। ऐसे कामों के लिए बजट अच्छा मौका होता है उन नए रास्तों को पकड़ने के लिए जिन पर कोई सरकार चलना चाहती है उन्हें बताने का। लेकिन मान्यवर, पिछले बीस साल के नियोजन को निकम्मा बताने के पश्चात्, गलत बताने के पश्चात माननीय वित्त मन्त्री जी का भाषण पन्ने पर पन्ने ऐसा लगता गया मानो पिछले वित्त मन्त्रियों के भाषणों की नकल हो और वह भी निर्जीव नकल की जा रही हो। मैं तो उसे पेज पर पेज नकल कह सकता हूं। यही नहीं, उन्होंने अन्न की कठिनाई की चर्चा की तो जिस पैराग्राफ में अन्न की कठिनाई की चर्चा इस से पहले के वित्त मन्त्रियों ने भी अपने भाषण में की थी, ठीक उसी पैराग्राफ में अन्न की कठिनाई की चर्चा उन्होंने भी की। मैंने माना कि अन्न बड़ी जरूरी चीज है, उस की तरफ जल्दी निगाह पड़नी चाहिए थी, लेकिन उस कठिनाई के लिए जैसा-जैसा पिछले वित्त मन्त्रियों ने कहा कि हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, हम योजना पर रुपया इस क्षेत्र में और अधिक लगायेंगे, हम कृषि के और अधिक साधनों को उपलब्ध करेंगे, ठीक उसी प्रकार हमारे वित्त मन्त्री जी ने भी अपनी बात कही। पिछले दो भाषणों को मैंने पढ़ा। जिन-जिन औद्योगिक संस्थानों को बनाने के सम्बन्ध में उन में चर्चा की गयी थी, ठीक उन्हीं की चर्चा इस बजट में की गयी है। हैवी एलेक्ट्रिकल्स, ऋषिकेश की चाहे वह बात हो अथवा ऐन्टी बायोटिक्स की, अथवा फर्टिलाइजर की फैक्ट्री स्थापित करने की बात हो, जो भी संस्थान उन बजटों में वर्णित थे उन की चर्चायें वैसी की वैसी इस बजट में भाषण में भी की गयी हैं। यह बात मानी मान्यवर, कि भाषा में थोड़ा फर्क है। हिन्दी का रूप कुछ बदला हुआ है, वरना बातें सब वैसी की वैसी रख दी गयी हैं।

(इस समय २ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसी प्रकार बिजली की सिंचाई रामगंगा और गंडक परियोजना पर कितना रुपया वह खर्च करेंगे, कैसे वह रुपया आने वाला है, ठीक जैसे भूतपूर्व वित्त मन्त्रियों ने पहले भी कहा था वैसे ही उन्होंने भी कहा। मान्यवर, आप के आने के पहले इस असेम्बली में कहा जा रहा था कि हम आशा करते थे कि इस बजट में प्लानिंग के लिए कोई नयी स्ट्रेटेजी होगी, इस बजट में साधनों को उठाने के लिए और काम करने के लिए कोई ढंग में तब्दीली होगी, कोई बड़ा फर्क होगा, भूतकाल से कोई बुनियादी भेद होगा, क्योंकि अगर कोई परिवर्तन और अधिक मात्रा में परिवर्तन नहीं होना था, यदि बजट की उसी प्रकार की शकल और सूरत आनी थी तो पिछले बीस साल के निकम्मे ढंग की चर्चा करने के बाद उसी को अपनाने की बात करना कहां तक ठीक है? इस बात को मैं वित्त मन्त्री और इस मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के सुविवेक पर छोड़ता हूं। "कुछ लोग सब लोगों को कुछ रोज तक बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोग सब लोगों को सब दिन

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

बेवकूफ नहीं बना सकते हैं" और इस बजट के द्वारा स्पष्ट है कि भले ही २० साल का तरीका गलत था, मैं बहस के लिए स्वीकार करने को तैयार हूं, हमारी प्लान की स्ट्रेटेजी गलत थी, आप शुद्ध करने के लिए आए हैं तो ढाई महीने तक क्या किया? जब मैंने कहा था कि हमको बजट बनाने के लिए समय चाहिए तो विकल जी ने कहा था कि हम डेढ़ महीने में आपको दे सकते हैं, एक महीना दे सकते हैं। इस सरकार को तो ३ महीने मिल गए, आप कोई बड़ी बात इसमें न कहते पर उचित दिशाओं में जाने की और ध्यान दिलाते। लेकिन इसमें तो ठीक वही तरीका बरता गया, रेवेन्यू वसूली और उसके सोर्सेज का, कोई परिवर्तन नहीं है। जिस ढंग से और जिस सोर्स से पहले रेवेन्यू ली जाती रही वही तरीका इस बजट में मौजूद है, कोई परिवर्तन नहीं है। समाजवादी विचारों का सरकार किस प्रकार प्रयोग करेगी, चीजों के मूल्यों के सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं, कृषि और वाणिज्य के विषय में नीति परिवर्तन की कोई चर्चा नहीं है। यहां से कही जाने वाली बातों के अलावा कोई नया मोड़ इस बजट में नहीं है। कोई अर्थशास्त्री यह कह दे कि वित्त मन्त्री के पिछले २० सालों के हमारे नियोजन की भर्त्सना करने के बाद उसको स्वयं उन्होंने नहीं अपनाया है तो मैं बड़ी से बड़ी सजा लेने के लिए तैयार हूं। हमारा तरीका स्वीकार करके, हमारी नकल करना और गाली देकर नकल करना--कैसे करते हैं मैं कहना नहीं चाहता। उदार चरित्र लोग ऐसा नहीं करते, इतना ही जानता हूं। और किसी के पद-चिन्हों पर चलो तो गाली तो मत दो। यह तो कहो कि हम इसमें यह सुधार करेंगे, यह तो मैं मानता हूं। लेकिन किया कुछ नहीं और गाली और ऊपर से देना। मैं मानता हूं कि मैं कांग्रेस की सरकार में वित्त मन्त्री की हैसियत से बैठा था लेकिन मैंने आते ही ४-५ दिन इस बात की चेष्टा की थी कि विधान सभा सचिवालय की मर्यादा और गौरव के अनुरूप जो वित्तीय परम्पराओं की तरफ बढ़ना चाहिए उसकी ओर हम बढ़ें। इस बजट में कोई ऐसी छोटी सी बात भी आ गयी होती तो मैं समझता कि जो विरोधी दल की हैसियत से बैठ कर और प्राक्कलन समिति के जरिए से इस सदन से सिफारिशें करायी थीं उनकी ओर ही कुछ बढ़े हैं। मोटी सी बात थी। मान्यवर, आपका सचिवालय मेरा गवाह है। तत्काल लेखानुदान बजट बनाने के बाद मैंने कहा था कि मुझे पिछली प्राक्कलन समितियों की रिपोर्ट दे दो। हर वित्त मन्त्री सर्वज्ञ नहीं होता, लेकिन जो सदन में जानकारी रखने वाले लोग हैं उनसे मैंने कहा था कि जिन सिफारिशों को पूरा नहीं किया गया है उसकी ओर हमें बढ़ना है। वित्तीय सचिवालय में वर्तमान मन्त्री जी को शायद वह सूचना दी होगी। लेकिन जो बात मेरी बुद्धि में आयी थी, उधर नहीं आयी। प्राक्कलन समिति के १९वें प्रतिवेदन में जिसको इस सदन में १२-८-६६ को प्रस्तुत किया गया था उसमें दो तीन बातें कही गयी थीं। बजट के बनाने में क्या गलतियां थीं और कितनी असावधानियां बरती गयी हैं, उनको कैसे दूर किया जाना चाहिए, तो उसमें कहा गया है "वित्त विभाग उपरोक्त उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए समस्त अनुदानों की जांच करे और जहां वर्गीकरण में परिवर्तन की आवश्यकता हो वहां उचित परिवर्तन किया जाय।"

जो हमारे हैड्स आफ एक्सपेंडीचर हैं खर्चे के, इनमें बड़ा ऊल-जलूल मेलजोल है और उसको छांट-पीट कर अलग रखना चाहिए यह एस्टीमेट्स कमेटी ने कहा था और यह भी कहा था कि उसको अलग कर लीजिये। अगर वित्त मंत्री ने इतना भी कर दिया होता तो मैं समझता कि वह पुराने ढंग से कुछ हट कर चलने वाले हैं। मैं जानता हूं कि यह सरकार तो केवल उन कुर्सियों पर बैठने के लिये आयी है, इसलिये उनसे कोई आशा करना व्यर्थ है। किसी को आशा भले ही हो, किन्तु मुझे तो न कभी थी, न है, और न होगी। समय बीतने पर जो हमारे नौजवान साथी उधर बैठे हैं वे स्वयं भी सोचेंगे कि उन्होंने कितना अन्याय अपने साथ किया है।

मान्यवर, प्राक्कलन समिति ने एक सुझाव यह दिया था कि आकस्मिक व्यय की मद में यथासम्भव कम से कम धनराशि का प्राविधान किया जाय। इस बजट में आकस्मिक निधि में जो धनराशि रखी गयी है उसको आप देखें। कहां-कहां से वह रुपया आया है और अगर, उसको आप सुनेंगे तो सुन कर हैरत होगी। २० वर्षों तक हमने उसको ठीक नहीं किया।

मगर, श्रीमन् हम उस तरफ जा रहे थे, आपका सचिवालय उसके लिये गवाह है। इस हेड में जो रुपया जिस तरह से रखा है उसको देख कर आश्चर्य होता है कि कैसे यह प्रदेश को आगे ले जायेंगे। मैं आपके सामने पिछले वर्ष के और इस वर्ष के आंकड़े रतखा हूं। १९६६-६७ में कार्यालय आकस्मिक निधि की मद में १९ करोड़ १ लाख १ हजार रुपया रखा गया था, १९६७-६८ में यह रुपया कुछ कम करके १७ करोड़ ७३ लाख ४८ हजार २०० है। इसमें कुछ जरूर कम है, मगर अन्य आकस्मिक निधि के अन्तर्गत १९६६-६७ में जहां १५ करोड़ ८३ लाख ३१ हजार ८०० रुपये थे वहां १९६७-६८ में, इस नयी सरकार ने २३ करोड़ ६७ लाख ७२ हजार २०० रुपये रखे हैं। अब, मान्यवर, यह रुपया किन मदों से आयेगा? मान्यवर, चूर्क सीमेंट फैक्टरी में जो करोड़ों रुपयों का सामान कच्चा माल इस साल आने वाला है वह भी इसमें शामिल है। मान्यवर, यह सरकार कुछ सुधार करने चली है, और सुधार करने के लिये अक्ल की जरूरत है, अक्ल बाजार में नहीं मिलती है, बदकिस्मती से अक्ल वाले इधर आ बैठे हैं।

(व्यवधान)

मैं, मान्यवर, अब बजट के दूसरे रूप की ओर आता हूं। जो दूसरा रूप है वह भी देखिये। आज कल इस सरकार के विभिन्न दलीय अंगों के कन्ट्रोल कमीशन का जिक्र है। फासिस्ट पार्टियां किस तरह से कंट्रोल कमीशन बनाती हैं, वह मैं बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन उग्रसेन जी हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनसे अपील करता हूं कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई है उन्होंने कैपिटल एक्सपैन्डीचर को पूरा करने के लिये। केन्द्रीय सरकार को ऋण देगी, वह है और नहीं होगा तो कान्टीजेंसी फंड से लेंगे, नहीं होगा तो प्राविडेंट फंड से कर्ज लेंगे। यही हम करते आये, नयी सरकार ने क्या तब्दीली की? आपने नई चीज इस सदन में क्या प्रोपाउन्ड की? आपने कोई चेंज की, आपने क्या चीज की? मझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह बजट निर्जीव अदा लेकर आया है। हमारी नकल और नकल तो मान्यवर, कोई ठीक कर नहीं सकता और नकल करने वाला ठीक हो नहीं सकता। तीसरा रूप ले लीजिये। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न होगा इनका, कैसे ये काम करेंगे? ठीक वही पी० डब्लू० डी०, ठीक वही इर्रीगेशन, ठीक वैसा ही उसका शेड्यूल और ठीक वही उसके काम करने के ढंग। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में वही अनुसन्धान विभाग और हल्के और सस्ते ढंग से काम करने का नया तरीका होगा या वही पुरानी प्रथा का ठेका होगा, वही इन्सान होंगे, फर्क केवल इतना ही होगा कि ऊपर बस बिशारद जी होंगे। एक्जीक्यूशन आफ प्लान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लानिंग के काम के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं। वित्त मंत्री जी के भाषण को देखने से कोई खास बात नहीं मालूम होती। पहिले पृष्ठ पर तो इनके अनुसार बीस साल के गलत नियोजन से जो खराबियां आई हैं उनका ही उल्लेख किया गया है, आखिरी भाग शायद सचिवालय का ही लिखा है। चौथे और पांचवें पेज में, यह दिखाया गया है कि दो सालों से जो सूखा पड़ा उसकी वजह से अन्न संकट पैदा हो गया। मान्यवर, सूखे का संकट और योजना की कठिनाई ये फिर कहने लगे कि और आपदाओं के कारण ऐसा हो गया, इसके लिये चीन और पाकिस्तान का हमला रहा होगा लेकिन अब हमारी एकानामी कहां जायेगी? बजट साहित्य जैसा कि हम बनाते थे, मंत्री जी की रिपोर्ट, सचिव की रिपोर्ट, जो पुरानी मदें हैं, जो नई मदें हैं---मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उनमें कि कुछ नयी सरकार परिवर्तन करेगी। लेकिन अगली मर्तबा जो वित्त मंत्री रहे वे शायद इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारा यह जो बजट का मैटीरियल या लिट्रेचर है इसकी शान तो तब बढ़े, जब हम इसको बढ़वाते हैं, क्लासिफाई कर दें, विभिन्न मदों में, होने वाले खर्चे में, अर्थ व्यवस्था में किस प्रकार असर पड़ेगा, कहां से हमारी शक्ति बढ़ेगी और कहां से घटेगी और वह किस मात्रा में होगी। अगर एक आदमी इसके लिये कोशिश करना चाहे तो उसको महीनों लगेंगे तब वह पूरा कर पायेगा।

लेकिन यह कहा गया कि कृषि पर खर्च कर रहे हैं, सिंचाई के साधनों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन लोन की स्कीम्स कम कर दीं। अगर मैं गलत हूं तो वित्त मन्त्री जी समझा देंगे कि यह कहां तक ठीक है। हमारी पिछली तीन योजनाओं में जो देश की स्थिति रही है उसके सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी यहां करा दें। श्रीमन्, पहली योजना में पर कैपिटा

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में था २४ रुपया, दूसरी योजना में ३४ रुपया था और तीसरी योजना में था ६८ रुपया, जब कि इन्हीं योजनाओं में आल इंडिया में वह ४० रुपया, ५२ रुपया, और ९२ रुपया था, माननीय उग्रसेन जी कहते हैं कि वह बहुत कम था, लेकिन हम सोचते थे कि अब पुण्य का उदय हुआ है, नयी सरकार आयी है, वह कुछ बढ़ेगा और यही कह कर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया गया कि हम पुण्यात्मा हैं। लेकिन इसी सरकार ने कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया, कालागढ़ में मजदूरों के साथ जो व्यवहार किया और किसानों के साथ जो व्यवहार किया है तथा स्वयं माननीय उग्रसेन जी के साथ जो व्यवहार किया है, उससे सभी लोग भली भांति अवगत हैं और यह साबित हो चुका है कि ये लोग पुण्यात्मा नहीं हैं।

हमारे इन्वेस्टमेंट में सोर्सेज आफ रेवेन्यू मुख्य चीज होती है। उसमें इस सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। चौथी योजना में ९२६ करोड़ रुपया कुल लगना था उसमें से उत्तर प्रदेश को अपनी ओर से ४३१ करोड़ रुपया लगाना था। अब यह नहीं बताया गया कि ४३१ करोड़ में से कितना लगने वाला है और चौथी योजना का रूप क्या होगा, यह भी नहीं बताया गया है। यह इस बजट में अवश्य आ जाना चाहिये था। लेकिन यह जरा मुश्किल बात है। अभी तो आसान-आसान बातों को ही कहा गया है और उनको कह कर चीजों को ढांक दाब कर रखने की कोशिश की जा रही है।

सदन में हम लोगों में से कोई भी कुर्सी का लालच नहीं रखता है। हमारी तरफ के लोगों की बाबत तो मैं जानता हूं, लेकिन उधर से अश्विनी कुमार जी ने भी हमें इस बात का भरोसा दिलाया उससे मैं कह सकता हूं कि सदन में कोई भी कुर्सी का लालच नहीं रखता। और हर आदमी जो अपनी आत्मा के अनुरूप कहना चाहता है वह यही कहेगा। लेकिन आप को इस बजट में यह जरूर बतला देना चाहिये था कि चौथी योजनाके लिये सरकार का क्या विचार है। भविष्य में आप योजना के अनुसार काम भी करना चाहते हैं या नहीं अथवा उस योजना के रूप में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं सवाल करता हूं और सरकार और मुख्य मंत्री जी जवाब दें कि वे इस योजना के बारे में क्या करने जा रहे हैं।

हमारे मित्र राम नारायण जी हमारे बहुत खिलाफ बोले। वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हमने बड़ी कोशिश करके उनको जिताया भी। वे जीत कर आये और उन्होंने एक नयी पार्टी में शामिल होकर आज एक भाषण दिया। एक भाषण उनका २९ मार्च, १९६७ का भी है। यह इसी विधान सभा में दिया था और राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सिलसिले में बोलते हुए दिया था। उसमें भी उन्होंने कांग्रेस की बहुत सी भूलें बतायीं, आज उन्होंने माननीय गुप्ता जी पर बड़ा कटाक्ष किया। अब मैं आप को उनके उसी भाषण से यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने २९ मार्च, ६७ के उस भाषण में कांग्रेस के लिये क्या कहा था, माननीय गुप्ता जी के लिये क्या कहा था, और स्वयं माननीय उग्रसेन जी के लिये क्या कहा था। मैं बड़ा अनुग्रहीत होऊंगा अगर माननीय उग्रसेन जी भी अब गुप्ता जी के पीछे आ जायं। मैंने पहले ही कहा था कि माननीय उग्रसेन जी भी माननीय रामनारायण जी की तरह महसूस करें तो उन्होंने कहा था कि मैं उनको एक पुराना समाजवादी नेता के रूप में देखता हूं, वे आचार्य नरेन्द्रदेव के परम मित्रों में से रहे हैं, समाजवाद का उनका गहरा अध्ययन है और मैं उनको एक सर्वहारा के रूप में देखता हूं जिसके पास न जायदाद, न बीबी हो न बच्चे हों, उससे बढ़कर सर्वहारा कौन हो सकता है। यह विचार श्री राम नारायण जी त्रिपाठी ने २९ तारीख को प्रकट किये थे इसी सदन में...

(लाल बत्ती होने पर)

मैं आप का बड़ा ऋणी होऊंगा यदि आप मुझे ५-७ मिनट और अधिक दे दें।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि पहला बजट आप का बनाया हुआ था और उसकी इससे शृंखला जुड़ जाय इस ख्याल से आप चाहें तो दस मिनट और बोल लें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, बार बार उन्हीं सज्जनों को बुलवाया जाता है और उन्हीं को बोलने की आज्ञा होती है, हम बार बार खड़े होते हैं लेकिन हमारा नम्बर नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप ने भी इससे पहला बजट उपस्थित किया होता तो आपका भी मैं समय बढ़ा देता। उनके कन्धे पर एक उत्तरदायित्व है इसलिये मैं मजबूर हूं। यहां बैठ कर कुछ विवेक से भी काम करना पड़ेगा मुझे और इस समय यह सदन स्वयं समझ सकेगा कि जिस विवेक का मैंने प्रयोग किया है वह सदन के हित में है या नहीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

आज भी आप देखें कि उधर से विकल जी मंत्री हैं और उन कुर्सियों पर विराजमान हैं। मैं उनकी कही हुई पुरानी बात नहीं कहूंगा। अभी २१ मार्च सन् ६७ को उन्होंने इसी सदन में इधर से कहा था कि यह कार्यवाही के पृष्ठ १२८ पर मिल जायगा। वह कहते हैं कि कितने सी० आई० डी० के लोग दारुलशफा में रात दिन रहते थे, कितने राजनीतिक लोग आज बन्दी हैं, इन सब बातों को देखते हुये मैं कह सकता हूं कि न कांग्रेस अध्यक्ष कामराज का बयान सही था"। ठीक हो सकती है हमारे समय की बात, लेकिन आज उनके जमाने में यहां इस समय कितने लोग बन्दी हैं, कितने आप के सरकारी कर्मचारी बन्दी हैं जो सरकार का अंग हैं। बदकिस्मती से आज उसी सरकार में विकल जी मौजूद हैं, वह न रहते तो मुझे अफसोस न होता। विकल जी सरकार में हैं और राजनीतिक बन्दी भी मौजूद हैं, विद्यार्थी भी बन्दी हैं और सरकारी कर्मचारी भी बन्दी हैं। वही विद्यार्थी आज बन्दी हैं जिन्होंने उधर बैठे लोगों के नेतृत्व में उन को साथ रख कर काम किया था। वह आज आराम से सरकार में मौजूद हैं जिनको उन सब के बन्दी होने की पहले शिकायत थी। इतना ही नहीं इस के आगे वह पृष्ठ १२९ पर कहते हैं, विकल जी ने उसी दिन कहा था कि "मैं समझता हूं कि अधिक नहीं चल सकेगा आखिर आप कभी तो घोषणा करें कि मंत्रि परिषद् में कितने सदस्य होंगे और कौन सी अन्तिम तारीख तक वह गठित हो जायगी। सारे प्रदेश की जनता को इसकी प्रतीक्षा है।" हम से वह यह आशा करते थे लेकिन उनके इस बजट में कोई मंत्रि परिषद् का क्या अन्तिम रूप होगा यह नहीं मिला, क्योंकि वह होता तो उससे बजट में असलियत जाहिर हो जाती। आगे वह कहते हैं उसी में कि "आज के राजनैतिक वातावरण की मांग है कि आप मंत्रिपरिषद् की अन्तिम सीमा निर्धारित कर दें, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है कि यहां भी हरियाना और पांडेचेरी का सा हाल होगा। आज कम्युनिस्ट और जनसंघ ने जनतन्त्र की रक्षा के लिये एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उसका एलान किया है और कहा है कि हम इस प्रोग्राम को अमल में लायेंगे। अगर हमें सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया जायगा।" उन्होंने आगे कहा कि, "हमारे मंत्रिगण ५०० रुपये माहवार लेंगे आप उसका मुकाबला कर के दिखायें। ५०० रुपये से ज्यादा और कोई खर्च नहीं होगा और ११ से लेकर १५ तक ही मंत्रि परिषद् के सदस्य होंगे।" मैं सोच रहा था कि इस घोषणा के बाद इस बजट में मंत्रियों के खर्च पर, स्टाफ के खर्च पर, टी० ए० वगैरा के खर्च में काफी कमी होगी, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि उनका ही यह छापा हुआ बजट साहित्य कहता है कि इन मदों में पहले से और भी अधिक रकम का प्राविधान किया गया है। मैं इसमें कहीं कोई कमी नहीं पाता। मैं नहीं जानता कि मुख्य मंत्री जी क्या तनख्वाह लेते हैं। आशा तो यह थी कि वह इस अवसर पर एलान करेंगे कि मंत्रिपरिषद् का कोई भी सदस्य मिनिमम वेतन ५०० रुपये से ज्यादा न लेगा। माननीय विकल जी ने नेता विरोधी दल की हैसियत से एक स्टैंडर्ड को बांधा, लेकिन उस को चरितार्थ स्वयं नहीं किया। उसी भाषण में उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे यहां से ११ से १५ तक की संख्या में ही हमारे मंत्रि परिषद् के सदस्य होंगे। लेकिन आज, मान्यवर, कितने मंत्री हैं, गिनती जोड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आगे भी देखते चलें कि जितनी बातें जनता से कही गयी हैं उनमें से कितनी सारी नहीं की गयीं, उनका तो एक अपना लम्बा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

हूं कि इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करें कि हमसे पहले कहा जाता था कि चुनाव के पहले इस्तीफा दे दो, परन्तु जब जौनपुर का चुनाव हुआ तो कितने मंत्री लोग वहां गये, जब इलाहाबाद के चायल में चुनाव हुआ तो कितने मंत्री लोग वहां गये ? कौन नहीं गया। वहां उनके टेलीफोन भी गये। मैं नहीं कहता कि कौन गया, कौन नहीं गया, हमने तो एक उदाहरण दिया। हमारा तो एक फायदा हुआ, जैसे एक अखाड़े में कई पहलवान होते हैं तो कहते हैं कि आओ एक ही लंगोट से काम निकाल लें उसी तरह से हम ने तो एक ही लंगोट से लड़ाई लड़ ली।

इस बजट के सम्बन्ध में और अधिक कुछ न कहते हुए मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के साथ जो कुछ किया है, उनकी छंटनी के सम्बन्ध में काफी असर इस बजट में दिखलायी पड़ता है। जब माननीय कैलाश प्रकाश जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था तो शुरू में ही उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों की मद में साढ़े ४ करोड़ की बचत होगी लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि कर्मचारियों की छंटनी भी नहीं होगी। लेकिन पहले जहां उधर बैठे हुए लोगों ने कहा था कि छंटनी नहीं होगी वहां अब मालूम पड़ता है कि उनकी छंटनी करने का आपने निश्चय किया है। तो मैं मांग करता हूं कि कल उत्तर देते समय इसका भी उत्तर हो जाय कि क्या इस सरकार ने कर्मचारियों की छंटनी करने का निश्चय किया है या नहीं ? एक डींग यह मारी गयी कि हम क्रान्तिकारी कदम उठाने वाले हैं और जुडिशियरी तथा एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग कर देंगे। इस सम्बन्ध में आपसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपने लेजिस्लेचर को स्वतन्त्र करने का निश्चय किया है जिसका संविधान में साफ तौर से प्राविधान है ? क्या आपने सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की पोस्ट को एबालिश किया है ? अब सेक्रेटरी लेजिस्लेचर का कंट्रोल इस पर रहेगा या नहीं ? संविधान में है कि जुडिशियरी का कंट्रोल इस पर नहीं रहेगा। अगर आज वह है और पहले गलती की गयी थी तो मैं आप से कहता हूं कि वह ठीक नहीं था, अब आपने उसको क्यों रखा ? मैं आप को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमने कुछ भूलें की हैं तो भूलें कम हैं और उपलब्धियां अधिक हैं; लेकिन आपकी भूलें अधिक हैं और उपलब्धियां कम हैं। मान्यवर, जब सदन के कर्मचारियों का एक सर्विस कंडीशन रूल होता है कि कैसे उनको गवर्न किया जाय, राज्यपाल की स्वीकृति के लिये उनके लिये रूल्स बना कर भेजे गये हैं, कौंसिल के भी गये हैं, फिर कौंसिल का तो मंजूर होकर आ जाता है लेकिन जब असेम्बली के रूल मंजूर होकर गवर्नर के यहां से लौटे ही थे कि तब तक नयी सरकार आ गयी और उसे रोक लिया जाता है। आखिर इसका कारण क्या है ? जहां आपने जुडिशियरी से एक्जीक्यूटिव को अलग करने की बात कही है वहां लेजिस्लेचर को क्यों छोड़ दिया है ? हमसे तो कहा जाता था कि पैसे बचाइये लेकिन अब जब आपके हाथ में शक्ति आयी तो आप को चाहिये था कि जहां तक हो सकता पैसे बचाते। पर किस मद में पैसे की बचत हुई, यह भी सोचने की बात है।

यह तो वही बात हुई कि एक कंजूस के पास ४ लाख रुपये थे जिसे वह रोज गिन कर लोगों को बतलाता रहता था कि मेरे पास ४ लाख रुपये हैं जब कि एक व्यवसायी जिसके पास भी ४ लाख रुपये थे, अपने रुपये को व्यवसाय में लगा दिया था। उसके घर में एक रुपया भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप किस रुपये को उत्पादक कहेंगे और किस रुपये को अनुत्पादक कहेंगे। मैं समझता हूं कि यह सरप्लस बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है इसको मैं सर्वसाधारण के लिये कुठाराघात करने वाला बजट समझता हूं। इसमें नया रूप कुछ भी नहीं है। इस बजट के सम्बन्ध में मैं मांग करता हूं, जैसी कि संसदीय परम्परा है, क्या आप इसे एस्टीमेट कमेटी को भेजने को तैयार हैं जो एक्सपर्ट कमेटी की हैसियत से इसकी सही रूप में जांच कर सके ? क्या आप इस पर विचार करने के लिये हाउस आफ कामन्स वाली परम्परा लागू करने को तैयार हैं ? क्या आप प्लांस के लिये जो रुपया केन्द्रीय सरकार से लेते हैं उस रुपये के लेन देन के संबंध में कुछ अपना तरीका डालना चाहते हैं या वही पैटर्न जो प्लानिंग कमीशन वाला है, उसीको स्वीकार करते हैं। आपको केन्द्र के सहारे पर नहीं चलना चाहिए। इससे ज्यादा चलने में तो हम ज्यादा माहिर हैं।

अन्त में मैं केवल यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस निकम्मे और निर्जीव बजट को सजीव बनाने के लिये काफी परिवर्तन करने पड़ेंगे और मुझे आशा है कि यह सदन इस बजट को इस रूप से ठुकरायेगा कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की उन्नति को कुंठित न कर सके।

साइलेस रोशन ब्रिटिश सोसाइटी के संस्थापक द्वारा भारत विरोधी प्रचार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

(श्री रामचन्द्र विकल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी आप को बुलाऊंगा। पहले जो आइटम १२ के अनुसार कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं उनको मैं लेता हूं।

श्री राजबली (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरी यह प्रार्थना है...

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजबली जी, मैं आप से एक सहयोग चाहूंगा कि जो हमारे नियम हैं या जो हमारा एजेन्डा है उसको आप देख लें। उसमें कार्य-स्थगन प्रस्ताव पहले प्रस्तुत होते हैं, उसके पश्चात् नियम ५१ और ५२ की सूचनायें ली जाती हैं। आप एजेन्डा देख लें। उसके अनुसार पहल कार्य स्थगन प्रस्ताव लिए जायेंगे। फिर आप की सूचनायें नियम ५१ और ५२ की ली जायेंगी।

मेरे पास कार्य-स्थगन के २ प्रस्ताव आये हैं। उनको मैंने अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि बजट के वादविवाद के समय उन पर सिर्फ चर्चा हो सकती है। मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, उसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं जिससे सदन को उसकी जानकारी हो जाय और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट हो जाय और वे इस पर कार्यवाही कर सकें। वह इस प्रकार है :

"साइलेस रोशन ब्रिटिश सोसायटी के तत्वावधान में दिनांक १९-६-६७ की एक सभा मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना के अन्तर्गत चील्ह धर्मशाला के मैदान, जिसमें सोसाइटी के संस्थापक श्री साइलेस रोशन ने भाषण करते हुए यह कहा 'भारत की भुखमरी, बेकारी और गरीबी तब तक दूर नहीं होगी जब तक ब्रिटिश राज्य की स्थापना फिर से इस देश में नहीं हो जाती। जनता को अपनी रक्षा तथा बाहरी हमले से देश को बचाने के लिए फिर से ब्रिटिश शासन को देश में स्थापित करने हेतु आन्दोलन करना होगा।' जनता को निडर होकर इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आन्दोलन करना होगा। सभा के अन्त में ब्रिटिश सरकार जिन्दाबाद, ब्रिटिश सरकार वापस आओ। आदि आदि नारे भी लगाये गये। इसी तरह की देश विरोधी कार्यवाही करने के लिए साईलेस रोशन को सन् १९५१ में डेहरी-आन सोन (बिहार प्रान्त) व २६ मई, १९५५ में मिर्जापुर में गिरफ्तार किया गया था।

उक्त श्री रोशन मिर्जापुर जिले के गंगापार मवइया के रहने वाले एक ईसाई हैं तथा मिर्जापुर और दूसरे जिले में स्थान-स्थान पर घूमकर इस प्रकार देश द्रोह फैला रहे हैं। इस घटना से विशेषकर मिर्जापुर तथा प्रदेश के जन मानस के अन्दर एक विशेष चिन्ता और क्षोभ उत्पन्न हो गया है...

हेमवतीनन्दन बहुगुणा।"

तो मैंने यह इसलिए पढ़ कर सुना दिया कि जिससे सारा सदन और माननीय मंत्री जी भी अवगत हो जायें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह प्रश्न इतने बड़े महत्व का है परन्तु दुख है कि इस समय सदन में न हमारे गृह मंत्री जी उपस्थित हैं और न माननीय मुख्य मंत्री जी और न उनके उप-मंत्री जी। अतः आपसे प्रार्थना है कि जब इस प्रकार के प्रश्न सदन के सामने आयें तो कम से कम या तो मुख्य मंत्री अथवा सम्बन्धित मंत्री जी तो सदन में उपस्थित रहें जिससे यदि हमें कोई कठिनाई हो या आप कोई आदेश दें, उसका पालन हो सके।

श्री अध्यक्ष--

आप स्वंय तो मंत्रि-मन्डल को सुशोभित कर चुके हैं। न कोई परम्परा ऐसी है और न कोई नियम ऐसा है कि जब कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये तो सारा मंत्रि-मंडल या गृह मंत्री जी सदन में रहें। इस समय सदन में ५-६ मंत्री लोग दिखायी दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि वे काफी हैं।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक काम रोको प्रस्ताव था भुखमरी पर.....

श्री अध्यक्ष--

जी हां।

एक सदस्य--

उस को आप अलाऊ कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं।

विधान सभा सदस्य श्री राजबली पर कथित आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कई सूचनायें आयी हैं नियम ५१ और ५२ के अन्तर्गत। इसमें से माननीय ऊदल ने जो सूचना भेजी है एक माननीय सदस्य के विषय में, जिस के विषय में सुबह भी यहां चर्चा हुई, उसको पढ़कर सुनाये देता हूं :

"२२-६-६७ को ११ बजे रात श्री राज बली यादव, सदस्य विधान सभा के ऊपर अयोध्या जिला फैजाबाद में ११ बजे रात प्राण घातक हमला किया गया जिस की वजह से उनको गहरी चोटें आयीं हैं। आज भी उनका जीवन खतरे में है। इसलिये एक लोक महत्व के प्रश्न पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

इसी विषय पर माननीय राजबली ने मुझे जो लिखकर भेजा था, चाहता हूं कि माननीय सदन उसको सुन ले, क्योंकि सुबह इस पर काफी उत्तेजना दिखायी पड़ी थी। इसमें लिखा है कि २२-६-६७ को ११ बजे रात मेरे ऊपर अयोध्या में प्राण-घातक हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया गया। यह एक घटना नहीं है, इसके पीछे पुलिस तथा अन्य कुछ अधिकारी, सरकारी अधिकारियों और जन विरोधी तत्वों की साजिश है। इस संबंध में मैंने जो कार्यवाही की उस को विस्तारपूर्वक सदन के सामने रखना चाहता हूं। अब भी मेरा जीवन खतरे से खाली नहीं है। अतः मुझको इस मामले को सदन के समक्ष पेश करने की तथा बयान देने की आज्ञा दी जाय। यह लोक महत्व के अलावा मेरे जीवन मरण का प्रश्न भी बन चुका है।

उसके बाद माननीय सदस्य ने ३/४ पेज की एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजी है। मैंने नियमों को देखा। मुझे ऐसा तो कोई नियम नहीं मिला जिस में इस प्रकार कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ सके क्योंकि इस में सरकार के ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है। जो इन्होंने लिखा है कि

"ऐसा लगता है कि इस में कोई साजिश है" इसका कोई आधार नहीं बताया है। आदि, आदि, बातें। लेकिन फिर भी इस बात को देखते हुये कि एक यह माननीय सदस्य से संबंधित है मैं चाहूंगा कि ५ मिनट में माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह दें। उस के बाद मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर कोई वक्तव्य दे दें।

श्री राजबली--

श्रीमन्, मैं इस घटना के बारे में सदन के सामने आप की आज्ञा से अपनी बातों को रखना चाहता हूं। यह ऐसा सवाल है जो कि आज मेरी जिन्दगी और मौत मे ताल्लुक रखता है और वह सवाल यों है कि हमारे जिले में एक ऐसा एरिया है जो माझालैन्ड कहा जाता है। वहां कोई चकबन्दी नहीं है, सेटिलमेंट नहीं है। वहां की सारी जमीन किसान २० सौ साल से जोत रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन है, थोड़ी नहीं है। और उस जमीन पर वहां के पुराने सरकस लठैत, जमींदार, लेखपाल और एस० डी० ओ०, तहसीलदार वगैरह यह सब सांठगांठ करके किसानों का नाम दर्ज नहीं होने देते। फर्जी इन्दराज जमींदारों के नाम होता है और सारा का सारा पैसा वहां का लेखपाल, लाल बहादुर सिंह लेकर मोटर साइकिल पर चलता है, वहां एक लेखपाल है रणजीत सिंह। डिप्टी कमिश्नर की वह हैसियत नहीं है जो उसकी है। हालत यह है कि सारी जमीन किसान जोतता है लेकिन फायदा जमींदार, लेखपाल और हाकिमों को होता है।

श्री अध्यक्ष--

घटना पर आ जाइये।

श्री राजबली--

उस जमीन के सिलसिले में हमने दरख्वास्त दिलाई हाकिमों को कि इसका सेटिलमेंट करा दिया जाय, लेकिन हाकिमों ने वहां जा का कष्ट नहीं किया। गलत इन्दराज रखा गया और जब हमने उसे इस साल छोड़ने से इन्कार किया तो उन्होंने कहा कि वह ट्रेसपासर है। हीरा सिंह, जो जन कांग्रेस के नेता हैं, उन्हीं के रिश्तेदार फर्जी कब्जा दिखाना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष--

आप घटना पर आ जाइये।

श्री राजबली--

घटना फिर हुई कि पुलिस, जमींदार ने मिलकर मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया और पुलिस व अधिकारियों ने मिलकर किसानों पर फर्जी मुकदमें कायम किये। फिर कुर्की व वारन्ट निकलवाये गये और एस० पी० के कहने के अनुसार मुख्य मंत्री वहां पी० ए० सी० की बटालियन भिजवा दी। किसानों के घर लूट लिये गये। घरों को उजाड़ दिया गया। (शम शम) ६-७ अप्रैल की रात पुलिस के सिपाही व दरोगा वहां मांझा रामपुर पुम्मारी में गये थे। उन्होंने बेरी लाइट पिस्टल दागा लेकिन वह दगा नहीं। लोगों को शक हुआ कि डाकू आ ग तो उनको घेर लिया शिनाख्त किया कि पुलिस वाले हैं तब उनको छोड़ दिया गया। उसके लिये माफीमांगी गयी, लेकिन पुलिस ने उसे अपनी मर्यादा का प्रश्न बना लिया। नई सरकार आई थी। पुलिस कप्तान ने सोचा कोई ऐसा काम न हो जाय जो सरकार में कोई नाराज हो जाय। उसने सोचा कोई नेता मिल जायं तो अच्छा है जिसकी छत्र छाया में वह अपना कार्य कर सके। इसी छत्र छाया में हमारी सरकार को नेता लोग और पुलिस कप्तान ने मिलकर राजी कर लिया कि वहां पर कम्युनिस्ट की हुकूमत बन गयी है, वहां तो पुलिस की कोई सुनता ही नहीं है, जब चाहते हैं गल्ला लूट लेते हैं। उसके बाद पुलिस कप्तान का कहना है कि मुख्य मंत्री ने हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर ला एंड आर्डर मेन्टेन करो। तब पी० ए० सी० की बटालियन पहुंचती है.....

श्री अध्यक्ष--

कोई बहुत लम्बा चौड़ा भाषण देने का समय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजबली--

किसानों पर जुल्म हुआ, हमारी पार्टी पर जुल्म हुआ। हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से १७ तारीख को एक मीटिंग आर्गनाइज की जिसमें हमारे देश के नेता कामरेड सरजू पांडे गये थे। उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ कि पुलिस कप्तान को फौरन हटा दिया जाय, दरोगा को मुअत्तल किया जाय और न्यायिक जांच करायी जाय। उसके बाद पुलिस कप्तान बौखलाये और कहा कियह जुर्रत है इन लोगों की। उसके बाद से आज किसान अपने खेत में ठीक से काम नहीं करता है, पी० ए० सी० बटालियन पड़ी हुई है। जनता को भयभीत करती रहती है। जमींदारों का साथ देती है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें। आप अपने पड़ोस में इधर उधर न देखें, मेरा कहना मानें।

श्री राजबली--

उन्होंने कहा कि राजबली इसमें मुख्य नेता है, जब तक इस कांटे को रास्ते से हटाया नहीं जायगा तब तक अधिकारियों को लूटने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे तो मैं सौ, दो सौ वालंटियर लगा दिया करता था लेकिन अयोध्या में मुझको कतई यह बात नहीं मालूम थी। तब १९ तारीख को एक ध्यान आकर्षणार्थ प्रस्ताव दिया। आपने सुझाव दिया कि मुख्य मंत्री से मिल लूं। मैं उनसे मिलने गया तब पता नहीं किस आधार पर उन्होंने कहा कि पुलिस की तो पिटाई हुई है, ला ऐंड आर्डर तो मेन्टेन किया जायगा। यह एक तरफा इन्फार्मेशन उन्होंने दे दी। मुझसे नहीं पूछा गया। वहां के एम० एल० ए० लाल बहादुर द्विवेदी हैं, उनसे पूछ लिया जाता। २० तारीख को दरख्वास्त दे के बाद २२ को जब मैं मीटिंग में जाता हूं मेरे ऊपर प्राण घातक हमला होता है। मेरी जनसंघ से कोई लड़ाई नहीं, वह लोग आते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

आपका अभिप्राय भाषण देना है क्या ? मैं आगे अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजबली--

पुलिस को जानकारी नहीं, ऐसी बात नहीं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री राजबली--

एक मिनट में।

श्री अध्यक्ष--

एक मिनट में ६० सेकेंड होते हैं।

श्री राजबली--

सौ गज के फासले पर पुलिस है। आक्रमणकारी आते हैं और यकायक हमला करते हैं। और फरसा बल्लम का इस्तेमाल करते हैं और हमला करते हैं और पुलिस के कांस्टेबिल खड़े-खड़े हंसते रहते हैं। जब हमला होता है तो पुलिस के कांस्टेबिलों का यह हाल है। उसके बाद टेलीफून से इत्तिला होती है कि इस तरह की घटना हो गई है और एक अखबार के सम्पादक ने

एस० पी को फोन किया कि राजबली के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया है। इस पर वे कहते हैं कि मुझे भी इत्तिला थी, लेकिन मैं नहीं समझता था कि इतना बड़ा कांड हो जायेगा। १०० गज की दूरी पर चौकी है, फिर भी हमलावर साफ बचकर निकल जाते हैं और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसी हालत में मैंने पुलिस कप्तान से भी बात की। उन्होंने कहा कि आप तो मुझे हटवाने की मांग कर रहे हैं। इसलिये अब आपका और हमारा फैसला हो जायेगा। यह फैसला हुआ है और आज भी मेरी जिन्दगी खतरे में है। हमलावर आज भी घूम रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्री से अनुरोध किया कि इसको पुलिस की प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर पुलिस कप्तान को वहां से हटाया जाय और इसकी न्यायिक जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठिये। मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मैंने दफा ५१/५२ में तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज अपने माननीय सदस्यों की इच्छा को देखा और जो घटना हुई है उसकी उद्विगनता को देखते हुये यह उचित होगा कि इस घटना पर कोई वक्तव्य जल्द से जल्द दे दिया जाय।

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)--

जी हां, इस पर वक्तव्य परसों मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

परसों सुबह हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

समय जो भी सुविधाजनक हो, प्रश्नों के बाद।

श्री रामचन्द्र विकल--

सुबह होगा या शाम, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन शाम तक हो जायेगा।

श्री राजबली--

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं खतरे में घूम रहा हूं--

श्री अध्यक्ष--

अब आप क्या कह रहे हैं...

श्री राजबली--

इस बात का खतरा है कि मेरे ऊपर हमला हो जाये। इसलिये मुझे आश्वासन मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं अपनी तरफ से मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि एक माननीय सदस्य की बात को महत्व देते हुये जो आवश्यक कार्यवाही हो उनके संरक्षण के लिये, नियमानुसार संभव हो, अवश्य की जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, जब तक ये यहां रहते हैं उनको पुलिस गार्ड दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह तो इस समय जो सरकार है उसके ऊपर है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, मेरा निवेदन सुन लें। यह उनके लिये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी अगर कोई घटना हो गई। इससे उनके सिर पर पाप का बोझ आयेगा।

श्री अध्यक्ष--

मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपने सिर पर ऐसा बोझ आने नहीं देंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

माननीय यादव जी ने चर्चा की है कि उनकी जिन्दगी को खतरा है।

श्री अध्यक्ष--

सारी चर्चा उन्होंने भी सुन ली है और बोझ उनके ऊपर न आये इस पर उनको भी दिलचस्पी होगी।

१९६७-६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रम गत)

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)--

अध्यक्ष महोदय, ४ दिन से इस बजट पर सामान्य वाद विवाद हो रहा है। मैंने इधर के माननीय सदस्यों के और उधर के माननीय सदस्यों के विचारों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है और सब से अधिक ध्यान से मैंने माननीय बहुगुणा जी के वक्तव्य को सुना है। जब से वे विरोधी पक्ष में बैठे हैं तब से उनके भाषण को सुना और उनके अंतिम भाषण को मैंने अक्षरशः सुना है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

क्या कहा आपने !

श्री रामचन्द्र विकल--

मैंने अक्षरशः सुना है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न कीजिये लेकिन उतने ही जितने वे स्वीकार करें। ऐसी परम्परा डालिये।

श्री रामचन्द्र विकल--

मैं कह रहा था कि बहुगुणा जी ने चर्चा की कि यह पहले बजट की नकल की गई है। (व्यवधान) हमने तो निर्जीव में जान डालने की कोशिश की है। आपने निर्जीव बजट बनाया होगा क्योंकि यह उसी की नकल है। हमें तो इसको जीवित करने का प्रयत्न करना है।

उन्होंने दावा किया कि सारे अक्लमन्द लोग उधर हैं। अगर यह अक्लमन्दी पहले आ जाती तो हम लोगों को यह दिन देखना न पड़ता। अक्ल आयी देर में और उधर जा कर आयी, क्योंकि बीस सालतक मैं यही कहता रहा आपसे और मेरी आपसे लड़ाई क्या थी ? कांग्रेस में रह कर मैं यही कहा करता था कि जो प्रदेश के जनहित में हो वही काम करो। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल की कई बातों की सराहना करता हूं। जो भाषण उनका सुना उसके अन्दर भी और बाहर भी जो उनका दृष्टि कोण रहा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, कि उन्होंने वही दृष्टिकोण अपनाया है जो वह मुख्य मंत्री की हैसियत से रखते थे। दोनों में कोई फर्क नहीं आया। जनतन्त्र के नियमों में अगर कोई व्यक्ति नापा जा सकता है तो नेता विरोधी दल को कह सकता हूं उनका दृष्टिकोण जो यहां था कि वही वहां हुआ। लेकिन कांग्रेस के जो अन्य सदस्य हैं विशेषकर

जो मंत्रिपरिषद् में रह चुके हैं एक का भी दृष्टिकोण जो इधर था वह उधर नहीं रहा, बल्कि विरोधी पक्ष के लोग जो कहते थे उससे कहीं ज्यादा उनकी तरफ से सुनने को मिला। यहां तक उनमें सहन शक्ति भी नजर नहीं आ रही है। न अपनी बात कहने के लिये और न इधर की बात सुनने के लिये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप तो इस देश में जनतन्त्र के हिमायती रहे हैं। विरोधी पक्ष में कैसे बैठा जाता है, यह अनुभव आपको देर में होगा। इसके लिये उग्रसेन जी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष––

मेरा काम बहुत कठिन हो जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल––

अध्यक्ष जी, आपका काम भी बहुत सुलभ होता चला जा रहा है। जैसे-जैसे उधर से शान्ति आती जायगी सुलभ होता जायगा।

बहुगुणा जी की अक्लमन्दी का उदाहरण पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम में सारे अक्लमन्द हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, जब मुझे कांग्रेस से निकाल दिया तब मेरी बोलती बन्द हो गयी। इधर मैं बहुत कम बोल रहा हूं। लेकिन अगर मुझ से छेड़खानी करेंगे तो सही बात कहे बिना रहा नहीं जाता है। आपकी अक्लमन्दी का एक उदाहरण है उपाध्यक्ष के चुनाव का। अध्यक्ष महोदय, बहुगुणा जी पर न तो अपना उम्मीदवार था, न अपना प्रस्तावक था, न अपना समर्थक था। आपने देखा क्या ड्रामा रचा गया। मैं हैरत में रह गया। कांग्रेस के लोगों में यही अक्ल रह गयी। फिर उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद जो सदन से बहिर्गमन किया उससे नेता विरोधी दल से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप हर बात इनकी न मान लिया करो। नेता विरोधी दल और सारे विरोधी दल का सदन से बहिर्गमन उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर स्वस्थ परम्पराओं का द्योतक नहीं था। नेता विरोधी दल ने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो मंत्रिपरिषद् बनायी है वह दबाव में बनायी। मंत्रिपरिषद् बनाने में बहुत सी पार्टियों और नेताओं का दबाव पड़ा है। मैं नेता विरोधी-दल से पूछूंगा कि वह कई दफा नेता सदन रहे हैं उन्होंने क्या मंत्रिपरिषद् अपनी इच्छा से बनाया? क्या उनको दिल्ली से कुछ आदेश नहीं आते थे, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होते थे? यदि आप कहें तो उन्हें बता भी सकता हूं। मुख्य मंत्री जी को तो यहां से ही आदेश मिले, किन्तु उन्हें तो दिल्ली से मिलते रहे। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा से मंत्रि मंडल बनाने का मौका नहीं पाया, और तभी तो यह संकट आया और समय-समय पर संकट आते रहे।

एक सदस्य––

आप बजट पर बोलिये।

श्री रामचन्द्र विकल––

उसी पर बोल रहा हूं। यह वही जवाब हैं जो आपके नेताओं ने बजट पर बोलते हुये कहे हैं। यह मंत्रिमंडल विभिन्न विचारधाराओं का है, विभिन्न पार्टी के व्यक्तियों का है, इसमें कोई सन्देह नहीं। संयुक्त दल भी विभिन्न पार्टियां से मिलकर बना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जब आप सरकार में थे तब आप में इतनी एकता भी नहीं थी जब आपकी एक ही पार्टी की सरकार थी, जितनी कि आज इधर एकता है।

एक मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं और प्रदेश की ८ करोड़ जनता का शुक्रगुजार हूं कि उसने यह अवसर ला दिया है कि आपको सदबुद्धि आई है। आपके राज्य में जो आये दिन लगान बढ़ते थे, किसानों पर टैक्स बढ़ते थे, किसानों पर ज्यादती होती थी, वे आज किसानों के हित की बात करने लगे। इसलिये मैं परमात्मा और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज उनको उधर जाकर उनकी याद आयी है। आप जब हाल में इधर वित्त मंत्री थे तब मैंने आपसे प्रश्न किया था कि मुजफ्फरनगर में जो आप प्रस्ताव पास करके आये हैं उसका आप ऐलान तो कर दो––

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

आप २१ मार्च का मेरा भाषण पढ़ लीजिये, प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिये तब कुछ कहें। इस तरह से मेरे भाषण को मोड़ कर न पेश करें।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि कुछ सहन शक्ति कम हो गई है वही बात दिखाई दे रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

फैक्ट्स की बात कहिये। उसमें लाने को कहा था, पढ़ो उसे।

श्री रामचन्द्र विकल--

तब न आपको अपने वायदे याद थे, न प्रस्ताव। तब तो कुछ मजबूरी की हालत आपने बताई थी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, मैंने नहीं कहा था। यह बार-बार मेरे भाषण को गलत कोट कर रहे हैं। आप इनको समझाइये।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रार्थना करूंगा कि शान्त रहें, क्योंकि अब थोड़ी देर शान्ति की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, यह तो बताइये, अशान्ति किधर से हो रही है? इन्हें अपना प्रस्ताव भी याद नहीं था, अपना घोषणा पत्र भी याद नहीं है; लेकिन अब उधर जाकर उन्हें अपनी भी याद आ रही है और कुछ मेरी भी याद आ रही है। इसका मैं बुरा नहीं मानता हूं....

श्री अध्यक्ष--

मैं आप से जानना चाहता हूं कि आप १०-१५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं? तो कुछ समय बढ़ा दूं, किन्तु यदि ज्यादा बोलना चाहते हों तो कल के लिए रक्खूं।

श्री रामचन्द्र विकल--

कल के लिए ही रहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, अब हम उठते हैं और कल ११ बजे मिलेंगे।

(इस समय सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२६ जून, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

औरैया की नगरपालिका के अध्यक्ष (President) श्री अम्बिका प्रसाद चतुर्वेदी के खिलाफ आरोप-पत्र (charge sheet)।

१—जमुना रोड पर बनाई गई, नगरपालिका की चार दूकानों की हालत सीमेंट प्लास्टर न होने से और खराब हो गई है जिसका नतीजा यह हुआ है कि नगरपालिका को अब तक करीब १,००० रु० का जो उसे किराए के रूप में मिलता नुकसान उठाना पड़ा है और नगरपालिका को भविष्य में भी ऐसा नुकसान होते रहने का अन्देशा है। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ५० (ई) के साथ पठित उसकी धारा ७ (१) (क्यू) के अधीन नगरपालिका में निहित सम्पत्ति का रखरखाव तथा विकास करना आपका कर्तव्य है। लेकिन जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण से विदित होगा आप इस कर्तव्य का पालन करने में नाकामयाब रहे हैं। आप नगरपालिका के वित्तीय साधनों का समुचित अधीक्षण करने में भी जैसा कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ५१ (बी) के अधीन अपेक्षित है नाकामयाब रहे हैं।

२—लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (स्वायत्त शासन) अभियन्त्रण विभाग के चीफ इंजीनियर ने सारे शहर के लिए बम्बे (स्टैन्ड पोस्ट) मंजूर किए थे। कुछ और बम्बे सहयोगी सदस्यों के वार्डों में या उनके घरों के नजदीक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर की पहले से मंजूरी लिए बिना ही और लगाए गए और पुराने खराब बम्बों की मरम्मत नहीं की गयी। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ५१ (बी) में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष का यह कर्तव्य तथा अधिकार होगा कि वह नगरपालिका के वित्तीय प्रशासन पर निगरानी रखें और उसके कार्यकारी प्रशासन का अधीक्षण करें और यदि उसमें कोई खराबी हो तो उसे नगरपालिका की जानकारी में लायें। इस तरह आप अपने उन कर्तव्यों को करने में नाकामयाब रहे हैं जो उक्त ऐक्ट की धारा ५१ (बी) के अधीन आप पर अध्यक्ष की हैसियत से आरोपित किए गए थे।

३—सरकारी आदेशों के अनुसार लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं में दसवीं कक्षा तक शुल्क नहीं लिया जाता। इन आदेशों के बावजूद बालिका इन्टर कालेज की छात्राओं से जनवरी, १९६५ मास का शुल्क लिया गया और यह उन्हें फिर लौटाया नहीं गया। इस प्रकार आप नगरपालिका के कार्यकारी प्रशासन का अधीक्षण करने में, जिसे उक्त ऐक्ट की धारा ५१ (बी) के अधीन करना आपका कर्तव्य था, नाकामयाब रहे हैं।

४—नगरपालिका की बैठक की कार्यवाहियाँ किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गयीं जैसा कि उक्त ऐक्ट की धारा ९४ (ए) के अधीन अपेक्षित है। इस प्रकार आप अपने कर्तव्यों के सम्पादन में उक्त ऐक्ट के उपबन्धों का अनुपालन न करके नाकामयाब रहे हैं।

५—सरकार ने श्री गोविन्द बिहारी अग्रवाल की नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव आफिसर के रूप में नियुक्ति स्वीकृत की थी। सम्बन्धित शासनादेश नगरपालिका के सामने सदस्यों की सूचना के लिए नहीं रखा गया। इस प्रकार आप नगरपालिका के अध्यक्ष की हैसियत से आप पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में नाकामयाब रहे हैं और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार के दोषी रहे हैं।

६—नगर की सफाई की हालत बहुत खराब है। आपने जांच-अधिकारी के सामने यह कबूल किया है कि नगर की सफाई की हालत बहुत खराब थी। लेकिन आपने कहा है कि ऐसी हालत टैक्टर की वजह से हुई जो कि महीने की एक लम्बी अवधि तक पुर्जे न होने से खराब पड़ा रहा। यदि यह ट्रैक्टर खराब हो गया था तो सड़कों या नालियों की सफाई के लिए कोई और प्रबन्ध कर लिए जाने चाहिए थे। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ५० (ई) के साथ पठित उसकी धारा ७ (१) (सी) के अधीन सार्वजनिक सड़कों, स्थानों तथा नालियों

की सफाई की उचित व्यवस्था करना आपका कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त धारा ५० (बी-बी) के अधीन, नगरपालिका के समस्त अधिकारियों तथा कार्यों का पर्यवेक्षण करना भी आपका कर्तव्य था। आप इन कर्तव्यों का पालन करने में नाकामयाब रहे हैं।

७—आपने अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम किया है—और साथ ही नगरपालिका के अध्यक्ष की हैसियत से अपनी स्थिति का घोर दुरुपयोग किया है जिससे आप अध्यक्ष की हैसियत से अपने कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा:—

(क) वर्ष १९६४–६५ की वार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद जब कि ब्वाएज हायर सेकेन्डरी स्कूल बन्द होने वाला था, आपने बिना किसी लिखित प्राधिकार के उक्त स्कूल के हेड मास्टर को कक्षा १० के विद्यार्थियों के परीक्षाफल घोषित न करने का आदेश दिया।

(ख) जुलाई, १९६५ में, जब कि उक्त स्कूल फिर से खुला, हेड-मास्टर को लिखित रूप में यह आदेश दिया गया कि कक्षा ९ में कोई भी विद्यार्थी भर्ती न किया जाय। पांच विद्यार्थी, ९ में भर्ती हो गए थे। कक्षा ८ के लगभग ९० उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में कक्षा ९ में भर्ती होने में असुविधा हुई। इससे स्पष्ट रूप से इस इरादे का पता लगता है कि आप किसी दूसरे स्कूल की सहायता करना चाहते थे।

(ग) कक्षा ९ और १० के विद्यार्थियों से मिलकर इस बात के व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए गए कि वे स्कूल छोड़ दें और अन्यत्र भर्ती हो जायें। अभिभावक (गार्जियन) ने इस बात के लिए क्षोभ प्रगट किया और जिला मजिस्ट्रेट की शिकायतों के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

८—आपने मोहल्ला गुराही के श्री हनीफ के नक्शे इस तथ्य के बावजूद पास किए कि पिछली नगरपालिका ने उक्त नक्शे नामंजूर कर दिए थे और सम्बन्धित अपील भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दी गयी थी। इस प्रकार आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार के दोषी रहे हैं।

९— लेटर पैड तथा दूसरे म्युनिसिपल फार्मों के लिए मूल्य विवरण (कोटेशन) मांगे गए थे। सत्य हंस प्रेस ने सबसे कम मूल्य का टेण्डर दिया था किन्तु आपने मेसर्स बी० एम० प्रेस इटावा का टेण्डर स्वीकार किया, नगरपालिका को उच्चतर दरों का भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार इसे वित्तीय हानि हुई। इस प्रकार आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार के दोषी रहे हैं। क्योंकि उक्त उदाहरण से पक्षपात का पता चलता है और साथ ही आपने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके नगरपालिका को वित्तीय हानि पहुंचायी है।

१०—आपने नगरपालिका, द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में जो खेल-कूद हुए उन पर खर्च करने के लिए बालिका इन्टर कालेज की हेड-मिस्ट्रेस को १०० रु० देने के लिए मजबूर किया। छात्रों से वसूल किया जाने वाला खेल-कूद शुल्क स्कूल में होने वाले खेल-कूदों पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक खेल कूदों पर इस प्रकार आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार के दोषी रहे हैं।

११—आपने ९-१२-१९६५ को शुरू होने वाली नगरपालिका प्रदर्शनी में बिजली लगाने के कार्य के लिए सबसे कम मूल्य के टेण्डर के बजाय कोई दूसरा टेण्डर स्वीकार किया था और इस प्रकार सम्बन्धित पक्ष के प्रति पक्षपात किया था, जिसके कारण नगरपालिका को २०० रु० की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार के दोषी रहे हैं।

१२—यू० पी० म्युनिसिपल बोर्ड एजूकेशनल इस्टैब्लिशमेंट रूल्स, १९५४ के नियम ३६ के अनुसार आप अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए सक्षम नहीं थे। यह अधिकार

सुपरिंटेंडेंट एजूकेशन या एजूकेशन कमेटी के चेयरमैन में निहित था। आपने वित्तीय पहलू को ध्यान में रखे बिना श्रीमती सोनकर को बालिका विद्यालय में सरकार के अनुमोदन के बगैर एक ऐसे पद पर नियुक्त किया था, जिसको सृजित करने की स्वीकृति भी नहीं दी गई थी। पर इस प्रकार आपने संगत नियमों के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन किया है और नगरपालिका के अध्यक्ष की हैसियत से अपनी स्थिति का घोर दुरुपयोग किया है जिसके फलस्वरूप आप बोर्ड (नगरपालिका) अध्यक्ष की हैसियत से आगे कार्य करने के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं।

सत्यमेव जयते विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

खाद्यान्न वितरण जांच समिति के प्रतिवेदन, १९६५ में की गई मुख्य-मुख्य संस्तुतियां

सस्ते गल्ले की दूकानों के चलाने के अभिकरण—

(१) सस्ते गल्ले के दूकानदारों में अवांछनीय तत्व और मध्यवर्तियों को निकालने के लिए समस्त जिलों में एक अभियान चलाया जाय।

सस्ते गल्ले की दूकानों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण—

(२) दूकानों का निरीक्षण विस्तृत रूप से और नियमित रूप से महीने में कम से कम दो बार हो और तीन महीने में कम से कम एक बार किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण हो।

(३) प्रत्येक दूकान से सम्बद्ध एक गैर सरकारी सदस्यों की समिति हो जो उस दूकान पर गल्ले के वितरण का प्रबन्ध करे और जो भी आदेश यह समिति दे वह एक रजिस्टर में दर्ज हो।

सस्ते गल्ले की दूकानों का लाभोपान्त—

(४) दूकानदारों को कम से कम ५ प्रतिशत का लाभ किया जाय।

देहाती क्षेत्र में खाद्य की वितरण-व्यवस्था—

(५) देहाती क्षेत्र में भूमिहीन और अति निर्धन जनता के अलावा आवश्यकता पड़ने पर दो एकड़ भूमि वालों को भी शहरी क्षेत्रों की भाँति सस्ता गल्ला अवश्य दिया जाय।

(६) देहाती क्षेत्रों की दूकानों के पर्यवेक्षण के लिए उस दूकान से सम्बद्ध गांवों के प्रधानों की एक समिति बनाई जाय और इन दूकानों का निरीक्षण माह में एक बार स्थानीय राजकीय विभाग के कर्मचारी द्वारा किया जाय और तीन महीने में एक बार किसी विभागीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण हो।

वितरण-व्यवस्था का प्रशासन—

(७) शहरों में ५०० रुपए से अधिक आमदनी वालों को सस्ता गल्ला नहीं दिया जाना चाहिए। खाद्यान्नों की अल्प उपलब्धता के समय किसी वर्ग को छोड़ने के बजाय सभी को साम्योचित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध किया जाय।

आटा वितरण योजना—

(८) चोकर वितरण पर नियन्त्रण रखा जाय।

(९) आटा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा उन्हें सरकार द्वारा गेहूं न दिया जाय। उन्हें खुले बाजार में गेहूं खरीदने की अनुमति दी जाय, यदि किसी कारण उन्हें सरकार द्वारा गेहूं देना आवश्यक ही समझा जाय तो केवल पिसाई व्यय ही दिया जाय और अन्य सारा प्रबन्ध राज्य सरकार करे।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

रबी खाद्यान्नों की किसानों से सीधी खरीद की योजना।

समय पर अल्प वृष्टि अथवा सूखा के कारण पिछले कई वर्षों से प्रदेश को अन्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। यथासम्भव अपने ही साधनों द्वारा इस संकट का सामना करने तथा उचित मूल्य पर जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष किसानों से रबी खाद्यान्नों की सीधी खरीद करने की योजना चलाई गई है। उत्तर प्रदेश रबी खाद्यान्नों की वसूली (उत्पादकों से उगाही) आदेश, १९६७ के अन्तर्गत उत्पादकों से सीधी खरीदारी करने का कार्य अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली, पिथौरागढ़ और मिर्जापुर के जिलों तथा देहरादून, नैनीताल और पौड़ी-गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में २५ अप्रैल, १९६७ से आरम्भ हो गया है। रबी खाद्यान्नों में से केवल गेहूं, चना तथा जौ और गोचनी, गोजई तथा बेझड़ मिश्रित खाद्यान्न खरीदे जा रहे हैं।

उत्पादकों के लिए यह अनिवार्य था कि वह उगाही की मात्रा क्रय केन्द्र पर १५ जून, १९६७ तक पहुंचा दें। यह तिथि बढ़ाकर अब ३०-६-६७ कर दी गयी है। उगाही की मात्रा इस प्रकार रखी गई है:

उगाही जोत का आकार (एकड़ में)			उगाही की कुल मात्रा (क्विंटल में)
८ एकड़ किन्तु १० एकड़ से कम तक	..	..	१.५
१० एकड़ किन्तु १२.५ एकड़ से कम तक	..	..	२.५
१२.५ एकड़ किन्तु १५ एकड़ से कम तक	..	..	४.०
१५ एकड़ किन्तु १७.५ एकड़ से कम तक	..	..	६.०
१७.५ एकड़ किन्तु २० एकड़ से कम तक	..	..	८.०
२० एकड़ किन्तु २२.५ एकड़ से कम तक	..	..	१०.०
२२.५ एकड़ किन्तु २५ एकड़ से कम तक	..	..	१२.०
२५ एकड़ और उससे अधिक	..	..	१५.०

नोट—२५ एकड़ पर १५ क्विंटल और २५ एकड़ से अधिक प्रति अतिरिक्त एकड़ अथवा उसके किसी भाग पर ५० किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से।

किन्तु जिला झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, गोरखपुर, गाजीपुर बलिया, वाराणसी, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती तथा जौनपुर और जिला इलाहाबाद, इटावा, आगरा, व मथुरा के यमुना पार भागों के सम्बन्ध में उगाही वाली जोत का डेढ़ एकड़ उक्त अनुसूची के अनुसार उगाही के परिणाम की संगणना करने के लिए १ एकड़ माना जायगा।

उत्पादकों की सुगमता के लिए प्रत्येक उगाही वाले जिले में पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोल दिए गए हैं। इन क्रय केन्द्रों पर क्रय एजेन्ट नियुक्त किए गए हैं। उत्पादक उपरोक्त आदेश के अनुसार निर्धारित मात्रा में रबी खाद्यान्नों को क्रय केन्द्र तक लाएगा और तौल के उपरान्त

उत्पादक को उसके गल्ले की कीमत का नगद भुगतान केन्द्र पर ही तुरन्त करने की व्यवस्था की गई है। गल्ले की खरीद के भाव इस प्रकार रखे गए हैं—

रबी के खाद्यान्न का नाम	मूल्य प्रति क्विंटल
	रु०
गेहूं सफेद (उचित औसत किस्म के लिए)	८५.००
गेहूं लाल	८०.००
चना	७२.००
जौ	६२.००
गोचनी	७५.००
गोजई	७०.००
बेझड़	६५.००

(उचित औसत किस्म से घटिया रबी खाद्यान्न में सम्मिश्रण या अशद्धता के लिए उक्त मूल्यों में कटौतियों की व्यवस्था।)

इस योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:

(१) किसानों को अपना अनाज केन्द्र तक लाने का भाड़ा भी दिया जा रहा है। यदि गल्ला खरीदने का केन्द्र किसान के गांव से ५ मील की दूरी पर है तो किसान को ८० पैसे प्रति क्विंटल मिलता है। पांच मील के ऊपर ८० पैसा प्रति क्विंटल के अलावा प्रत्येक मील के लिए २० पैसे प्रति क्विंटल भाड़े के रूप में दिया जाता है।

(२) उगाही के अनुसार लाए गए रबी खाद्यान्न पर गांव से खरीद केन्द्र के रास्ते में यदि चुंगी या टौल टक्स उत्पादक को देना पड़ा तो उसका भी भुगतान उसी केन्द्र पर करने की व्यवस्था की गई है।

(३) जिला झाँसी, जालौन, बांदा, मिर्जापुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती तथा जौनपुर और जिला इलाहाबाद, इटावा, आगरा व मथुरा के यमुना पार भागों में १२ एकड़ से कम जोतों को उगाही से मुक्त कर दिया गया है किन्तु अन्य उगाही वाले जिलों में यह छूट ८ एकड़ से कम के ही जोतों को प्राप्त है।

(४) जिन उत्पादकों ने रबी की खेती की ही नहीं अथवा सूखा के कारण जिनके खेतों में रबी की फसल हुई ही नहीं या बहुत कम हुई ऐसे मामलों में जिलाधीश को अधिकार दे दिया गया है कि वह ऐसे जोतों को पूर्णतः या आंशिक रूप से उगाही से मुक्त कर सकते हैं।

(५) जिलाधीश ऐसे क्षेत्रों को भी पूर्णतः या आंशिक रूप से उगाही से मुक्त कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में दैवी आपदा या अन्यथा रबी के खाद्यान्न की पैदावार कम हुई है।

(६) जिन उत्पादकों ने २० प्रतिशत या इससे भी कम रबी खाद्यान्नों की काश्त की उनसे निर्धारित उगाही की मात्रा के ५० प्रतिशत से अधिक की उगाही न लिए जाने के आदेश हैं।

(७) उत्पादक के सम्पूर्ण जोत से बाग का क्षेत्र, यदि उसमें रबी की फसल न बोई गई हो उगाही के निमित्त कम पर दिए जाने के आदेश हैं। यदि ऐसा करने पर जोत गल्ला वसूली के लिए निर्धारित न्यूनतम जोत से कम बैठती है तो उस जोत को उगाही से मुक्त कर दिए जाने के आदेश हैं।

(८) उगाही वाली कोई जोत एक से अधिक व्यक्तियों के प्रभुत्व में हो और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ३ १/२ एकड़ (५ पक्का बीघा) से कम बैठता हो तो ऐसी जोत को, बिना उत्पादक की आपत्ति के स्वतः उगाही से मुक्त कर दिए जाने के आदेश हैं।

(९) जिलाधीश नदियों के किनारे के क्षेत्रों को, जिन्हें सामान्यतः कटनी या कछार कहा जाता है, उगाही से समुचित रूप से मुक्त कर सकते हैं, यदि उन क्षेत्रों में पैदावार कम होने के कारण वे ऐसा करना आवश्यक समझें।

(१०) ऐसे सभी किसानों को जो केन्द्रों पर गल्ला देंगे उन्हें सीमेंट तथा अपने परिवार में शादी हो तो चीनी देने की भी व्यवस्था की गई है।

नत्थी 'घ'

(देखिय तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८४ पर)

कार्यों के नाम

१—मवई रजबहे की दाहिनी पटरी पर ०—० से ६ मील २ फर्लांग ४५० फीट तक लम्बी सर्विस रोड पक्का करने का कार्य।	कार्य चालू है।
२—२,४०० एकड़ भूमि में वन-रोपण का कार्य अतैला, इकौना तथा पाली में।	कार्य चालू है।
३—चौथी पंच वर्षीय आयोजना यानी १—४—६६ से काशीरामपुर से इटौरा सड़क निर्माण कार्य ०—० से ५—३ मील।	कार्य चालू है।

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८६ पर)

जिन-जिन व्यक्तियों एवं फर्मों से जितना-जितना गल्ला पकड़ा गया उसका क्वींटल में यथेष्ट विवरण

क्रम-सं०	फर्म या व्यक्ति का नाम जिनसे गल्ला पकड़ा गया		पकड़े गए गल्ले की मात्रा (क्विंटल में)	अन्य विवरण
१	मेसस राजकुमार राजेश कुमार, पांडेगंज		४१६.४	
२	,, बद्री नारायन काशी प्रसाद, पांडेगंज	..	६४६.७	
३	,, बाल कृष्ण महावीर प्रसाद, पांडेगंज	..	४९५.५	
४	,, तेजपाल लाधू लाल, डालीगंज	..	१०४७.४	
५	,, श्री बधु सेन पुत्र श्री सूरज प्रसाद, डालीगंज	..	१३४.६	
६	,, श्री मूल चन्द अग्रवाल, डालीगंज	..	२८.०	
७	,, लाल चन्द हुकुम चन्द, डालीगंज	..	४०७.२	
८	,, भोला नाथ अग्रवाल, मारवाड़ी गली	..	२५.३	
९	,, गनेश कुमार पुत्र रूर मल, ग्रेन मार्केट, गनेशगंज		४५.३	
१०	,, रसूल बख्श पुत्र नबी बख्श, कसाईबाड़ा	..	१८.०	
११	,, नन्हे मल पुत्र प्यारे लाल, मुरलीनगर	..	१४.६	
१२	,, कबूल चन्द, पुत्र भया राम, मुरलीनगर	..	६४.३	
१३	,, गुलाम अली और दूसरे व्यक्ति	..	४.५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च' २८

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०९ पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५० में आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिए

उ० प्र० अधिनियम संख्या १९, १९५०

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५० की धारा ४ का संशोधन

२—(१) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५० की धारा ४ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय—

"(२) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९६७ के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दो करोड़ रुपए की और धनराशि राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) में से निकालेगी और उसे निधि में जमा कर देगी।"

(२) उक्त धारा ४ के पार्श्व शीर्षक में शब्द "४ करोड़ रुपय" तथा शब्द "का निकाला जाना" के बीच में शब्द "तथा और २ करोड़ रुपए" रख दिए जायें।

उद्देश्य और कारण

क्रमिक पंचवर्षीय आयोजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने और कीमतों के बढ़ने के कारण चार करोड़ रुपए की धनराशि जो कि मूलतः १९५० में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि में रखी गयी थी अब अप्रत्याशित व्यये को विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं । अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि दो करोड़ रुपए की और धनराशि इस निधि में जमा कर दी जाय। अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

राम स्वरूप वर्मा,
वित्त मन्त्री।

आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ के संबंध में वित्तीय ज्ञापन

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ द्वारा आकस्मिकता निधि की वर्तमान ४ करोड़ रुपए की धनराशि को २ करोड़ रुपए से और बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधेयक पारित होने पर विधेयक के खण्ड २ (१) के अनुसार २ करोड़ रुपए की धनराशि राज्य की संचित निधि से आकस्मिकता निधि में संक्रमित कर दी जायगी। यह संक्रमण, लेखे में "१२५—आकस्मिकता निधि में विनियोग" के अन्तर्गत दिखाया जायगा।

राम स्वरूप वर्मा,
वित्त मन्त्री।

मुख्य अधिनियम की सम्बन्धित धारा का उद्धरण जिसका संशोधन किया जाना है

राज्य की संचित निधि में से ४ करोड़ रुपये का निकाला जाना और उसका उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि में जमा किया जाना।

४—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) में से चार करोड़ रुपया निकाल कर इस निधि में जमा कर दें।

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४३ ए० ए०—१९६७—८४६।